mudra

वार्षिक रिपोर्ट

2015–16

मुद्रा-परिदृष्टि

पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एकीकृत वित्तीयन एवं सहायता सेवा-प्रदाता बनना, जो सर्वोत्कृष्ट होने के साथ-साथ विश्व-स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों तथा मानकों के अनुरूप हो।

मुद्रा-ध्येय

आर्थिक सफलता तथा वित्तीय सुरक्षा की प्राप्ति हेतु अपनी सहभागी संस्थाओं के साथ मिलकर समावेशी, टिकाऊ एवं मूल्य-आधारित उद्यमिता-संस्कृति निर्मित करना।

वार्षिक रिपोर्ट

2015–16

चित्र श्रेय (कवर चित्र सहित सभी चित्र) : मुद्रा
मुद्रा के लिए विशेषीकृत प्रकाशन : ल्यूसिड सोल्यूशन्स (Lucid Solutions)
मुद्रा हेतु मुद्रण एवं निर्माण : एकमे

निदेशक मण्डल

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस

श्री पंकज जैन, आईएएस

सुश्री ज्योत्स्ना सित्लिंग, आईएफ़एस

श्री अजय कुमार कपूर

श्री पी. ए. मालगांवकर

श्री नचिकेत मोर

श्री नवीन कुमार मैनी

सुश्री रत्ना विश्वनाथन

श्री पिल्लारीसेट्टी सतीश

श्री जीजी माम्मेन, सीईओ

वरिष्ठ कार्यपालक

सुरेन्द्र श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी

रमाकांत बाबू रहाटे
उप महाप्रबंधक

संजय कुमार श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक (आईटी)

शालिनी बघेल
कंपनी सचिव

अध्यक्ष का संदेश

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्सिंग एजेंसी लि. (मुद्रा) की 31 मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को मुद्रा तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ इस वर्ष की ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है तथा वित्तीय समावेशन के परिदृश्य में की गई अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। मुद्रा तथा पीएमएमवाई करोड़ो सूक्ष्म उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से ऋण मुहैया कराने में सहायक सिद्ध होंगे। सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की एक बड़ी कमजोरी यह है कि इस क्षेत्र को पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है जिसके कारण उन्हें अनौचारिक स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है या उनके सीमित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण यह क्षेत्र अपेक्षित रूप से उन्नति नहीं कर पा रहा है। मुद्रा का लक्ष्य इस कठिनाई को दूर करना है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, पीएमएमवाई ने 3.48 करोड़ उधारकर्ताओं को ₹1.33 लाख करोड़ के ऋण प्रदान करके महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी संख्या में समाज के कमजोर वर्गों, यथा, अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ी जातियों/महिला उद्यमियों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने में सहायता मिली है। यह कार्यक्रम लगभग 1.25 करोड़ नए उद्यमियों को औपचारिक ऋण प्रणाली के अधीन लाने में सहायक बना है।

दूसरी ओर, मुद्रा ने इस कमजोर क्षेत्र को निधिगत सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय संस्थानों को ₹3300 करोड़ की राशि पुनर्वित्त के रूप में उपलब्ध कराते हुये सुदृढ शुरुआत की है। मुद्रा ने 'मुद्रा कार्ड' नामक एक नया कार्यशील पूंजी लिखत आरंभ किया है। इसने उधारकर्ताओं को युक्तिसंगत दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से व्यवसाय के एक नए क्षेत्र, प्रतिभूतिकरण में भी कदम रखा है।

यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आशा है कि आने वाले वर्षों में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र, जोकि देश में रोजगार उपलब्ध कराने में अग्रणी क्षेत्रों में से एक है, के विकास में मुद्रा तथा पीएमएमवाई महत्वपूर्ण योगदान करेंगे तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति को तीव्र बनाते हुये असेवित/अल्प सेवित वर्ग के लोगों को भारत की प्रगति यात्रा में सक्रिय भागीदारी में शामिल करने में सहायक होंगे।

इस संबंध में, मैं हमारे उन समस्त हितग्राहियों के प्रति प्रशंसा तथा आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने मुद्रा की इस यात्रा में सहयोग प्रदान किया है। हमारा विशेष आभार भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, समस्त बैंकों तथा अल्प वित्त संस्थाओं के प्रति है जिन्होने पीएमएमवाई के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान किया है। मैं मुद्रा के निदेशक मण्डल को भी उनके सक्षम एवं कुशल मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता हूँ।

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी

31 अगस्त, 2016

मुद्रा का सूत्रपात

"लोगों की ऐसी धारणा है कि बड़े उद्योग और कॉर्पोरेट घराने अधिकतर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। जबकि सत्य यह है कि केवल 1.25 करोड़ लोगों को ही बड़े कॉर्पोरेट घरानों में रोजगार मिला है जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र 12 करोड़ लोगों को आजीविका उपलब्ध कराता है। हमें पिरामिड के निम्नतम स्तर पर स्थित लोगों की ऊर्जा को समझना होगा और उन्हें गरीबी से ऊपर उठने के साधन मुहैया कराने होंगे।"

- श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री - मुद्रा के शुभारंभ के अवसर पर

"प्रधानमंत्री ने अन्य छोटे छोटे व्यवसायों का उदाहरण भी दिया जिन्हें थोड़ी सी सहायता मिले तो वे कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब की सबसे बड़ी संपत्ति उसका ईमान है। उसके ईमान को पूंजी (मुद्रा) के साथ जोड़ दिया जाये तो उसके लिए ये सफलता की कुंजी साबित होगी - "पूंजी सफलता की कुंजी"।

महिला स्वयं सहायता समूहों के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ईमानदारी और प्रतिबद्धता इन उधारकर्ताओं ने दिखाई है, उसकी मिसाल और किसी क्षेत्र में मिलना मुश्किल है।"

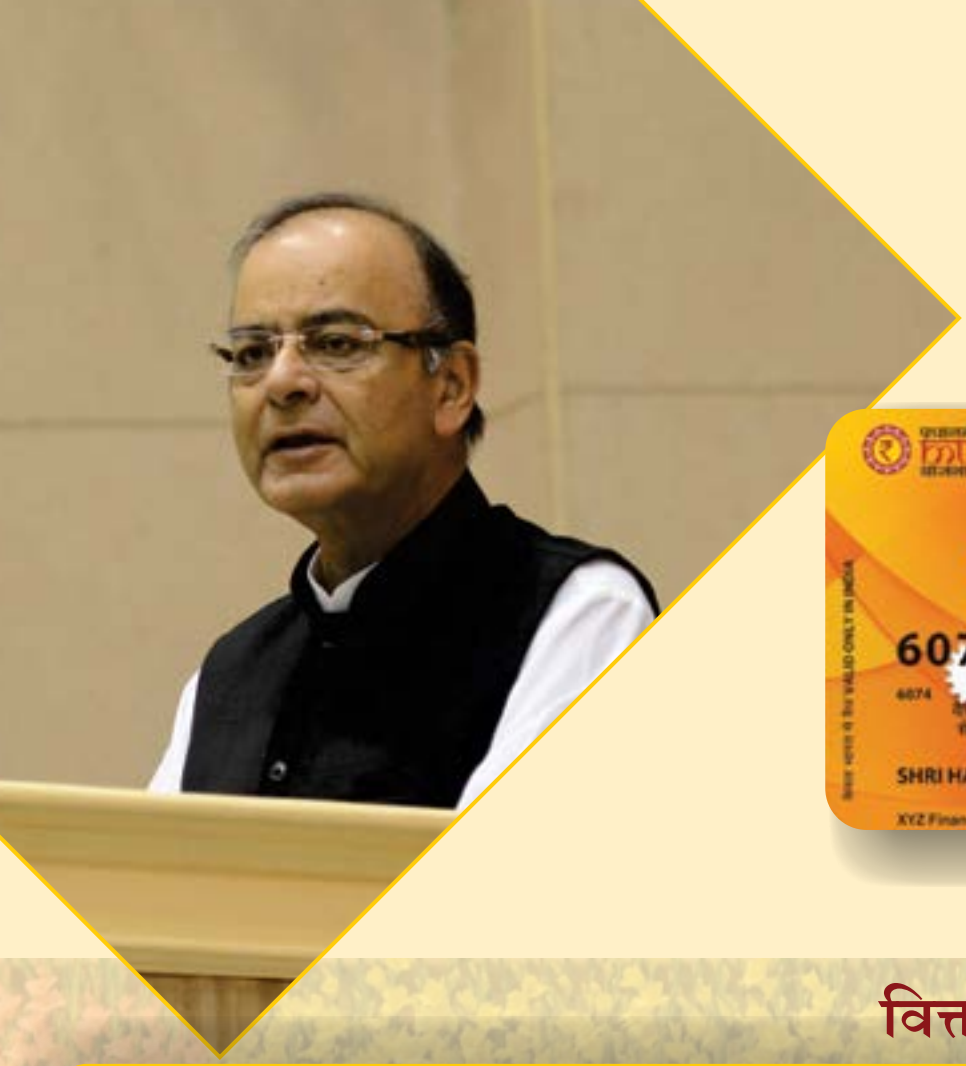

वित्तविहीन के लिए वित्तपोषण

"हमारी सरकार की यह धारणा है कि विकास से समावेशी वृद्धि होनी चाहिए। हालाँकि बड़े कॉर्पोरेट और व्यवसाय इकाइयों की अपनी भूमिका है, किन्तु इसके अनुपूरक के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है जोकि सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं। देश में लगभग 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय इकाइयाँ हैं, जिनमें अधिकांश प्रोपराइटरशिप इकाइयाँ हैं, जिनके विनिर्माण, व्यापार अथवा सेवाक्षेत्र में छोटे छोटे व्यवसाय हैं। इनमें से 62 प्रतिशत इकाइयों के स्वामी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के हैं। पिरामिड के निम्नतम स्तर पर रहने वाले इन मेहनतकश उद्यमियों के लिए औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करना असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होता है। अत: मैं, ₹20,000 करोड़ की कार्पस निधि वाले माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी (मुद्रा) बैंक तथा ₹3000 करोड़ के ऋण गारंटी कार्पस के गठन का प्रस्ताव करता हूँ। मुद्रा बैंक अल्प वित्त संस्थाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगा। ऋण देने में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को वरीयता दी जाएगी। इन उपायों से युवा, शिक्षित और कुशल कारीगरों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वे अब पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की सोच सकेंगे; वर्तमान छोटे व्यवसाय भी इस योजना के अंतर्गत अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। जैसे हम बैंक-रहित वर्ग को बैंकिंग से जोड़ रहे हैं, वैसे ही हम वित्त विहीन को वित्त पोषण उपलब्ध कराएंगे।"

- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु बजट पेश करते हुये माननीय वित्त मंत्री के भाषण के अंश।

सिडबी के रजत जयंती समारोह के अवसर पर

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लि. (मुद्रा)

(सिडबी की सहायक संस्था)

एवं

प्रधानमंत्री mudra योजना

का भारत के माननीय प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी

के द्वारा उद्घाटन

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

बुधवार, 08 अप्रैल, 2015

विषय-सूची

संक्षिप्तियाँ xii

मुद्रा एक नज़र में xiv

वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

1. आर्थिक परिदृश्य सूक्ष्म उद्यम 3

2. वित्तीय समावेशन का क्षेत्र 5

2.1 वित्तीय समावेशन का एक दशक 6

2.2 वित्तीय समावेशन की मौजूदा स्थिति 7

2.3 परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन – प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) 7

2.4 अन्य वित्तीय सेवाएँ 10

2.5 वित्तीय समावेशन से उम्मीदें 10

2.6 मुद्रा और मुद्रा योजना का आगमन 11

2.7 छोटे लेनदेनों के लिए पृथक बैंक 12

2.8 आगे का रास्ता 12

3. सूक्ष्म उद्यमों का सर्जक अल्प वित्त 14

3.1 अल्प वित्त क्षेत्र में प्रगति 15

3.2 प्रति उधारकर्ता ऋण राशि में वृद्धि 16

3.3 मुद्रा – एमएफआई को निधियों सहायता 17

3.4 एमएफआई क्षेत्र की संभावनाएँ 17

3.5 परिचालन लागत और लाभप्रदता की चिन्ताएँ 17

3.6 एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम 18

3.7 निष्कर्ष 18

4. मुद्रा – वंचितों का निधीयन **19**

4.1 मुद्रा के व्यवसाय परिचालन 19

4.2 मुद्रा के अन्य प्रकार्य 22

4.3 अन्य पहल 23

5. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई – सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण **24**

5.1 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का कार्यान्वयन और निगरानी 25

5.2 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का प्रदर्शन 26

5.3 विशिष्ट उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान करना 26

5.4 भविष्य की राह 28

मुद्रा का प्रभाव **29**

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट **37**

वार्षिक लेखा

तुलन पत्र तथा लेखा विवरणियाँ **67**

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की आख्या **91**

सदस्यों को सूचना **93**

संक्षिप्तियाँ

एडफियाप	असोसियेशन ऑफ डेवेलपमेंट फ़िनान्शियल इन्स्टीट्यूशन्स इन एशिया एंड पैसिफिक
एएफ़सी	आस्ति वित्तपोषण कंपनी
ऐल्को	आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीसी	बैंकिंग प्रतिनिधि
बीएसबीडी	मूलभूत बचत बैंक जमा खाता
सीएजी	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीजीएफ़एमयू	सूक्ष्म उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी निधि
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीआरएआर	नकदी एवं जोखिम भारित आस्ति अनुपात
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान
सीएसआर	नैगम सामाजिक दायित्व
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	केंद्रीय सतर्कता अधिकारी
डीबीटी:	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीएफ़एस	वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार
डीएमडी	उपप्रबंध निदेशक
ईपीएस	प्रति शेयर आय
एफ़डीआर	सावधि जमा रसीद
एफ़वाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीएलपी	सकल ऋण पोर्टफोलियो
जीओआई	भारत सरकार
आईएएडी	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईएफ़सी	आंतरिक वित्तीय नियंत्रण
आईएमएफ़	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेएएम	जनधन आधार मोबाइल
एमएफ़आई	अल्प वित्त संस्था
एमएफ़आईएन	अल्प वित्त संस्था नेटवर्क
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

संक्षिप्तियाँ

मुद्रा	माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि.
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनबीएफ़सी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफ़आई	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था
एनसीडी	गैर परिवर्तनीय डिबेंचर
एनसीजीटीसी	राष्ट्रीय क्रडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि.
एनसीएसबीएस	गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र
एनडीएसआई	जमा स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण
एनपीए	गैर निष्पादक / अनर्जक आस्तियां
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरईजीएस	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
ओडी	ओवरड्राफ्ट / अधिविकर्ष
ओएई	स्वयं खाता उद्यम
ओबीसी	अन्य पिछड़ी जातियाँ
पीएआर	जोखिमग्रस्त पोर्टफोलियो
पीएटी	कर उपरांत लाभ
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जनधन योजना
पीएमएमवाई	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पीओएस	पॉइंट ऑफ सेल
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसएस	प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल
पीटीसी	पास थ्रू सर्टिफिकेट्स
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरओसी	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससी	अनुसूचित जाति
एसएफ़एमसी	सिडबी अल्प ऋण कोष
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईडीबीआई	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसओपी	मानक परिचालन प्रविधियाँ
एसपीवी	विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था
एसटी	अनुसूचित जनजातियाँ
टीडीएस	स्रोत पर काटा गया कर

मुद्रा एक नज़र में (मुख्य बिन्दु)

मुद्रा-एक नज़र में 1

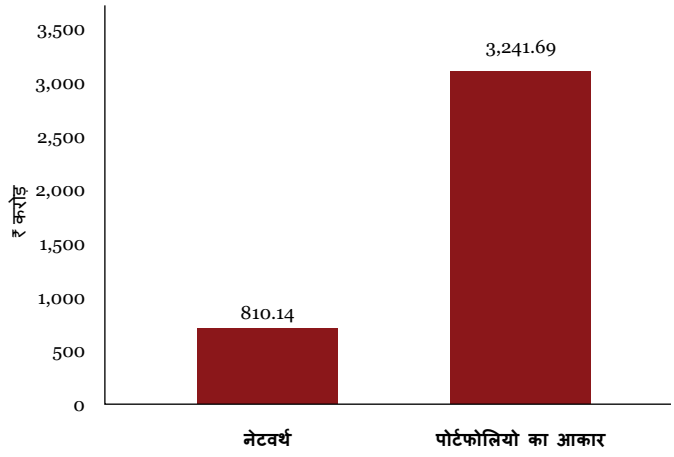

मुद्रा-एक नज़र में 2

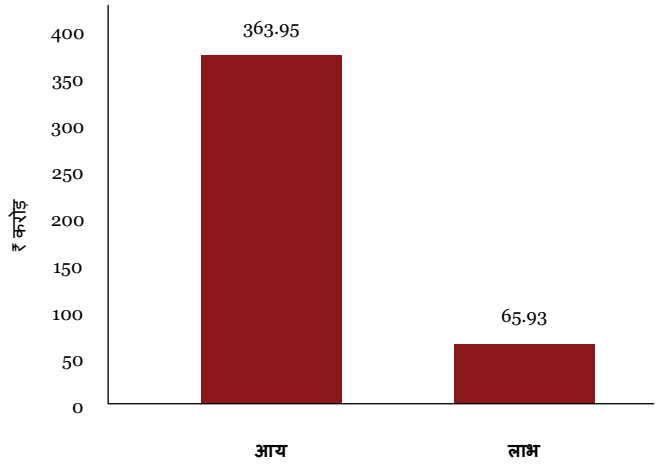

वार्षिक रिपोर्ट
2015–16

1

आर्थिक परिदृश्य

सूक्ष्म उद्यम

भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा है तथा वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सबसे तेज विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में से इसके एक रहने की संभावना है ।[1] विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति, सीमा के भीतर मुद्रास्फीति आंकड़े तथा धरातलीय घटनाक्रमों जैसे माल के वैश्विक स्तर पर कम मूल्यों, बढ़ते निजी उपभोग के अनुरूप समावेशी मौद्रिक नीति तथा अवरुद्ध परियोजनाओं पर नया बल देना इस परिदृश्य की सफलता के मुख्य कारक हैं । देश के लाखों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम देश में कृषेतर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रमुख माध्यम हैं । शीर्ष पर बड़ी इकाईयों वाले एमएसएमई के पिरामिडीय वितरण में, सूक्ष्म इकाइयां भी शामिल हैं, जो विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवाओं में संलग्न हैं तथा अपना विस्तार कर रही हैं । देश की समस्त एमएसएमई में से आधी ग्रामीण क्षेत्र में हैं । इनमें कम से कम 80 प्रतिशत सूक्ष्म इकाइयां हैं । विश्व में सबसे बड़े व्यवसाय परिवेश में से एक के रूप में, इन सूक्ष्म इकाइयों में लगभग 10 करोड़ लोग संलग्न हैं तथा इससे पांच गुना संख्या में लोगों को जीवनयापन में मदद मिल रही है ।

सूक्ष्म उद्यम अनेकानेक छोटी छोटी गतिविधियों में संलग्न हैं जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बास्केट बुनाई, झाड़ू बनाना, फल व सब्जी विक्रेता, परिवहन (तिपहिया टेंपो और ऑटो), खाद्य सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन ऑपरेटर, वेल्डर्स, गृह उद्योग, लघु उद्योग, हथकरघा, दस्तकारी कामगार, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा व्यापारी, ब्यूटीशियन व सड़क किनारे के विक्रेता आदि। इन्हें सम्मिलित रूप से गैर कार्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र (एनसीएसबीएस) कहा जाता है।

[1] आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2015-16 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2016-17 के दौरान 7 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलूक (जनवरी 2016) के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2016-17 के दौरान 7-7.5 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होना संभावित है।

इस गैर कार्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र की 5.77 करोड़ लघु इकाइयों में से, लगभग सभी व्यक्तिगत स्वामित्व वाली हैं।[2] लघु व्यवसाय इकाइयों में से लगभग 94 प्रतिशत स्वयं खाता उद्यम हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों जैसे वित्तीय दृष्टि से कमजोर वर्ग में आने वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित हैं। यदि वे ले पाएं तो ही इन्हें कोई छोटा उधार अधिकांशत: केवल स्थानीय साहूकारों, मित्रों व रिश्तेदारों से मिल पाता है। सूक्ष्म उद्यमों में संलग्न अन्य वित्तीय दृष्टि से कमजोर वर्गों को भी ऋण मिलने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

संस्थागत वित्त की उपलब्धता से ये सूक्ष्म उद्यम जीडीपी विकास एवं रोजगार सृजन के मजबूत माध्यम हो सकते हैं। इस अवसर के दोहन हेतु भारत सरकार ने 2015-16 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) की स्थापना की, जिसका अधिदेश निधि से वंचित सूक्ष्म उद्यमियों को निधि उपलब्ध कराना है।

भारत के माननीय वित्त मंत्री ने मुद्रा की परिकल्पना एवं भूमिका का परिचय फरवरी 2015 के अपने बजट भाषण में दिया था। उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था मुद्रा को मार्च, 2015 में एक सार्वजनिक सीमित दायित्व कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। इसे 7 अप्रैल, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया तथा अगले दिन 8 अप्रैल, 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश के सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की सहायता हेतु इसके आरंभ की घोषणा की गई।

मुद्रा के उद्घाटन के साथ ही, माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आरंभ की, जो सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने की एक योजना है।

[2] वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर 7% से अधिक रहना संभावित है। आईएमएफ़ वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट (जनवरी 2016) के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7%-7.75% के बीच रहने की संभावना है।

2

वित्तीय समावेशन का क्षेत्र

"वित्तीय समावेशन को यदि मोटे तौर पर परिभाषित किया जाए तो वह विविध प्रकार की वित्तीय सेवाओं तक कम लागत पर, सभी को पहुंच प्रदान करता है। इसमें न केवल बैंकिंग उत्पाद, बल्कि अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा और ईक्विटी उत्पाद भी शामिल हैं।"

- डॉ रघुराम राजन

2.1 वित्तीय समावेशन का एक दशक

अप्रैल, 2005 में मौद्रिक नीति पर जारी वार्षिक वक्तव्य में कहा गया था कि :

"बैंकों का विस्तार, अधिक प्रतिस्पर्धा एवं स्वामित्व का विविधीकरण हुआ है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता बढ़ी है और प्रणालीगत लचीलापन भी आया है। तथापि, ऐसे बैंकिंग व्यवहारों के संबंध में उचित चिंताएं हैं, जो जनसंख्या के बडे क्षेत्र विशेषकर पेंशनधारकों, स्वरोजगारितों एवं असंगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों को आकर्षित करने के स्थान पर उन्हें अलग छोड़ देती हैं। एक ओर जहां वाणिज्यिक मूल्यप्रदता महत्वपूर्ण हैं, वहीं चूंकि बैंकों को अत्यंत लाभप्रद आधार पर सार्वजनिक जमाएं लेने सहित अन्य कई विशेषाधिकार दिए गए हैं, अत: उन्हें समान आधार पर जनसंख्या के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में:

- भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी नीतियां लागू करेगा, जिससे बैंक व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित हों, साथ ही ऐसे बैंकों को प्रोत्साहन नहीं दिए जाएंगे जो समाज, विशेषकर वंचितों की बैंकिंग जरूरतों के प्रति संवेदी नहीं हैं।
- सेवाओं की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और लागत की निगरानी यह पता लगाने हेतु की जाएगी कि क्या आम आदमी को मूलभूत बैंकिंग सेवाएं देने में कोई स्पष्ट या अस्पष्ट अस्वीकृति है।
- बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं को वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप बनाएं।

इस घोषणा के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन की दिशा में पहला दृढ़ कदम उठाया। तब से भारतीय रिजर्व बैंक यह सतत प्रयास कर रहा है कि देश की जनता को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच मिले। नीतिगत प्रयासों, उत्पाद सुधारों, प्रक्रियाओं में सुधार और संपर्क बिंदुओं के विस्तार के साथ बैंक ग्राहकों को नए बैंक खाते खोलने हेतु प्रेरित कर सके हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के इन प्रयासों से एक सुस्पष्ट ग्रामीण उछाल आया। बैंक से रहित एवं अल्पबैंकिंग वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, आरंभिक चरण में 2000 निवासियों से कम की

संख्या वाले ग्रामों को शामिल किया गया, जबकि 500 व्यक्तियों से कम जनसंख्या वाले ग्रामों को बाद में कवर किया गया। समावेशन प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु प्रौद्योगिकी एवं एजेंसी नेटवर्क के उपयोग को भी बढ़ाया गया।

भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के प्रयासों को सघन किया और इसके लिए अधिदेश दिया कि सरकारी भुगतान जैसे नरेगा वेतन, पेंशन और अन्य सब्सिडियां बैंक खातों के माध्यम से दी जाएं, इस प्रकार निर्धनों को राशि प्राप्त करने हेतु बैंक खाते खोलने हेतु प्रोत्साहित किया गया ।

बैंकों के साथ, सहकारी समितियां और डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं । लगभग 6.5 करोड़ वेतन अर्जक नरेगा के भुगतान समर्पित डाकघर खातों से प्राप्त करते हैं । इंडिया पोस्ट के भुगतान बैंक खोलने की तैयारी के साथ, यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने हेतु तत्पर है।

बैंकिंग प्रतिनिधियों के आरंभ के साथ, बैंकिंग नेटवर्क तेजी से विस्तृत हुआ है। गांवों में बैंकिंग आउटलेट, जो मार्च 2010 में 67,694 थे, पांच वर्ष में आठ गुने तक बढ गए जबकि 7.35 करोड़ मूलभूत बैंकिंग खाते इस अवधि के दौरान पांच गुना हो गए। किन्हीं भी मानकों की दृष्टि से ये उत्कृष्ट विकास दरें हैं, जो बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रतिक्रियाशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट दर्शाती हैं। इससे सुदूर ग्रामीण इलाकों में लाखों नए ग्राहकों तक सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित हुआ है।

2.2 वित्तीय समावेशन की मौजूदा स्थिति

वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का आकलन कुछ संकेतकों से हो सकता है, जैसे बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या से। इसी प्रकार, इन सेवाओं के उपयोग के आकलन हेतु संकेतक हैं : खातों की संख्या, खाताधारकों की संख्या और लेनदेनों की संख्या ।

2.3 परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन – प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन धन योजना(जन धन योजना) की शुरूआत के साथ, समावेशन के परिप्रेक्ष्य में बदलाव

तालिका 2.1: वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में विस्तार

	2011	2012	2013	2014
ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) प्रति 1,00,000 वयस्क	8.85	10.99	12.87	17.80
वाणिज्य बैंकों की शाखाएं प्रति 1,00,000 वयस्क	10.51	11.18	11.84	12.84
वाणिज्य बैंकों के साथ जमा खाते प्रति 1,000 वयस्क	934.45	1,022.34	1,161.03	1,337.89
वाणिज्य बैंकों के साथ ऋण खाते प्रति 1,000 वयस्क	139.25	148.15	142.52	151.33

स्रोत : फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे, आईएफसी

आया। इसका पुनर्निर्धारण एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में हुआ, जिसकी देशभर में सर्वव्यापी उपयोगिता थी तथा इसका किसी क्षेत्र के बैंक सहित या बैंक रहित या कम बैंक वाला होने से कोई संबंध नहीं था और इसमें शहरी स्थानों को भी शामिल किया गया । जन धन योजना का उद्देश्य प्रत्येक ब्लॉक में सभी घरों हेतु शत प्रतिशत मूलभूत बैंक खाता सुनिश्चित करना था। बैंकों को देश भर में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के अधिदेश को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व दिया गया था ।

31 मार्च, 2016 तक लगभग 2,142.70 लाख जन धन योजना खाते खोले गए। इनमें से 1,317.10 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में थे, जबकि 825.60 लाख शहरी क्षेत्रों में थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जन धन योजना खातों में कवर किए गए घरों में से 96.3 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा की गई, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों का योगदान मात्र 3.7 प्रतिशत रहा।

जन धन योजना से, ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत बैंकिंग सेवाओं की जरूरत के अंतराल को प्राय: दूर कर दिया गया है। सुदूर राज्यों के कुछ ब्लॉकों को छोड़कर, देश में कवरेज पूर्ण हो गई है। नौ राज्यों को छोड़कर (जहां 99.8-100 प्रतिशत कवरेज है), अन्य सभी ने सभी घरों के लिए बैंक खातों की शत प्रतिशत कवरेज हो जाने की रिपोर्ट दी है ।

सरकार के नेतृत्व में लगातार चल रही निगरानी और समस्त बैंकिंग प्रणाली के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप प्रधानमंत्री जनधन योजना में ये परिणाम हासिल हुए हैं। न्यूनतम समयावधि में अधिकाधिक बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस अभियान का उल्लेख हुआ है।

हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 'शून्य' शेष वाले इन खातों में धनराशि रखने की कोई बंदिश नहीं थी, इसके बावजूद इनमें से लगभग 1.550 लाख खातों में राशि शेष थी। इन जनधन योजना खातों में कुल रु. 35,600 करोड़ की

तालिका 2.2: वित्तीय समावेशन हेतु जन धन योजना के आंकड़े, यथा 31 मार्च 2016

समस्त अनुसूचित बैंक	कुल	प्र.मं.जन धन योजना खातों में	कुल में प्र.मं.जन धन योजना का %
जमाएं (₹ करोड़)	99,26,500	35,600	0.36%
	कुल	अल्पवित्त संस्था/स्व सहायता समूह /मुद्रा/ बीएसबीडीए अतिदेय ऋण बकाया[1]	कुल के % के रूप में छोटे ऋण
ऋण (₹ करोड़)	77,25,300	2,39,700	3.10%

स्रोत: www.pmjdy.gov.in

(1. एसएचजी ऋण-बकाया संबंधी डाटा मार्च 2015 का है और बाद का डाटा अभी जारी नहीं हुआ है)

तालिका 2.3: वित्तीय समावेशन के कुछ संकेतक

वयस्कों की संख्या	84 करोड़[1]
परिवारों की संख्या (2011)[2]	24.66 करोड़
ग्रामीण परिवार (2011)	16.78 करोड़
जमा खातों की संख्या - वाणिज्य बैंक (मार्च 2015)[3] जिनमें से ग्रामीण खाते उनमें से जन धन योजना खाते	143.99 करोड़ 49.40 करोड़ 14.716 करोड़
बैंकों में बीएसबीडी खातों की संख्या (मार्च 2015)[4]	39.81 करोड़
गाँवों में बैंकिंग आउटलेट (मार्च 2015)[5] जिनमें शाखाएँ	5,53,713 49,571
जमा खातों की संख्या- डाक घर (मार्च 2015)[6]	39.93 करोड़
एनआरईजीएस खातों की संख्या-डाक घर (मार्च 2015)	6.49 करोड़
वाणिज्य बैंकों में खातों की संख्या (मार्च 2015)[7] जिनमें से ग्रामीण खाते	14.42 करोड़ 4.99 करोड़
अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई) में ऋण खातों की संख्या (मार्च 2015)[8]	3.71 करोड़
बचतकर्ता एसएचजी सदस्यों की संख्या (मार्च 2015)[9]	10.02 करोड़
उधारकर्ता एसएचजी सदस्यों की संख्या (मार्च 2014)	5.84 करोड़

स्रोत:

1. भारत की जनगणना के अनुसार 2011 में देश की आबादी 120 करोड़ थी। इसमें से लगभग 70 प्रतिशत आबादी वयस्कों की थी। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अनुमान है कि 2011 की आबादी में वयस्कों (15 वर्ष और अधिक) का प्रतिनिधित्व 71% है)
2. भारत की 2011 की जनगणना
3. बैंकों की बुनियादी सांख्यिकीय विवरणियाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक
4. भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 (www.rbi.org.in)
5. भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 (www.rbi.org.in)
6. इंडिया पोस्ट वार्षिक रिपोर्ट 2015-16- इसमें बचत खाते, एनआरईजीएस खाते, आवर्ती जमा खाते और मासिक आय योजना जमा शामिल हैं।
7. बैंकों की बुनियादी सांख्यिकीय विवरणियाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक
8. भारत माइक्रोफाइनैंस क्विक रिपोर्ट 2015-साधन
9. स्टेट ऑफ माइक्रोफाइनैंस 2014-15, नाबार्ड (www.nabard.org)

राशि जमा थी, जिसका प्रति खाता औसत लगभग रु. 1,700 आता है। इन खातों में लगभग 850 लाख खातों को यूनीक पहचान आधार नंबरों से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण अब सरकार की सहायता लाभग्राहियों तक निर्बाध पहुँच सकती है। युनिवर्सल बैंकिंग को लोगों के और नज़दीक ले जाने के उद्देश्य से खाता धारकों को 1,775.20 लाख रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनका इस्तेमाल एटीएम और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किया जा सकता है।

2.4 अन्य वित्तीय सेवाएँ

बुनियादी बैंकिंग से समावेशन का अवसर पैदा होता है, जबकि ऐसे प्रयास से वास्तविक वित्तीय सुरक्षा के लिए एक ऐसे व्यापक दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है, जिसमें आम जनता को लक्ष्य में रखने वाले अन्य सस्ते उत्पादों को शामिल किया गया हो।

शत-प्रतिशत परिवारों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ भारत सरकार ने बीमा और पेंशन आधारित विभिन्न उत्पादों को ऐसे गरीब परिवारों की पहुँच के भीतर लाने की कोशिश की है जो अभी तक वित्तीय सेवाओं के दायरे से बाहर थे। भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन में जान डालने के लिए जो प्रयास किए हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा हैः

- प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई): एक ऐसी जीवन बीमा योजना, जिसमें प्रतिवर्ष रु. 330 के प्रीमियम अंशदान पर प्रति बीमित व्यक्ति रु. 2 लाख का बीमा-कवर मिलता है। 31 मार्च 2016 तक इसमें 295.5 लाख व्यक्ति बीमाकृत हो चुके हैं।
- प्रधानमंत्री जनसुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): दुर्घटना बीमा योजना, जो बीमित व्यक्ति को प्रति वर्ष रु. 12 के प्रीमियम भुगतान पर रु. 2 लाख का बीमा कवर देती है। इसमें 31 मार्च 2016 तक 94 मिलियन आवेदन आ चुके हैं।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई): गरीब लोगों को अपनी वृद्धावस्था हेतु बचत करने के लिए प्रोत्साहित करनेवाली पेंशन योजना। इसमें 24.2 लाख व्यक्ति अंशदान कर चुके हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: जनवरी 2016 में आरंभ की गई नई फसल बीमा योजना, जिसमें कम प्रीमियम, नष्ट हुई फसल के पूरे मूल्य का बीमा कवर तथा नष्ट हुई फसल का प्रौद्योगिकी-आधारित मूल्यांकन करने जैसी विशेषताएँ समाहित हैं।

2.5 वित्तीय समावेशन से उम्मीदें

जनशक्ति की विविधतापूर्ण गुणवत्ता से संपन्न हमारे विशाल देश और प्रौद्योगिकी तथा संपर्क विषयक इसकी कई प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए, वित्तीय समावेशन का प्रयास निश्चय ही एक ऐसी उपलब्धि रही है जिसमें बेहतरी की संभावनाएँ दिखाई देती हैं। खाते खोलने की गति ने यह दिखा दिया है कि शुरुआती दिक्कतों और इसमें शामिल आकार की विकरालता के बावज़ूद इस प्रयास ने औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के प्रति गरीबों की आस्था को जगाने में कामयाबी हासिल की है।

परिवारों की कवरेज़ संतोषजनक रही है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2016 से पता चलता है कि व्यक्तियों के स्तर पर कवरेज में अंतराल रह जाने की संभावना है।[3] वर्तमान कार्यक्रम में सुस्पष्ट ऋण घटक भी नहीं है। जनसामान्य की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जन धन योजना खातों में परिकल्पित रु. 5000 का ओवरड्राफ्ट एक ऐसा समाधान है, जिससे अनर्जक आस्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। चूक की संभावना के चलते बैंक अपने खाता-धारकों को इस ओवरड्राफ्ट सुविधा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। जून 2016 के अंत तक कम से कम 37.3 लाख ओवरड्राफ्ट खाते मंजूर किए गए, जिनमें से 20.5 लाख ने उधार लिया।

'वित्तीय समावेशन में मध्यावधि पथ' की जाँच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री दीपक मोहन्ती, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति

[3] भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण - 2016, वित्त मंत्रालय, www.indiabudget.nic.in.survey.asp

गठित की। इस समिति ने ऋण और बीमा से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार किया, जिसमें परिवार के स्तर से ऊपर के बहिर्वेशन संबंधी मुद्दे भी शामिल थे। बचत, उधार, बीमा और भौगोलिक कवरेज की दृष्टि से व्यापक समावेशन हासिल करने के उद्देश्य से समिति ने निम्नलिखित दिशानिर्देश सुझाएः

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय समावेश के प्रयासों में तेजी लाई जाए,
- महिलाओं को लक्ष्य में रखते हुए और अधिक जन धन योजना खाते खोले जाएं,
- वर्तमान ब्याज अनुदान योजनाएं समाप्त की जाएं,
- छोटे और सीमान्त कृषकों के लिए अनुदान योजनाओं को बदलकर फसल बीमा योजना लागू की जाए,
- कृषि बीमा निगम को पुनर्संरचित करके फसल बीमा निगम बनाया जाए,
- संस्थागत, सूचनाप्रद एवं संपार्श्विक प्रतिस्थापन विकल्पों के ज़रिए एमएसएमई तक ऋण-प्रवाह में सुधार लाया जाए,
- लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों को ऋण गारंटी का दायरा बढ़ाया जाए,
- देश भर में बैंकिंग सुविधा-युक्त बिन्दुओं का पता लगाने के लिए जीआईएस मैपिंग प्रणाली शुरू की जाए,
- वित्तीय उत्पादों व सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में बढ़ोत्तरी की जाए,
- ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक एटीएम खोले जाएँ, ताकि हाल में जारी किए गए लाखों डेबिट कार्डों का उपयोग किया जा सके।

देश में सरकार, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाज़ारों का काम यह सुनिश्चित करना है कि औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में जन-साधारण का विश्वास कायम रहे और वास्तविक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न वित्तीय उत्पादों तथा सुविधाओं के उपयोग का अवसर उपलब्ध हो सके।

संक्षिप्त अवधि में हासिल हुई उल्लेखनीय प्रगति के कारण देश के सभी नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा देने के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के संबंध में लोगों और प्रशासन की आशाएं व आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। यह सुरक्षा दान से नहीं मिलने वाली, बल्कि कौशल-विकास, उद्यम-संवर्द्धन और एक ऐसे आर्थिक पारितंत्र के विकास के ज़रिए मिलेगी, जो आर्थिक गतिविधि के रास्ते संवृद्धि लाने वाली हो। इस लिहाज़ से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य यह है कि वित्तीय दृष्टि से वंचित लोगों के जीवन में इस प्रकार से बदलाव लाया जाए कि वे आधुनिक अर्थव्यवस्था में लाभप्रद रूप से सहभागिता कर पाएँ और उसका समग्र रूप से लाभ ले सकें।

2.6 मुद्रा और मुद्रा योजना का आगमन

मुद्रा की स्थापना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का उद्देश्य लघु, सूक्ष्म एवं अत्यन्त लघु उद्यमों के ऋण संबंधी अंतरालों को भरना तथा आर्थिक गतिविधि में स्फुरण लाना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य उद्यमों की रु. 10 लाख तक की ऋण-आवश्यकता को पूरा करना था, ताकि वे अपनी व्यवसाय-गतिविधियाँ आरंभ कर सकें या उन्हें बढ़ा सकें। 31 मार्च 2016 तक 34.88 मिलियन ऋण आवेदकों को कुल रु. 1,32,954 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है।

स्थापना के एक वर्ष के भीतर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बैंकों और लघु, सूक्ष्म व अतिलघु उद्यमों दोनों की कल्पना में छा गया है। एक नमूने के तौर पर, 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए संवितरण के तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इस खंड के तहत लगभग 68% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण का एक बड़ा अनुपात वृद्धिशील ऋण-वर्ग के अंतर्गत आता है तथा साथ ही इन उद्यमों को नए ऋण भी दिए जा रहे हैं। ऋण तक पहुंच के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि इन ऋणों से वित्तीय समावेशन का कार्य भी बढ़ रहा है।

2.7 छोटे लेनदेनों के लिए पृथक बैंक

जनवरी 2013 में 'छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं' विषय पर डॉ नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में भुगतान बैंकों, थोक बैंकों और थोक निवेश बैंकों सहित विशेषीकृत बैंकिंग ढांचों का प्रस्ताव रखा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों पर मसौदा दिशा-निर्देश 17 जुलाई, 2014 को जारी किए थे। मसौदा दिशा-निर्देशों पर प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतिम दिशा-निर्देश 27 सितंबर, 2014 को जारी किए। 16 सितंबर, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 आवेदकों को लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। इससे पहले, भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए 11 आवेदकों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। ये संस्थाएं भी देश में वित्तीय समावेशन में तेजी लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

2.8 आगे का रास्ता

बैंक खाते खोलने से उत्पन्न गति को जारी रखते हुए, भारत सरकार उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग कर व्यापक वित्तीय समावेशन का कार्य बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि शेष लोगों के लिए कठिनाई-मुक्त और रिसाव-रहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

सरकार के विचार में जनधन, आधार और मोबाइल (जाम त्रिमूर्ति), प्रौद्योगिकी, प्रसारण संवाहन तथा लास्ट माइल लिंकेज प्रदान करता है ताकि वित्तीय सेवाओं की लागत व समय कम हो सके, लाभों के वितरण की सटीकता में सुधार हो और लक्ष्य लाभार्थी को धन की प्राप्ति प्रमाणित हो।

घरेलू एलपीजी सब्सिडी और नरेगा दैनिक मजदूरी भुगतान प्रेषण (रूटिंग) पर किए गए प्रायोगिक अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार इससे लागत में बचत होती है और रिसाव में कमी आती है। इसके

अलावा, घरेलू रसोई गैस का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए करने में कमी आई है। नरेगा मामले में, भारत सरकार कई स्तरों के माध्यम का प्रयोग करने की बजाए सीधे जाम-त्रिमूर्ति के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में धन जमा करने पर विचार कर रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016 के अनुमान के अनुसार जाम से 14 फीसदी भुगतान रिसाव कम हो जाएगा, निधियों के वितरण की लागत में 38 प्रतिशत की कमी होगी और प्रवाहमान निधि की आवश्यकताओं में 26 फीसदी की कमी होगी, जिसके साथ ही ब्याज पर होनेवाली लागत में भी बचत होगी।

ग्राहक सेवा स्थल के रूप में व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) की शुरूआत, वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यवसाय प्रतिनिधि बैंक खातों से भुगतान की संभाल कर सकते हैं, सभी शेष व्यक्तियों के खाते प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलवा सकते हैं तथा बैंक खातों को सही आधार नंबरों से जोड़ सकते हैं - ये जाम के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को संभव बनाते हैं।

जाम के स्थिरीकरण से मुद्रा-ऋणों के उठाव में भी बढ़ोतरी होने की आशा है। निर्बाध मोबाइल आधारित भुगतान और प्राप्ति प्रणाली से व्यवसाय प्रतिनिधि वसूली स्थल के रूप में कार्य करते हैं तथा इस प्रणाली से लघु ऋणों के संवितरण और चुकौती की प्रक्रिया बेहतर बनती है।

पिछले दो वर्षों में बचत में हुई प्रगति की गति को देखते हुए, भुगतान व प्रेषण सेवाएं शीघ्र ही पूरी तरह हासिल कर ली जाएंगी ताकि संपूर्ण वित्तीय समावेशन की पूर्व तैयारी हो सके। ऋण और बीमा सेवाओं को सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि इन क्षेत्रों में जोखिम और संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे विद्यमान हैं।

वित्तीय समावेशन के संदर्भ में, मुद्रा का प्रयास उन लघु, सूक्ष्म और अति लघु उद्यमों को ऋण सुलभ कराना है जो ऋण लेने के लिए बैंकों के पास सम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में आस्तियां रखने में असमर्थ हैं तथा अपने व्यवसाय के खातों का रिकॉर्ड या विश्वासोत्पादक प्रस्ताव उन्हें प्रस्तुत नहीं कर पाते।

मुद्रा की भूमिका बैंकों और संभावित सूक्ष्म उद्यम ग्राहकों को एक मंच पर लाना है। इसके लिए वह मांग पक्ष को साक्षरता के माध्यम से उत्प्रेरित करता है और आपूर्ति पक्ष को समर्थन और प्रौद्योगिकी के बल से सक्रिय रखता है।

3

सूक्ष्म उद्यमों का सर्जक अल्प वित्त

अल्प वित्त से अभिप्राय ₹1 लाख तक के ऋणों से है जो आम तौर पर उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिनकी पहुंच वित्तीय सेवाओं, विशेष रूप से ऋणों तक नहीं होती। वैसे तो छोटी राशि के उधार 1980 के दशक के उतरार्द्ध में शुरू हो गए थे, लेकिन अपने मौजूदा रूप में अल्प वित्त को दो दशक नहीं हुए हैं। अल्प वित्त के ग्राहक शिक्षा, वित्तीय ज्ञान के अभाव, बैंकों के संतोषानुसार अपेक्षित दस्तावेज न दे पाना या सम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में आस्तियां रखने में असमर्थ होने के कारण अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं तथा एजेंटों की दलाली के चक्कर में पड़ जाते हैं। अल्प वित्त के सामान्य ग्राहक वे होते हैं जो निर्वाह स्तर की आजीविका में संलग्न होते हैं, जैसे छोटे और सीमांत किसान, मजदूर, हॉकर, छोटे व्यापारी, विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले, कुशल श्रमिक तथा ओएई प्रोपराइटर्स।

इन अल्प वित्त उद्यमियों की ऋण संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए, अल्प वित्त संस्थान मॉडल आरोहय (स्केलेबल) और व्यवहार्य सिद्ध हुआ है – इसके द्वारा 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। गहन बैंकिंग कवरेज के बावजूद, अल्प वित्त संस्थान 320 लाख से अधिक ग्राहकों के पसंदीदा स्रोत बन गए हैं, जिसका मुख्य कारण ऋण की सुलभता तथा उनके घर पर उसकी डिलीवरी है। अल्प वित्त संस्थानों ने दिखा दिया है कि सुभेद्य जनों को लेकर भी दीर्घकालिक व्यवसाय में उच्चस्तरीय उन्नति की जा सकती है।

छोटे उधारकर्ताओं के सूक्ष्म उद्यमों की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए अल्प वित्त संस्थानों की प्रासंगिकता और उपयुक्तता मुद्रा द्वारा भी रेखांकित की गई है, जिसके तहत मुद्रा ने ऋण देने में उनकी भूमिका को मान्यता दी है। आशा है कि मुद्रा बेहतर ढंग से शासित अल्प वित्त संस्थानों के माध्यम से लाखों छोटे उधारकर्ताओं की मदद करेगा, जिसके अंतर्गत सस्ती कीमत पर उपयुक्त उत्पाद दे कर भारत में अल्प वित्त क्षेत्र का विकास और उसकी मजबूती सुनिश्चित की जाएगी।

3.1 अल्प वित्त क्षेत्र में प्रगति

राजकोषीय वर्ष 2015-16 अल्प वित्त क्षेत्र में उत्कर्ष का दौर था। सबसे बड़े अल्प वित्त संस्थानों में शुमार होने वाला संस्थान बंधन माइक्रोफाइनेंस अगस्त 2015 में यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने आठ अल्प वित्त संस्थाओं को लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। दो अल्प वित्त संस्थाओं ने सार्वजनिक शेयर जारी किए तथा शेयर बाजार में उनका भव्य स्वागत हुआ। सूचीबद्धता के बाद उनके शेयर प्रीमियम पर आंके गए – जो इस क्षेत्र के लिए बदलती धारणा की प्रतीक थी। वर्ष के दौरान, इस क्षेत्र ने अभूतपूर्व संवृद्धि दर्ज की जो निम्नलिखित अनुकूल कारकों की वजह से संभव हो सकी – इक्विटी की पर्याप्त उपलब्धता, बैंकों द्वारा अधिकांश अल्प वित्त संस्थाओं को पूर्णत: वित्त प्रदान करना तथा मुद्रा व नाबार्ड द्वारा महत्वपूर्ण तरलता सहयोग दिया जाना।

वर्ष 2015-16 के दौरान अल्प वित्त संस्थान क्षेत्र का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। 166 अल्प वित्त संस्थानों, जो सा-धन के हिस्से हैं, के आंकड़ों में वर्ष 2015-16 के दौरान ऋण संवितरण में पिछले वर्ष की तुलना में 27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।[4] ₹63,853 करोड़ का सकल बकाया ऋण संविभाग पिछले साल के मुकाबले 31 फीसदी ज्यादा था। दक्षिण भारत में ऋण संविभाग का हिस्सा 40 प्रतिशत रहा तथा उसके बाद मध्य (19 प्रतिशत), पूर्व (18 प्रतिशत) और पश्चिम (14 प्रतिशत) क्षेत्र रहे। वर्ष 2015-16 के दौरान संवितरण ₹72,345 करोड़ तक जा पहुंचे जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक थे। यथा 31 मार्च, 2016, ग्राहक पहुंच 399 लाख थी जो पिछले साल के मुकाबले 8% बढ़ी।

गैर बैंकिंग वित्त संस्थान-अल्प वित्त संस्थानों ने ग्राहक पहुंच में 85% और बकाया संविभाग में 88% का योगदान दिया है। यह स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अतिरिक्त है। इस कार्यक्रम ने भी वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की और अल्प वित्त संस्थान क्षेत्र के लगभग बराबर की राशि के बकाया संविभाग को स्पर्श किया।

[4] द भारत माइक्रोफाइनान्स रिपोर्ट (साधन)

तालिका 3.1: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रेणी की अल्प-वित्तपोषण संस्थाओं का कार्यनिषअपादन यथा 31 मार्च, 2016

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पहुंच (₹ लाख)	237	199	194	234	226	325
सकल ऋण संविभाग (करोड़ ₹ में)	16,681	14,951	16,281	23,227	37,988	53,233
उधारियाँ (करोड़ ₹ में)	5,442	4,333	7,943	12,033	22,029	33,706
प्रति खाता औसत ऋण बकाया (₹ में)	7,030	7,533	8,689	10,364	12,795	16,394

स्रोत: mfinindia.org

56 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रेणी की अल्प-वित्तपोषण संस्थाएं, जोकि अल्प-वित्तपोषण संस्था नेटवर्क (एमफिन) का हिस्सा है, के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार ऋण संवितरण में गत वर्ष से 65 प्रतिशत की अधिक संवृद्धि देखने में आई।[5] यथा दिनांक 31 मार्च, 2016 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रेणी की अल्प-वित्तपोषण संस्थाओं का सकल ऋण संविभाग ₹53,233 करोड़ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं। गत वर्ष की तुलना में इसके 84 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 2015-16 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रेणी की अल्प-वित्तपोषण संस्थाओं के संबंध में ग्राहक पहुंच में 44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी 2008-09 से अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रही। इतना ही नहीं, अल्प-वित्तपोषण संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर में भी 3 प्रतिशत तक की कमी आई है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनी हैं।

संसाधन बढ़ाने हेतु एमएफआई ने उधारियों के अतिरिक्त अपने संविभाग के प्रतिभूतिकरण के माध्यम से विक्रय भी किया है। एमएफआई ने ₹11500 करोड़ की राशि का प्रतिभूतिकरण करार अपने संविभाग को वित्तीय बैंकों को बेचने से किया है जो कि वर्ष 2014-15 के मुकाबले दुगुने से भी अधिक थी। मुद्रा ने भी पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) के माध्यम से प्रतिभूतिकरण परिचालनों में भाग लिया। वर्ष 2016-17 में प्रतिभूतिकरण लेनदेन में और अधिक वृद्धि की संभावना है।

[5] एमफिन वित्तीय सेवाएं क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त पहला स्व-विनियमति संगठन है जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रेणी की अल्प-वित्तपोषण संस्थाओं का विनियमन करता है ताकि जवाबदेह उधार प्रक्रिया और ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। एमफिन अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है और बृहत् वित्तीय समावेशन संवाद में अल्प-वित्तपोषण के माध्यम से सक्रिय सहभागिता करता है।

3.2 प्रति उधारकर्ता ऋण राशि में वृद्धि

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति उधारकर्ता ऋण सीमा दुगनी यानी ₹50000 से बढ़ा कर ₹100000 करने से एमएफआई संविभाग में बड़े पैमाने पर संवृद्धि हुई है। उच्च व्यावसायिक संवृद्धि की प्राप्ति हेतु कुछ एमएफआई ने भी प्रथम चक्र से ही ऋण की मात्रा में वृद्धि की है।

एमफिन के आंकड़ों के अनुसार औसत ऋण वितरण 2014-15 के ₹14731 के मुकाबले 2016-17 में ₹17805 हो गया है। औसत ऋण संविभाग 2015-16 के दौरान ₹3,600 तक बढ़ कर ₹16,394 तक हो गया है। ऋण के आकार में पिछले दो वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, अलग - अलग एमएफआई के बीच काफी अंतर है। शीर्ष 10 एमएफआई में औसत बकाया ऋण ₹11,961 से लेकर ₹23,773 के बीच में था। यह देखते हुए कि एमएफआई समान संदर्भों में कार्य करते हैं और एक ही प्रकार के ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, आगे यह पता लगाना जरूरी है कि इतनी विस्तृत रेंज का क्या औचित्य है ।

जब तक किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया ऋण समुचित सीमा में हो, तब तक समूह के अन्य सदस्य उनकी संयुक्त देयता गारंटी को पूरा करने में सक्षम हैं। लेकिन जब समुचित सीमा से परे ऋण का आकार बढ़ता है, तो गारंटीकर्ताओं को एमएफआई के प्रति उनके सामूहिक दायित्वों को पूरा करना और अधिक

कठिन हो जाता है। परिणामत: एमएफआई के लिए हाल ही में संशोधित आचार संहिता में निर्धारित किया गया है कि ₹60,000/- से अधिक का ऋण, समूह की गारंटी के बदले में न देकर व्यक्तिगत ऋण के रूप में दिया जाए।

तथापि, यह माना जाता है कि प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में कुछ सार्थक व्यावसायिक आस्तियों का सृजन हुआ है।

3.3 मुद्रा - एमएफआई को निधियों सहायता

मुद्रा के सृजन से अल्प वित्त वित्तीयन आर्थिक पारितंत्र को बल मिला है। मुद्रा ने एमएफआई को वित्त के माध्यम से ₹616 करोड़ प्रदान किए हैं। शेष बैंकिंग प्रणाली ने उनके प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण दायित्वों को पूरा करने हेतु ऋण प्रदान किए हैं और प्रतिभूतिकृत आस्तियां क्रय की हैं।

एमफिन ने रिपोर्ट किया है कि 2015-16 के दौरान एमएफआई द्वारा वित्तीय संस्थानों से ली गयी उधारियां लगभग ₹33,700 करोड़ की थी जिसकी वर्ष दर वर्ष वृद्धि 53 प्रतिशत की है। कम जोखिम और सूक्ष्म

ऋण पर वापसी की उचित दरों ने बैंकों को पिछले चार वर्षों में एमएफआई में अपने जोखिम में वृद्धि कपने हेतु उत्साहित किया है।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के दायित्वों को निभाने के प्रयोजन से आस्ति श्रेणी के रूप में अल्प वित्त संस्थानों के लिए थोक ऋण निवेश की उपलब्ध आस्तियों के समूह में बेहतर प्रमाणित हुई हैं। अपने निधि स्रोतों में विविधता लाने हेतु एमएफआई ने पूंजी बाजार से कर्ज वित्त जुटाने के लिए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी किए लेकिन ये संख्या में कम थे।

3.4 एमएफआई क्षेत्र की संभावनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएफआई हेतु संस्थाओं को एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत किए जाने के विनियमन से इस क्षेत्र के निष्पादन और व्यवहार में स्तरीय सुधार हुआ है। उद्योग ने स्वेच्छा से आचार संहिता अपनायी है जो उपभोक्ताओं और कारोबारी लेनदेन के प्रति उनके उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण का निर्धारण करता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बनाए रखने में इससे सहायता मिलती है। इस संहिता में हाल ही में किए गए संशोधन से विनियामक और बाजार के परिवर्तन भी इसमें शामिल किए गए।

एमएफआई ने अपनी उधार और निगरानी प्रक्रियाओं में उपभोक्ता संरक्षण उपायों को शामिल किया है। एमएफआई ऋणों के मूल्य को नियंत्रित करने के प्रयास स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्जिन की अधिकतम सीमा आरंभ की है। आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ज्यादातर एमएफआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा में ब्याज दरें लगा रहे हैं। एमएफआई के कार्यनिष्पादन में पिछले तीन सालों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि परिचालन लागत में कमी, उच्च वसूली दक्षता और लाभप्रदता से संबंधित है। 30 दिन से अधिक के ऋणों के संविभाग का जोखिम (सकल ऋण संविभाग) का स्तर कम यानी 0.33 प्रतिशत रहा। इससे चुकौती के मामले में सशक्त प्रक्रिया अपनाकर अपना व्यवसाय बढ़ाने के विषय में एमएफआई की क्षमता प्रमाणित होती है। ब्याज दरों में गिरावट आने के बावजूद भी परिचालन लागत में कमी और बढ़ती लाभप्रदता स्वागतयोग्य संकेत हैं।

3.5 परिचालन लागत और लाभप्रदता की चिन्ताएँ

उच्च वृद्धि दर से पैदा होने वाली एक प्रमुख चिन्ता अत्यधिक ऋणग्रस्तता की है जो उधारकर्ताओं पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है

कि ऋण कुछ अंचलों तथा कुछ परिवारों में ही संकेंद्रित हो सकता है, जिससे एमएफआई के पोर्टफोलियो की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। एनबीएफसी-एमएफआई के ऋणों की संख्या की तुलना में संविभाग बकाया में लगभग दुगुने की वृद्धि यह दर्शाती है कि पिछले दिनों बढ़ी हुई राशि के ऋणों का आकार कहीं अधिक रहा है।

वर्ष के दौरान कुछ एमएफआई में सतत वृद्धि दर दर्ज हुई है, जबकि अन्य की दर औसत रही है। समग्र रूप से एमएफआई में जीएलपी वृद्धि दर 19 प्रतिशत से 194 प्रतिशत के बीच रही। एमएफआई ने अपने संवृद्धि संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी व्यवसाय-रणनीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, किन्तु जहाँ तक सभी हितधारकों- और खासकर ग्राहकों के हितों की समान रूप से रक्षा का संबंध है, उनके (एमएफआई के) अभिशासन के बारे में चिन्ताएँ बनी हुई हैं।

एमफिन के अनुसार, 2015-16 के दौरान ग्राहकों तक पहुँच और संवितरित ऋण संविभाग के मामले में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सर्वोपरि पाँच राज्य रहे। सम्मिलित रूप से ग्राहकों की दृष्टि से उनका हिस्सा 59 प्रतिशत, बकाया ऋण की दृष्टि से 60 प्रतिशत और ऋणों की दृष्टि से 59 प्रतिशत रहा। सर्वोपरि 10 राज्यों का हिस्सा उधारकर्ताओं की दृष्टि से 86 प्रतिशत रहा, जबकि शेष 20 राज्यों में 14 प्रतिशत ग्राहक थे। इससे भारत में अल्प वित्त के असमान वितरण का पता चलता है। दूसरे राज्यों में अल्प वित्त की पहुँच का विस्तार करने को प्राथमिकता दी जा रही है। मुद्रा ने अगले तीन वर्षों में इस पर अपनी ऊर्जा लगाने का इरादा बनाया है।

3.6 एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम

एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम भी समुचित गति से आगे बढ़ रहा है। संविभाग की वृद्धि दर पहुँच की वृद्धि दर से कहीं अधिक रही है। इसका आशय यह है कि समूहों को औसतन अधिक ऋण संवितरित हुए हैं। अल्प वित्त संस्थाओं की तुलना में एसएचजी ऋणों की अदायगी में चूक की दर अधिक रही। इसके बावजूद, एसएचजी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्गों तक ऋण-प्रवाह को संभव बनाते हैं। इस प्रकार वे वित्तीय समावेशन के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति करते हैं।

3.7 निष्कर्ष

पिछले तीन वर्षों में भारत में संवृद्धि के मामले में एमएफआई के अनुभव ने वित्तीय दृष्टि से वंचित वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अल्प वित्त संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया है। अल्प वित्त क्षेत्र की बढ़त कुल मिलाकर बेलगाम किन्तु अनुशासित और विनियमित तरीके से हुई है। इससे इस क्षेत्र के दीर्घजीवी होने की आशा जगती है। सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की दृष्टि से यह एक अच्छी खबर है। फलतः इन उद्यमों से देश के समाजार्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए आय अर्जन और रोजगार सृजन सुनिश्चित होगा।

तालिका 3.2: एसएचजी - बैंक लिंकेज विहंगावलोकन

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पहुँच में आए सदस्य (लाख)	380	471	540	596	625	566	579	546	584	599.6
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)		23.90	14.60	10.40	4.90	-9.40	2.30	-5.70	6.96	2.67
बकाया ऋण (रु. करोड़)	12,366	16,999	22,676	27,266	30,619	36,341	39,375	42,927	51,221	57,119
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)		37.50	33.40	20.20	12.30	18.70	8.30	9.02	19.32	10.8

स्रोत: नाबार्ड - रिपोर्ट ऑन द माइक्रोफाइनैंस सेक्टर

4

मुद्रा – वंचितों का निधीयन

प्रधानमन्त्री जनधन योजना और आधार से वित्तीय समावेशन हेतु सृजित अनुकूल प्राथमिक पारितंत्र के साथ आर्थिक इंजन को आगे बढ़ाने के लिए जिस अगले महत्त्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है, वह है मुद्रा । गैर निगमित सूक्ष्म व्यवसाय से संबंधित बड़ी संख्या में लगभग 5.77 करोड़ सूक्ष्म इकाइयां जिसमें 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और जो कम से कम इससे पाँच गुना लोगों के जीवन यापन में सहयोग करती हैं, मात्र जीवन-निर्वाह योग्य पर काम कर रही हैं । इनमें से अधिकतर उद्यमी आर्थिक रूप से कमजोर समाजार्थिक समाज से आते हैं जिनको औपचारिक स्रोतों से अचल आस्तियों के लिए अथवा कार्यशील पूंजी के लिए ऋण नहीं मिल पाता । मुद्रा का मुख्य उद्देश्य निधियों से वंचित ऐसे उद्यमियों का निधीयन है जिसके लिए मुद्रा पुनर्वित्त के जरिए सहायता उपलब्ध कराता है तथा ऐसी गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाले को तथा ऐसे ऋणदाताओं को ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराना है ।

मुद्रा के व्यवसाय क्षेत्र में आय अर्जित करने वाली विनिर्माण, व्यापार, एवं सेवा क्षेत्र की ₹10 लाख तक की ऋण वाली सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं । राजकोषीय वर्ष 2016-17 से कृषि संबंधित कार्यकलापों वाले सूक्ष्म उद्यमों को भी प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना ऋणों में शामिल किया गया है । प्रधानमन्त्री जनधन योजना के अंतर्गत मंजूर ₹5,000 के ओवर ड्राफ्ट राशि को भी प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण का हिस्सा माना जाता है ।

4.1 मुद्रा के व्यवसाय परिचालन

मुद्रा मौजूदा संस्थाओं के प्रयासों का अनुपूरक है जिसके लिया वह वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सूक्ष्म उद्यमों के उधारकर्ताओं को पुनर्वित्त के माध्यम से निधि सहायता उपलब्ध कराता है और उनके ऋण आस्तियों का प्रतिभूतीकरण भी करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹20,000 करोड़ की राशि आवंटित की है । यह राशि बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अदत्त राशि में से "मुद्रा पुनर्वित्त निधि" के रूप में आवंटित की गयी है । मुद्रा की

कार्यशील निधि इस आवंटन और मुद्रा की अपनी शेयर पूंजी मिलाकर बनी है ।

वर्ष के दौरान मुद्रा ने ₹3783.21 करोड़ की मंजूरियां एवं ₹3337.21 करोड़ के संवितरण किए । इन मंजूरियों में गैर बैंकिंग कंपनियों को मंजूर ₹250 करोड़ की असंवितरित राशि भी शामिल है ।

4.1.1 पुनर्वित्त

सूक्ष्म उद्यमों को वित्त प्रयास करने में संलग्न वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां एवं अल्प वित्त संस्थाएं मुद्रा से पुनर्वित्त पाने के लिए पात्र होंगी बशर्ते वे मंजूरियों के लिए न्यूनतम मानदंडों की निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों ।

4.1.1.1 वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त

मुद्रा द्वारा नामांकित साझीदारों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक एवं 17 निजी क्षेत्र के बैंक सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त ले सकते हैं। मुद्रा पुनर्वित्त निधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मुद्रा पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए अधिसूचित वाणिज्य बैंकों को उधारकर्ताओं को अपने आधार दर पर दिए गए ऋणों के लिए ही मुद्रा पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा होगी। मुद्रा ने वर्ष 2015-16 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 16 बैंकों को पुनर्वित्त दिया है।

संस्था	मंजूर राशि (₹ करोड़ में)	संवितरित राशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्यिक बैंक	2,432	2,432

4.1.1.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त

56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से मुद्रा के साझीदारों के रूप में सूचीबद्ध 35 साझीदार बैंक पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुद्रा उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के लिए 3.5 प्रतिशत तक ब्याज मार्जिन के साथ पुनर्वित्त ले सकते हैं। मुद्रा ने राजकोषीय वर्ष 2015-16 के दौरान तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त दिया है।

संस्था	मंजूर राशि (₹ करोड़ में)	संवितरित राशि (₹ करोड़ में)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	239.25	239.25

4.1.1.3 सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त

वित्तीय कार्य निष्पादन के मानदंडों के आधार पर अन्य बैंकों में से 2 सहकारी बैंकों एवं 11 अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों को भी साझीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भांति सहकारी बैंकों से भी अपेक्षित है कि वे पुनर्वित्त के लिए मुद्रा द्वारा प्रभारित ब्याज दर से 3.5 प्रतिशत से अनधिक ब्याज दर पर उधार दें। तथापि किसी भी सहकारी बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान मुद्रा से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त नहीं की ।

4.1.1.4 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों / अल्प वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त

सूक्ष्म उद्यमियों को दिए गए ऋण के लिए अल्प वित्त संस्थाएं मुद्रा से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने के लिए

पात्र हैं। तदनुसार मुद्रा ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों – अल्प वित्त संस्थाओं और अन्य अल्प वित्त संस्थाओं के वित्तीय एवं अन्य अर्ह मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाओं के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। वर्ष 2015-16 के दौरान मुद्रा ने 22 अल्प वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है।

संस्था	मंजूर राशि (₹ करोड़ में)	संवितरित राशि (₹ करोड़ में)
अल्प वित्त संस्थाएं	812	616

4.1.2 ऋण आस्तियों का प्रतिभूतीकरण

मुद्रा ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और अल्प वित्त संस्थाओं की ऋण आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के लिए भी सहायता प्रदान की है जिससे कि उनको अपने परिचालनों के लिए पूंजी बाजार से ऋण निधि प्राप्त करने में आसानी हुई। तदनुसार मुद्रा बोर्ड ने निम्नलिखित योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया।

- आंशिक द्वितीय हानि गारंटी प्रदान करना
- बांड जारी करने के लिए आंशिक पूल्ड गारंटी उपलब्ध कराना
- पीटीसीएस में निवेश

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान मुद्रा ने एक अग्रणी अल्प वित्त संस्था द्वारा शुरू किए गए ऋण संविभाग हेतु पीटीसीएस में प्रथम बार निवेश किया ।

संस्था	मंजूर राशि (₹ करोड़ में)	संवितरित राशि (₹ करोड़ में)
पी टी सी में निवेश (वरिष्ठ अंश)	49.96	49.96

4.1.3 समग्र व्यवसाय

यथा 31 मार्च 2016 मुद्रा का बकाया पुनर्वित्त संविभाग ₹3,291.66 करोड़ रहा।

संस्था	₹ करोड़
बैंकों	2,426.16
अल्प वित्त संस्थाएं	576.29
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों	239.25
प्रतिभूतीकरण	49.96
कुल	3,291.66

4.2 मुद्रा के अन्य प्रकार्य

4.2.1 संसाधन प्रबंध

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अदत्त राशि में से मुद्रा द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान "मुद्रा पुनर्वित्त निधि" में ₹5,000 करोड़ की राशि जुटाई गई. इस राशि के साथ सिडबी जो कि मुद्रा की धारक कंपनी है, शेयर पूंजी से आहरित ₹750 करोड़ के योगदान से इस वित्तीय वर्ष की कार्यशील निधि बनायी गयी ।

4.2.2 प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना की निगरानी

मुद्रा को प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना की निगरानी का कार्यभार भी सौपा गया है। मुद्रा ने इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया है। इसमें प्रतिभागिता वाले बैंकों और अल्प वित्त संस्थाओं से साप्ताहिक आधार पर असमेकित जानकारी प्राप्त की गयी। जो आंकड़ों प्राप्त किए गए उनसे तैयार विभिन्न रिपोर्टों का उपयोग कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए किया गया।

4.2.3 नये उत्पादों का विकास

मुद्रा ने उधारकर्ताओं को कठिनाईमुक्त एवं लचीली कार्यशील पूंजी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रुपे प्लेटफार्म पर डेबिट कार्ड – मुद्रा कार्ड की शुरुआत की ।[6] कई साझीदार बैंकों ने मुद्रा कार्ड योजना को अपनाते हुए कार्यशील पूंजी का संवितरण किया।

4.2.4 सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि

वर्ष के दौरान सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि(सीजीएफएमयू) परिचालित की गयी। ₹3,000

[6] शिशु (< ₹50,000), किशोर (₹50,001 - ₹5,00,000) और तरुण (₹5,00,001 - ₹10,00,000), पीएमएमवाई के तहत ये तीन ऋण श्रेणियाँ हैं ।

मुद्रा कार्ड

वर्तमान विश्व में जहां भुगतान और निस्तारण में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए भी इसके साथ अद्यतन होना आवश्यक है। बैंकिंग के क्षेत्र में डेबिट / क्रेडिट कार्ड डिजिटल भुगतान का सर्वाधिक सरल स्वरूप है। लघु / सूक्ष्म उद्यमियों को क्रडिट/डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने से वे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सशक्त हो सकेंगे।

मुद्रा के लक्ष्य समूह में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नि:संदेह सर्वाधिक है। अधिकांश सूक्ष्म उद्यमों को लचीले ऋण की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को समझते हुये मुद्रा ने मुद्रा कार्ड आरंभ किया है जोकि एक रुपे डेबिट कार्ड है, जोकि उन सभी एटीएम तथा पीओएस मशीनों पर स्वीकार्य होता है जहां रुपे परिचालित है।

मुद्रा कार्ड एक लचीला ऋण उत्पाद है जोकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि इसका उपयोग करके वे किसी भी एटीएम से नकदी आहारित कर सकते हैं, अथवा किसी भी पीओएस मशीन से माल खरीद सकते हैं, जिससे उनपर ब्याज का बोझ कम पड़ता है। अधिकतर बैंकों ने इस उत्पाद को अपनाया है तथा प्रथम वर्ष के दौरान ही आरंभ भी कर दिया है।

वर्ष के दौरान ₹1476.96 करोड़ की राशि हेतु 5.17 लाख मुद्रा कार्ड जारी किए गए हैं। इसमे से उधारकर्ताओं द्वारा ₹1391.25 करोड़ आहारित किए जा चुके हैं जिंका औसत ₹28,567/- प्रति मुद्रा कार्ड होता है।

सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि

माननीय वित्तमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार मुद्रा ऋणों हेतु ₹3000 करोड़ के आरंभिक कॉर्पस के साथ एक पृथक क्रेडिट गारंटी निधि का गठन किया गया। विभिन्न क्रेडिट गारंटी निधियों का प्रबंधन करने वाली सिडबी की सहयोगी संस्था एनसीजीटीसी मुद्रा क्रेडिट गारंटी योजना का क्रियान्वयन करेगी। उक्त निधि का गठन 2015-16 के दौरान किया गया था तथा योजनाओं का अधिसूचन भारत सरकार की गज़ट अधिसूचना के माध्यम से 18 अप्रैल, 2016 को किया गया। चूंकि इस निधि के अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों को कवरेज प्रदान किया जा रहा है इसलिए गारंटी कवर इकाई विशेष हेतु न होकर पोर्टफोलियो के आधार पर होगा। इस से जमीनी स्तर पर ऋण के प्रवाह में वृद्धि होने की आशा है।

करोड़ की सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि में से ₹500 करोड़ की प्रथम किश्त प्राप्त की गयी। निधि का परिचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

8 अप्रैल 2015 को या उसके बाद दिए गए सभी मुद्रा ऋण 18 अप्रैल 2016 को अधिसूचित सीजीएफएमयू के अंतर्गत कवर के लिए पात्र होंगे। क्रेडिट गारंटी के लिए सदस्यों के पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है।

4.3 अन्य पहल

4.3.1 हितधारकों की बैठक

मुद्रा की स्थापना के बाद शीघ्र ही, सिडबी/मुद्रा द्वारा संगठित हितधारकों की बैठकें राष्ट्रीय(दिल्ली में) और क्षेत्रीय (पटना एवं जयपुर) स्तर पर आयोजित की गईं। इन बैठकों में प्राप्त कुछ सिफारिशों(विस्तृत विवरण नीचे) को पहले से ही अपनाया और लागू किया जा चुका है।

- मुद्रा पुनर्वित्त कोष से धन लेकर वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजनाएँ आरंभ करना

हितधारकों की बैठकें

मुद्रा के उत्पादों, प्रक्रियाओं, मूल्यन तथा सहभागियों के विषय में चर्चा हेतु 25 मार्च, 2015 तथा 22 अप्रैल, 2015 को राष्ट्रीय स्तर की दो हितधारक बैठकें आयोजित की गईं। मुद्रा / पीएमएमवाई पर बैंकों/ आरआरबी/ एमएफ़आई के अभिमत प्राप्त करने हेतु पटना, जयपुर तथा अन्य केन्द्रों पर क्षेत्रीय परामर्श बैठकें भी आयोजित की गईं। स्व-विनियामक संस्थाओं (एसआरओ) एमएफ़आईएन तथा साधन की सदस्य संस्थों के साथ भी परामर्श बैठकें आयोजित की गईं।

- सिडबी फाउंडेशन फार माइक्रो क्रेडिट (एसएफएमसी) फाइनेंसिंग मॉडल को अपनाना और एसएफएमसी वर्टिकल में नामांकित अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए इस योजना का विस्तार करना[7]
- मुद्रा लाभार्थियों को कार्यशील पूंजी सुविधा देने के लिए रुपे प्लेटफार्म के माध्यम से मुद्रा कार्ड प्रदान करने की शुरुआत करना
- भागीदार संस्थाओं के ऋण पोर्टफोलियो के प्रतिभूतीकरण के माध्यम से ऋण की वृद्धि प्रदान करना

4.3.2 जागरूकता और विस्तार

सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और मंजूर ऋणों की संख्या को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से, शिशु वर्ग के अंतर्गत- मुद्रा ने 1 सितंबर से 2 अक्टूबर 2015 के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया जो, भारत सरकार की पहल पर देश भर में क्रेडिट शिविरों के आयोजन के साथ – साथ चला ।

[7] बैंक द्वारा सिडबी फाउंडेशन फार माइक्रो क्रेडिट (एसएफएमसी) जनवरी 1999 में प्रारंभ किया गया था।

5

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पीएमएमवाई – सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई – जिसे भारतीय बैंकिंग हलकों में मुद्रा ऋण योजना के रूप में भी जाना जाता हैइसका उद्देश्य न केवल सूक्ष्म उद्यमों के लिए, वित्त की खाई को पाटना है, बल्कि पहली पीढ़ी के उद्यमियों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और मौजूदा छोटे कारोबारियों को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने हेतु मदद भी करना है। एनसीएसबीएस और ओएई के अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटी विनिर्माण इकाइयों में लगे स्वामित्व और साझेदारी फर्म, सेवा क्षेत्र के उद्यम, दुकान चलाना, फल और सब्जी बेचना, ट्रकिंग, खाद्य सेवाओं का संचालन, मरम्मत और रखरखाव, मशीन संचालन, लघु उद्योग चलाना, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प बनाने कारीगरों)) सहित ये सभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत संभावित मुद्रा उधारकर्ताओं में आते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद से, कृषि से संबद्ध गतिविधियों को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे हुए आय सृजन करनेवाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹10 लाख तक मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मुद्रा ऋण जीवन-चक्र के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। ये तीन श्रेणियाँ लाभार्थियों की वृद्धि, विकास और वित्तपोषण की जरूरत को दर्शाती हैं।

- शिशु: ₹50,000 तक के ऋण
- किशोर: ₹50,001 से ₹5,00,000 तक के ऋण
- तरुण: ₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक के ऋण

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत मंजूर ₹5000 की ओवरड्राफ्ट राशि को भी मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के अर्जन तथा/ या कार्यशील पूँजी और विपणन से संबंधित आवश्यकताओं के लिए पात्र उधारकर्ताओं को आवश्यकता आधारित सावधि ऋण, ओवरड्राफ्ट सीमा या मिश्रित ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण की मंजूरी के लिए परियोजना लागत, कारोबार की योजना और प्रस्तावित निवेश के आधार पर स्वीकार की जाती है। मुद्रा द्वारा समय-समय पर नामांकित बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई और अन्य वित्तीय मध्यवर्ती, मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए पात्र हैं।

ऋणकर्ताओं को परेशानी मुक्त और लचीली कार्यशील पूंजी सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए, मुद्रा ने मुद्रा कार्ड की शुरूआत की है । यह रुपे प्लेटफार्म पर आधारित एक डेबिट कार्ड है जो किसी भी एटीएम और 'बिक्री के प्वाइंट' (पीओएस) मशीनों पर संचालित किया जा सकता है। ऋणकर्ता अपनी आवश्यकता के आधार पर, ऋण संबंधी जरूरतों के लिए एटीएम से धन प्राप्त कर सकता है और धन उपलब्ध रहने पर ऋण चुकाने के लिए पीओएस मशीन के माध्यम से भुगतान कर ऋण प्रबंधन में सक्षम हो सकता है। कई सहयोगी बैंकों/एमएफआई ने मुद्रा कार्ड योजना अपनाकर कार्यशील पूंजी ऋण संवितरित किए हैं।

पीएमएमवाई के तहत उधार शर्तें, जैसे, मार्जिन, ब्याज दर और प्रतिभूति, आदि, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2014 को 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' को ऋण पर जारी मास्टर परिपत्र (पैरा 4.2) के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को आदेश दिया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों के लिए ₹10 लाख रुपये तक के ऋणों के मामले में जमानती प्रतिभूति न लें। जहां कभी जरूरत महसूस हो, बैंक अपने शाखा स्तर के पदाधिकारियों को ऋण गारंटी योजना कवर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें ।[8] इस मामले में, एक समर्पित गारंटी कोष "सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड' (सीजीएफएमयू) का गठन कर दिया गया है और इसका परिचालन भी शुरू कर दिया है।

5.1 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना(पीएमएमवाई) का कार्यान्वयन और निगरानी

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (ईपीएमएमवा का आरंभ 8 अप्रैल, 2015 को हुआ और यह इसी दिन से प्रभावी हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने समारोहपूर्वक कुछ उधारकर्ताओं को ऋण राशि सौंपकर इस योजना का शुभारंभ किया था।

वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की बारीकी से निगरानी के लिए 'मिशन मुद्रा' का गठन किया है। बैंकों के साथ डीएफएस अधिकारियों द्वारा समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम के समय पर कार्यान्वयन और निगरानी में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति पर मुद्रा द्वारा निगरानी रखी जा रही है, वहीं नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ अनुपालन कर इसे समर्थन दिया जा रहा है। एमएफआई की प्रगति की निगरानी एनबीएफसी-एमएफआई खंड, जिसने सूक्ष्म ऋण वितरण करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, के संबंध में एमफिन द्वारा की जा रही है तथा गैर-एनबीएफसी-एमएफआई के संबंध में यह सा-धन द्वारा की जा रही है।[9]

प्रभावी निगरानी के लिए, मुद्रा वेबसाइट (www.mudra.org.in) पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ा एक समर्पित पोर्टल डाला गया है जो इस योजना के तहत विभिन्न संस्थानों के प्रदर्शन पर साप्ताहिक डेटा जमा करता है। यह पोर्टल ऋण की प्रकृति और ऋण लेने वालों की श्रेणियों अर्थात, नए उद्यमियों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और मुद्रा कार्ड के लिए राज्य स्तर पर अलग-अलग देशव्यापी आंकड़े जमा करता है। बैंक और एमएफआई अपने साप्ताहिक प्रदर्शन का आंकड़ा

[8] 'मास्टर परिपत्र – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' को ऋण' (आरबीआई /2014-15/93,आरपीसीडी, एमएसएमई एंड एएफएस.बीसी. नं. 3/06.02.31/2014-15), 1 जुलाई 2014; सेक्शन IV, पैरा 4.2: कामन गाइडलाइंस /इंस्ट्रक्शंस फार लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर (https://www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9018)

[9] 14 सितंबर 1998 को प्रमुख माइक्रोफाइनेंस हितधारक एक संस्था की स्थापना के लिए मिले और श्री मैथ्यू टाइटस के नेतृत्व में एक संघ स्थापित करने पर सहमत हुए । इस प्रकार 21 जुलाई, 1999 को इस संघ- सा-धन का निगमन किया गया (http://www.sa-dhan.net/Inner.aspx?Others/About.htm)

प्रस्तुत करने के लिए इस पोर्टल पर लॉग ऑन करते हैं। इस आंकड़े का विश्लेषण किया जाता है और इसकी सूचना भारत सरकार को दी जाती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण को, विशेष रूप से शिशु ऋण को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ने भारत सरकार की ओर से प्रिंट मीडिया और रेडियो के माध्यम से 1 सितंबर से 2 अक्टूबर 2015 तक एक महीने का प्रचार अभियान चलाया गया। अभियान के अंतिम सप्ताह में देश के विभिन्न स्थानों पर मेगा ऋण शिविरों के आयोजन के साथ इसका समापन हुआ । इस ऋण अभियान के फलस्वरुप 22.50 लाख उधारकर्ताओं को ₹4,120 करोड़ का सकल ऋण दिया गया।

5.2 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का प्रदर्शन

सभी हितधारकों के प्रयासों से, वर्ष 2015-16 के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का वित्तीय लक्ष्य वित्त वर्ष के अंत तक पार हो गया था। वर्ष के लिए निर्धारित ₹1,22,188 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले, अधिसूचित बैंकों और एमएफआई ने ₹1,32,954.73 करोड़ की कुल राशि संवितरित की और वर्ष के अंत तक 109% का लक्ष्य प्राप्त किया । उपलब्धियों में, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऋण वृद्धि का संकेत मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से एकत्रित आंकडे, 2015-16 के दौरान एमएसई के लिए ऋण में 70 फीसदी वृद्धि दर्शाते हैं। अन्य ऋण संस्थानों ने भी एमएसई को ऋण में उच्च विकास दर हासिल की है, काफी हद तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण।

5.2.1 बैंकों का कार्यनिष्पादन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ₹1,21,281.18 करोड़ के ऋण प्रदान किए तथा वह सबसे बड़ा उधारकर्ता बैंक बना। इसके बाद ₹7506.64 करोड़ के साथ केनरा बैंक तथा ₹3593.42 के साथ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का स्थान रहा।

निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में एचडीएफसी बैंक ₹5356.89 करोड़ के साथ प्रथम स्थान पर रहा। इसके बाद ₹3921.51 करोड़ के साथ आईसीआईसीआई बैंक तथा ₹3594.64 करोड़ के साथ इन्डसइन्ड बैंक का स्थान रहा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक ₹1350.90 करोड़ के उधार बांटे हैं। इसके बाद कर्णाटक विकास ग्रामीण बैंक ने ₹1070.05 करोड़ तथा प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक ने ₹1051.88 करोड़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किए।

5.2.2 एमएफआई का कार्यनिष्पादन

39 एनबीएफसी-एमएफआई तथा 33 गैर एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दिए गए आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कुल ₹45904 करोड़ के मुद्रा ऋणों का संवितरण किया गया।

अल्प वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित राशि के मामले में एसकेएस माइक्रोफाइनांस लि.(अब भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लि.) ₹11856 करोड़ की राशि के साथ अव्वल रहा। इसके बाद जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लि. तथा उज्जीवन फाइनांशियल सर्विसेज का स्थान रहा जिन्होंने क्रमशः ₹10596 करोड़ तथा ₹3969 करोड़ के मुद्रा ऋण प्रदान किए।

5.3 विशिष्ट उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान करना

5.3.1 पहली बार बने उद्यमियों का वित्तपोषण

मुद्रा ऋण के माध्यम से 'वित्तविहीनों का वित्तीयन' के दो उद्देश्य हैं – नए उद्यमों की स्थापना करना तथा मौजूदा इकाइयों का विस्तारीकरण। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत

सहायताप्राप्त कुल 3.49 करोड़ उद्यमों में से लगभग 36 प्रतिशत (1.25 करोड़ खाते) ऐसे उधारकर्ता (नए उद्यमी) थे जिन्होंने प्रथम बार ऋण लिया।

प्रदर्श 5.1: विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा नवउद्यमियों को प्रदत्त ऋण (खातों की संख्या)

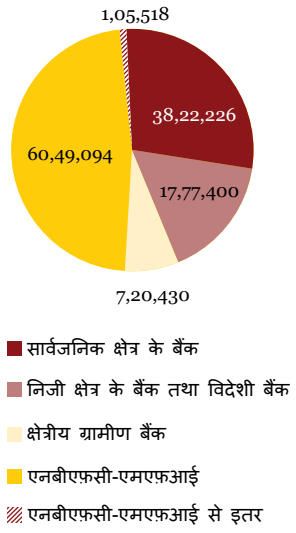

स्रोत: मुद्रा

प्रदर्श 5.2: विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा महिला उद्यमियों को प्रदत्त ऋण (खातों की संख्या)

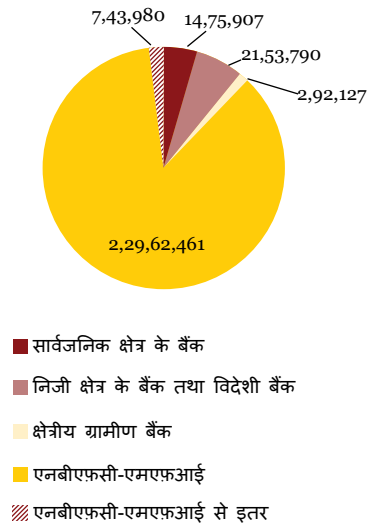

स्रोत: मुद्रा

5.3.2 महिला उद्यमियों का वित्तपोषण

महिला उद्यमियों को वित्तीय समावेशन एवं सशक्तीकरण दोनों के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य था। कुल 3.49 करोड़ खातों में से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 79 प्रतिशत प्रदान किए गए इसमें 2.79 करोड़ महिलाओं को ऋण दिए गए। अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों में से 99 प्रतिशत ऋण महिला उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए जिसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला उधारकर्ताओं का उल्लेखनीय हिस्सा है।

5.3.3 अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों का वित्तपोषण

2013 के एनएसएसओ सर्वेक्षण ने यह दर्शाया है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में से 60 प्रतिशत से अधिक उद्यम कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले लोगों जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल वित्तपोषण का लगभग 53 प्रतिशत या 1.84 करोड़ खाते अनुसूचित

प्रदर्श 5.3: सामाजिक आर्थिक श्रेणी के आधार पर पीएमएमवाई खाते

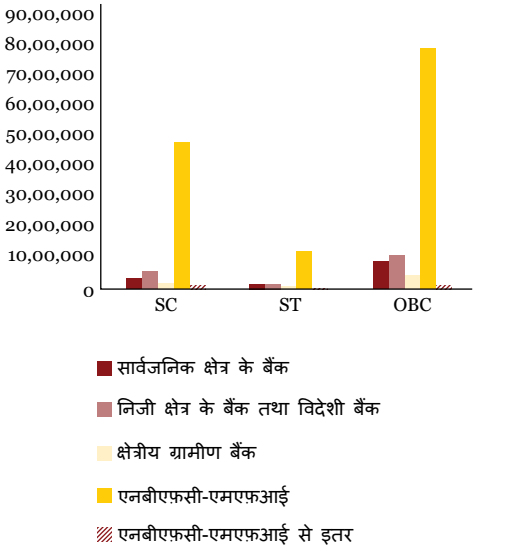

स्रोत: मुद्रा

जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के हैं यानि इसके माध्यम से एक अन्य उद्देश्य की पूर्ति होगी जिससे अंततः वित्तीय समावेशन में सुविधा होगी।

5.3.4 अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों को ऋण

बैंक एवं अल्प वित्त संस्थाओं ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के 40.88 लाख खातों में ऋण प्रदान किए जिसमें कुल ₹13560.30 करोड़ का संवितरण हुआ। यह प्रतिशत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के समस्त ऋणों का 11.7 है और 2015-16 में संवितरित हुए कुल ऋणों का 10.20 प्रतिशत है।

प्रदर्श 5.4: पीएमएमवाई के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को संवितरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

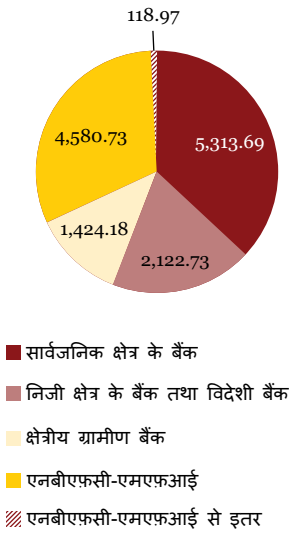

स्रोत: मुद्रा

5.3.5 प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाते पर ओवरड्राफ्ट सुविधा

जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है उनमें से 24.17 लाख उधारकर्ताओं ने अपने प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाते की ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ₹274.02 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

5.4 भविष्य की राह

वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने ₹1,80,000 करोड़ का संवितरण लक्ष्य निर्धारित किया है जोकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित लक्ष्य से 47.3 प्रतिशत अधिक तथा उपलब्धि से 35.4 प्रतिशत अधिक है।

मुद्रा को विश्वास है कि जैसाकि 2015-16 में उसे अपनी साझीदार संस्थाओं से सहयोग प्राप्त हुआ था उसी सहयोग से इस वर्ष के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया जाएगा।

तालिका 5.1: संस्थाओं के प्रकार से सूक्ष्म एवं लघु ऋणों के लक्ष्य का विवरण

संस्था का प्रकार	लक्ष्य (₹ करोड़)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	77,700
निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक	21,000
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	15,000
एनबीएफसी - एमएफआई	64,240
गैर एनबीएफसी - एमएफआई	2,060
कुल	1,80,000

स्रोत: MUDRA.

मुद्रा का प्रभाव

झलकियाँ

मृदा पात्र

ऋणदाता : कैशपोर माइक्रोक्रडिट

गतिविधि : मृदा पात्र निर्माण

श्रेणी : शिशु

ऋण : ₹15,000

सुमन को मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आती थी। उसने इसे अपनी आजीविका का साधन बनाने का निश्चय किया। इसके लिए उसने पहला ऋण लिया और उससे दूसरे के खेतो से मिट्टी खरीदी वह सारे दिन मिट्टी के बर्तन बनाती और उसका पति इन्हें बाज़ार में बेचता। जैसे जैसे उसका मृदापात्र निर्माण का काम चलने लगा उसने एमएफ़आई से अतिरिक्त ऋण लेने का निर्णय लिया और यह वादा किया कि वह इसे समय पर चुकाएगी। आज उसके पास उसकी अपनी भूमि है तथा उसे किसी दूसरे के खेत से मिट्टी नहीं खरीदनी पड़ते। इससे उसके लाभ में बहुत बढ़ोत्तरी हुयी है। अब इस मृदापात्र निर्माण व्यवसाय से उसकी अच्छी ख़ासी कमाई हो जाती है। उसकी सफलता से प्रेरित होकर उसके आस पास राणे वाली अन्य महिलाएं भी अपना निजी व्यवसाय आरंभ करने का विचार कर रही हैं।.

फूल की दुकान

ऋणदाता : सिंडीकेट बैंक

गतिविधि : फूल की दुकान

श्रेणी : शिशु

ऋण : ₹50,000

संध्या फूलों की एक छोटी सी दुकान चलाती थी। अपने ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार तथा सम्बन्धों के कारण उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी, हालाँकि ये छोटे स्तर पर सीमित थी।

एक दिन उसके एक ग्राहक ने उसे पीएमएमवाई के बारे में बताया और उससे नजदीकी सिंडीकेट बैंक में जाने को कहा। बैंक अधिकारी ने उसके पिछले व्यवसायिक अनुभव को देखते हुये उसे शिशु श्रेणी में रु. 50,000 का ऋण दिया। संध्या ने इस ऋण की सहायता से फूलों का और अधिक स्टॉक लिया और अपने व्यवसाय को बढाया। उसने अपने पति को भी अपने व्यवसाय में शामिल होने हेतु राज़ी किया। आज उसका दैनिक कारोबार रु. 4000/- तक का हो गया है और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। अब वह अपना मकान बनाने का विचार कर रही है तथा अपने बेटे को बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाने वाली है।

स्वच्छता से आजीविका

ऋणदाता : भारत फाइनान्शियल इंक्ल्युजन लि.

गतिविधि : झाड़ू बनाना

श्रेणी : शिशु

ऋण : ₹15,010

मेंहराज बी, जोकि एक दिहाड़ी मजदूर थी, उसने सोचा कि जब स्वच्छ भारत अभियान के जरिये पूरे भारत को स्वच्छ रखने की मुहिम चल रही है, तो क्या झाड़ू की मांग नहीं बढ़ेगी? उसने अपनी दिहाड़ी मज़दूरे के बाद बचे समय में अपने सीमित साधनों का इस्तेमाल करके झाड़ू बनाना शुरू किया।

उसकी कड़ी मेहनत और अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारने की उत्कट इच्छा को देखते हुये भारत फाइनान्शियल इंक्ल्युजन लि. ने जनवरी 2016 में उसे रु. 15,010 की राशि का एक आय अर्जक ऋण देने का निर्णय लिया। कुछ ही समय में मेहराज़ बी ने और अधिक कच्चे माल से झाड़ू बनाना शुरू कर दिया। 2015 के दौरान उसकी दैनिक आमदनी रु. 200-250 के बीच थी जिसमें 50% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। सफलता के साथ साथ मेहराज़ बी के सपनों ने भी ऊंची उड़ान भरी है। अब वह चाहती है कि वह कच्चे माल की खपत को जल्दी से जल्दी दुगुना कर के अपने व्यवसाय को बढ़ाएगी और जल्दी ही अपना निजी मकान भी बनायेगी।

वेल्डिंग की दुकान

ऋणदाता : इंडियन बैंक

गतिविधि : वेल्डिंग की दुकान

श्रेणी : शिशु

ऋण : ₹50,000

जी कुमारेसन, कोननेरी कप्पम (कांचेपुरम स्थित) जोकि एक बी. कॉम ग्रेजुएट था, नौकरी न मिलने के कारण वेल्डिंग की दुकान पर संविदा के रूप में काम करता था जिसके लिए उसे रु. 6,000/- प्रतिमाह का वेतन मिलता था। लेकिन इतने थोड़ी सी आय से उसके परिवार का खर्चा नहीं चलता था जिसमे उसकी बीवी, और दो बच्चे शामिल थे। वह खुद उक्त काम के लिए निजे ठेके लेना चाहता था ताकि उसकी आमदनी अधिक हो सके।

एक दिन जब वह अपने मालिक के काम से इंडियन बैंक की संकरीमठ शाखा (कांचीपुरम) में गया तो वहाँ उसने पीएमएमवाई का बैनर लगा देखा। उसने अपने निजी वेल्डिंग की दुकान खोलने हेतु वेल्डिंग मशीन और कुछ अन्य सामान खरीदने के लिए बैंक शाखा में रु. 50,000 के ऋण हेतु आवेदन किया। बैंक ने उससे विस्तार से बात चीत की और उसे शिशु श्रेणी के अंतर्गत रु. 50,000 का ऋण मंजूर किया। कुमारेसन ने अपनी निजी दुकान खोली और उसे काम के ठेके मिलने लगे। अच्छी गुणवत्ता और सेवा के चलते उसे बारंबार ठेके मिलने लगे हैं और उसकी आमदनी रु. 15,000 प्रतिमाह हो गई है। इस तरह एक वेतनभोगी मजदूर बैंक और पीएमएमवाई के सहयोग से उद्यमी बन सका है।

एर्णाकुलम, केरल में ऑटो रिक्शा

ऋणदाता : सिंडीकेट बैंक

गतिविधि : ऑटो रिक्शा

श्रेणी : किशोर

ऋण : ₹1,29,000

लगभग 12 वर्ष तक उषा बाबू ने किराये का ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। पूरे एर्णाकुलम जिले में वह अकेली ऑटो रिक्शा ड्राइवर थी। दिन के बारह घंटे तक ऑटो रिक्शा चलाकर वह शाम को दिनभर की कमाई मालिक के हाथ में रख देती और उसे दिन भर की उसकी मेहनत के लिए दिन भर की कमाई क्का एक छोटा सा प्रतिशत हिस्सा अपने परिवार के लिए मजदूरी के तरह मिलता जिससे उसका कामकाज किसी तरह मुश्किल से चल पाता था। उसकी कमाई दिन भर की उसकी मेहनत के लिए नाकाफी होती थी।

एक दिन उसने किराये का ऑटो रिक्शा न चलाकर अपना निजी ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए बैक में संपर्क किया। उसने इसके लिए सिंडीकेट बैंक की षण्मुखम शाखा में संपर्क किया। उसकी कर्तव्यनिष्ठा और परिश्रमशीलता को देखते हुये बैंक ने उसे किशोर श्रेणी में रु. 129000 का ऋण मंजूर किया। इस ऋण से उसने अपना निजी ऑटो रिक्शा खरीद लिया है और उसे किसी और का ऑटो रिक्शा किराये पर चलाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। अब उसे अपनी आमदनी को किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी आय में वृद्धि हुई है जिससे वह अपने ऋण की किस्त भी चुका रही है तथा एक अच्छे जीवन का निर्वाह भी कर पा रही है।

नेवादा समोगर (उप्र) में साइकिल मरम्मत और पार्ट्स की दुकान

ऋणदाता : पंजाब नेशनल बैंक

गतिविधि : साइकिल मरम्मत और पार्ट्स

श्रेणी : शिशु

ऋण : ₹35,000

सुखलाल एक निर्धन, निरक्षर और बेरोजगार युवक था जिसकी बड़ी इच्छा थी की वह कुछ कमाई कर सके किन्तु उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। अंतत: उसने सोचा कि अपने हैंड पंप से ही कुछ कमाई की जाये ताकि कम से कम वह अपना रोजमर्रा का खर्चा निकाल सके। उसकी कोशिशों को देखते हुए उसके एक शुभचिंतक पड़ोसी ने उसे पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन करने की सलाह दी।

सुखलाल ने पंजाब नेशनल बैंक की चकबाबुरा शाखा में संपर्क किया, बैंक अधिकारियों को अपनी इच्छा बताई और ऋण हेतु आवेदन किया। बैंक अधिकारियों ने उसका मार्गदर्शन किया तथा उसे शिशु श्रेणी के अंतर्गत रु. 35,000 का ऋण मंजूर करते हुये उसे साइकिल मरम्मत की दुकान खोलने का परामर्श दिया। उसने किराये पर एक दुकान ली और कुछ औज़ार और साइकिल मरम्मत का सामान और पुर्जे खरीदे उर साइकिल मरम्मत एवं सर्विसिंग की दुकान खोल ली। इस तरह से पीएमएमवाई के अंतर्गत बैंक ने एक निर्धन, निरक्षर और बेरोजगार युवक को उद्यमी बनने में सहायता की।

लखनऊ में टिफिन सेवा

ऋणदाता : मार्गदर्शक फाइनान्शियल सर्विसेज लि.

गतिविधि : टिफिन सेवाएँ

श्रेणी : शिशु

ऋण : ₹15,000

लखनऊ की बीना यादव को अपने पति, दो पुत्रों तथा दो पुत्रियों सहित एक बड़े परिवार के जीवन यापन में सहाता करनी पड़ती है। बीना ने टिफिन आपूर्ति का काम वर्ष 2005 में तब शुरू किया जब उसके पति को अपनी बीमारी के कारण अपनी स्कूटर मरम्मत की दुकान बंद करनी पड़ी थी। किन्तु अत्यंत मंहगी ब्याज दर पर पैसा उधार लेने के कारण उसका यह टिफिन का काम कठिनाइयों से गुज़र रहा था।

वर्ष 2008 में उसके दिन तब बदलने शुरू हुये जब मार्गदर्शक फाइनन्शियल सर्विसेज लि. ने उसे समूह ऋण देने का निर्णय लिया। बीना से 10 सदस्यों का एक समूह बनाया। ऋण लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम कागजी कार्रवाई तथा समूह के सदस्यों की परस्पर गारंटी के कारण समूह के सभी सदस्यों को आसानी से ऋण मिल गया। यह सहाता मिलने के बाद समूह ने अपनी टिफिन आपूर्ति को 40 व्यक्ति प्रति दिन तक बढ़ा लिया जिसके कारण उन्हें रु. 20,000 से रु. 25,000 प्रतिमाह की आमदनी होने लगी। समूह मासिक आधार पर ऋण अदायगी करता है क्योंकि उसे यह सुविधाजनक लगता है। बीना और उसके सभी साथी इस ऋण सहायता के लिए एमएफ़आई के आभारी हैं क्योंकि उन्हें बाज़ार से सस्ती ब्याज दर पर समुचित ऋण आसानी से मिल सका।

बीना की पुत्रियाँ अब ग्रेज्युएट हो चुकी हैं और उनमें से एक तो अब कंप्यूटर का कोर्स भी कर रही है और दूसरी सिलाई का काम सीख रही है ताकि वह अपना निजी बुटीक खोल सके। उसका सबसे छोटा बेटा छठी कक्षा में पढ़ रहा है। बीना के उद्यम ने न केवल बच्चों का स्वर्णिम भविष्य सँवारने में उसकी सहायता की है बल्कि उसके परिवार को सम्माननीय जीवन जीने का अवसर भी दिया है।

पीएमएमवाई राज्यवार कार्यनिष्पादन
वित्तीय वर्ष - 2015-16

(₹ करोड़)

क्रमांक	राज्य	शिशु		किशोर		तरुण	
		खातों की संख्या	संवितरण की राशि	खातों की संख्या	संवितरण की राशि	खातों की संख्या	संवितरण की राशि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15,724	64.54	8,275	100.65	720	47.59
2	आंध्र प्रदेश	6,12,312	1,312.12	1,65,306	3,151.60	18,070	1,327.07
3	अरुणाचल प्रदेश	3,194	8.18	977	27.44	454	36.00
4	असम	3,90,320	759.22	32,121	614.57	4,831	354.67
5	बिहार	23,10,112	4,113.70	1,29,001	2,227.77	12,326	924.44
6	चंडीगढ़	18,082	32.41	3,238	74.89	1,285	97.22
7	छत्तीसगढ़	6,05,051	1,178.78	28,559	512.08	6,101	465.28
8	दादरा एवं नगर हवेली	815	1.65	254	7.24	167	12.38
9	दमन एवं दीव	835	1.16	189	4.54	85	6.32
10	दिल्ली	3,41,933	692.90	36,077	1,002.95	16,378	1,162.12
11	गोवा	36,247	89.83	7,441	155.73	1,783	130.48
12	गुजरात	9,75,320	2,171.87	85,245	1,851.50	25,842	1,886.65
13	हरियाणा	6,93,408	1,371.96	39,525	847.43	12,602	933.23
14	हिमाचल प्रदेश	59,757	103.17	21,122	492.60	4,685	369.93
15	जम्मू एवं कश्मीर	19,057	62.32	34,388	738.18	4,529	351.65
16	झारखंड	8,28,785	1,515.15	36,637	780.69	7,446	549.82
17	कर्नाटक	41,53,714	9,071.71	2,64,744	4,744.94	41,151	2,652.78
18	केरल	7,07,492	1,414.08	1,07,975	2,194.29	14,944	1,119.01
19	लक्षद्वीप	551	1.04	170	3.06	19	1.25
20	मध्यप्रदेश	24,06,310	4,610.76	84,343	1,653.63	20,538	1,504.90
21	महाराष्ट्र	33,37,382	6,616.11	1,54,441	3,461.97	43,242	3,294.34
22	मणिपुर	20,943	35.41	2,679	58.66	399	25.96
23	मेघालय	15,451	40.24	3,051	74.20	649	47.97
24	मिज़ोरम	5,473	19.44	1,993	35.24	306	23.10
25	नागालैंड	3,247	10.32	1,418	36.75	469	29.47
26	ओडिशा	22,81,495	3,753.86	51,401	977.75	10,365	704.65
27	पुद्दुचेरी	74,516	145.52	7,482	121.58	868	64.81
28	पंजाब	5,94,025	1,231.47	43,347	994.68	16,601	1,258.34
29	राजस्थान	10,68,001	2,004.32	68,468	1,504.66	23,350	1,739.30
30	सिक्किम	5,491	12.10	1,145	24.82	253	17.69
31	तमिलनाडु	45,06,237	8,231.68	2,34,824	4,282.07	40,506	2,983.11
32	तेलंगाना	2,86,985	588.37	98,675	2,014.98	15,101	1,090.99
33	त्रिपुरा	59,298	136.83	7,967	141.05	881	59.38
34	उत्तरप्रदेश	31,49,078	5,849.68	1,60,502	3,325.18	35,802	2,706.07
35	उत्तराखंड	3,26,802	688.99	27,554	632.07	5,651	424.02
36	पश्चिम बंगाल	24,87,603	4,086.80	1,18,927	2,201.84	22,018	1,451.77
	कुल योग	3,24,01,046	62,027.69	20,69,461	41,073.28	4,10,417	29,853.76

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2015-2016

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

माननीय सदस्यगण,

माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि. (मुद्रा) के व्यवसाय तथा परिचालनों पर इसकी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ प्रस्तुत करते हुये आपके निदेशको को हर्ष हो रहा है।

मुद्रा की घोषणा श्री अरुण जेटली, केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा संघ का बजट प्रस्तुत करते समय की गई थी तथा इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को किया गया। मुद्रा की स्थापना 18 मार्च, 2015 को सिडबी के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में की गई तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। मुद्रा की स्थापना वित्तीय समावेशन के अंतर्गत, विनिर्माण, व्यापार अथवा सेवाक्षेत्र की गतिविधियों में लगे उन सूक्ष्म इकाई उद्यमों, जिनकी ऋण आवश्यकता ₹10 लाख से अधिक नहीं है, को ऋण उपलब्ध कराने हेतु अंतिम छोर के वित्तपोषकों जैसे बैंक, अल्प वित्त संस्थायें तथा एनबीएफसी, इत्यादि को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने हेतु की गई है। एक पुनर्वित्त संस्था के रूप में मुद्रा का लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमियों की आय बढ़ाना तथा रोजगार के अवसर पैदा करना है। एनएसएसओ सर्वेक्षण (2013) के अनुसार देश में लगभग 5.77 करोड़ सूक्ष्म इकाइयां हैं, जिनमे 12 लाख लोगो को रोजगार मिला हुआ है जिन्हें औपचारिक वित्तीय स्रोतों से बाहर रहकर मंहगे ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए मुद्रा की स्थापना इस खाई को पाटने तथा "वित्तवंचितों के वित्तपोषण" हेतु की गई थी।

इस मिशन के साथ मुद्रा ने अप्रैल, 2016 में परिचालन आरंभ किया तथा अपना पहला पुनर्वित्त जून, 2016 में प्रदान किया। वित्तमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के शॉर्टफॉल में से ₹20,000 करोड़ की राशि से मुद्रा पुनर्वित्त कार्पस गठित किया। वर्ष के दौरान, आरबीआई के आवंटन के अनुसार मुद्रा ने 7 वाणिज्यिक बैंकों के योगदान से ₹5000 करोड़ की राशि आहरित की।

व्यवसाय की मुख्य विशेषताएँ

पुनर्वित्त परिचालन

पुनर्वित्त परिचालनों की दृष्टि से मुद्रा का प्रथम वर्ष संतोषप्रद रहा। मुद्रा ने 160 संस्थाओं को सूक्ष्म उद्यमियों को उनके द्वारा प्रदत्त वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त हेतु सहभागी संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध किया जिसमें 88 बैंक (27 सार्वजनिक क्षेत्र, 17 निजी क्षेत्र, 31 क्षे. ग्रा. बैंक, 13 राज्य / शहरी सहकारी बैंक), 46 अल्प वित्त संस्थाएं तथा 26 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल हैं। वर्ष के अंत तक, 16 बैंकों तथा 25 एनबीएफसी एवं एमएफआई को ₹3,733.25 करोड़ की राशि मंजूर की जा चुकी थी तथा इन संस्थाओं को ₹3287.25 करोड़ की राशि संवितरित भी की जा चुकी थी।

आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा यह अभी भी सूक्ष्म उद्यमियों/सूक्ष्म इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु पुनर्वित्त प्रदान करती है। इस बीच, निदेशक मण्डल द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसार कि मुद्रा सूक्ष्म उद्यमों संबंधी ऋण पोर्टफोलियो के प्रतिभूतिकरण हेतु भी सहायता प्रदान कर सकता है, इस क्षेत्र में भी शुरुआत की गई है।

चित्र डीआर I 2015-16 के दौरान संस्वीकृत तथा संवितरित राशि (₹ करोड़)

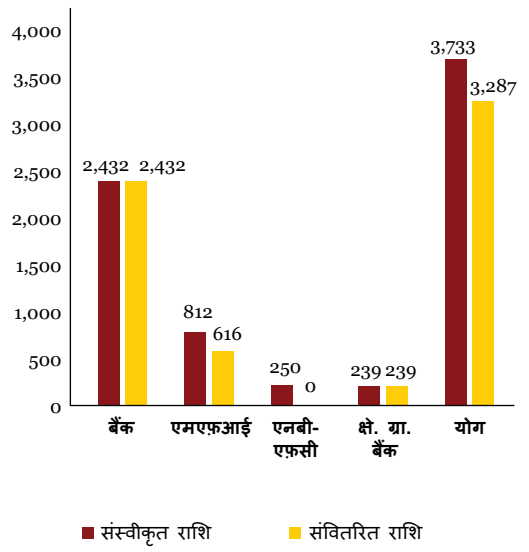

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) के अंतर्गत विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र संबंधी गतिविधियों में लगे सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक के मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने की संकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए ₹5000 की ओवरड्राफ्ट राशि को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की संवृद्धि / विकास की अवस्थिति तथा निधि संबंधी आवश्यकताओं को इंगित करते हुये मुद्रा ने शिशु, किशोर अथवा तरुण नामक उत्पाद / योजनायें बनाई हैं।

आपकी कंपनी ने मुद्रा की वेबसाइट पर जुड़ा एक समर्पित पोर्टल बनाकर इस कार्यक्रम की सघन मानीटरिंग की है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल ₹132954.73 करोड़ की राशि संवितरित की गई जोकि ₹122188 करोड़ के लक्ष्य का 109% रही। वर्ष के दौरान 3.48 करोड़ से अधिक सूक्ष्म उधारकर्ताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिला।

नई व्यवसाय पहल

एनबीएफसी तथा अल्प वित्त संस्थाओं को घरेलू पूंजी सुलभ हो इस दिशा में सहायक तथा प्रत्यक्ष दोनों भूमिकायें निभाने के उद्देश्य से मुद्रा ने निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करके तीन प्रतिभूतिकरण योजनाएँ आरंभ की हैं। तदनुसार, मुद्रा ने जनलक्ष्मी फाइनान्शियल सर्विसेज लि. जोकि एक एनबीएफसी-एमएफआई है, के प्रतिभूतिकरण सौदे में विशेष प्रयोजन

माध्यम (एसपीवी) द्वारा जारी पास-थ्रू प्रमाणपत्र या पीटीसी में ₹49.95 करोड़ का निवेश किया है। इस सौदे की व्यवस्था आईएफएमआर कैपिटल ने की जिन्होने इस सौदे के गौण भाग में निवेश किया है।

मुद्रा कार्ड

नकदी ऋण व्यवस्था के रूप में कार्यशील पूंजी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा ने मुद्रा कार्ड आरंभ किया जोकि एक रुपे डेबिट कार्ड है। इस योजना का भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा अनुमोदित विवरण तथा मुद्रा कार्ड का डिजाइन सभी बैंकों को परिचालित किया गया है। बैंक इस कार्ड पर अपना नाम तथा लोगो जोड़ कर इसे अनुकूल बना सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों तथा कुछेक निजी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष के दौरान मुद्रा कार्ड योजना को अंगीकार किया है।

कार्ड योजना आरंभ होने के बाद से 31 मार्च, 2016 तक ₹1476 करोड़ की राशि के 5.17 लाख से अधिक मुद्रा कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

2015-16 के दौरान मुद्रा योजना का प्रभाव

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकों तथा अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा पीएमएमवाई के अंतर्गत ₹1,37,449 करोड़ की माजूरियाँ तथा ₹1,32,954.73 करोड़ का संवितरण किया गया तथा संवितरण के लिए निर्धारित ₹1,22,188 करोड़ के लक्ष्य का 109% अर्जित किया

चित्र डीआर 2

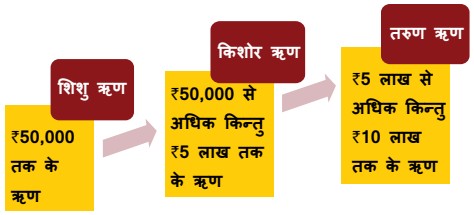

गया। वर्ष के दौरान पीएमएमवाई के अंतर्गत 3.48 करोड़ सूक्ष्म उद्यमी लाभान्वित हुये।

लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण तालिका 1 में दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि मुद्रा योजना ऐसे अनेक सूक्ष्म उद्यमियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हुई है जो अबतक

तालिका 1: मुद्रा ऋण की श्रेणियाँ तथा लाभार्थी-2015-16

श्रेणी	खातों की संख्या	संवितरित राशि (₹ करोड़)
शिशु	324.02	62,028
किशोर	20.69	41,073
तरुण	4.10	29,854
योग	**348.81**	**1,32,955**
उपर्युक्त में से		
नव उद्यमी	124.75 (36%)	58,908
महिला उद्यमी	276.28 (79%)	63,190
अनुजा/जनजा का अंश	184.00 (53%)	49,196.33

Figures in parenthesis indicate their share in the total)

औपचारिक बैंकिंग तंत्र की परिधि के बाहर थे, तथा इस प्रकार यह योजना वित्त विहीन के वित्तपोषण की चुनौती को काफी हद तक पूरा कर सकी है।

वित्तीय परिणाम

वर्ष के दौरान मुद्रा ने ₹257.98 करोड़ के व्यय के विरुद्ध ₹363.95 करोड़ की कुल आय दर्ज की तथा ₹65.93 करोड़ का कराधान उपरांत लाभ अर्जित किया है।

वित्तीय परिणामों की मुख्य बातें नीचे दी गई है:-

तालिका 2: वित्तीय परिणाम मुख्य बिन्दु 2015-16

विवरण	2015-16 (₹ करोड़)
परिचालनों से राजस्व	50.10
अन्य आय	313.85
(अ) कुल आय	**363.95**
कर्मचारी प्रतिलाभ व्यय	2.39
वित्तीय लागत	243.31
मूल्यह्रास व्यय	0.01
प्रावधान तथा बट्टा-खाता	9.73
अन्य व्यय	2.54
(ब) कुल व्यय	**257.98**
कराधान पूर्व लाभ	105.97
(स) कुल कर व्यय	**40.04**
वर्ष हेतु लाभ	**65.93**
लाभांश	2.29
लाभांश कर	0.47
सामान्य आरक्षितियों को अंतरित राशि	45.00
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरित राशि	13.19
अधिशेष	4.99
ई पी एस (₹)	-
आधारभूत	1.39
मंदित (डाइल्यूटेड)	1.39

समायोजन

अ. सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण

मुद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45I ए के प्रावधानों के अंतर्गत एक "जमा न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में पंजीकृत है। अत:, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45Iए के प्रावधानों के अनुसार ₹13.19 करोड़, अर्थात निवल लाभ की 20% राशि सांविधिक आरक्षितियों के अधीन अंतरित की गई है।

ब. सामान्य आरक्षितियों में अंतरण

यह प्रस्तावित है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 (1) तथा समय समय पर इसमें हुये संशोधनों की अपेक्षाओं के अनुसार ₹45 करोड़ की राशि सामान्य अरक्षितियों में अंतरित की जाये।

लाभांश

आपके निदेशकों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ₹0.05 प्रति इक्विटी शेयर (₹10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर) का अंतिम लाभांश देने की सिफ़ारिश की है। इस प्रस्ताव का अनुमोदन शेयरधारकों द्वारा मुद्रा के पंजीकृत कार्यालय में होने वाली मुद्रा की प्रथम वार्षिक आम बैठक में किया जाएगा। यह लाभांश उन सदस्यों को दिया जाएगा इनके नाम यथा 31 मार्च, 2016 कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में परिलक्षित होंगे।

शेयर पूंजी

आपकी कंपनी की स्थापना ₹5 लाख की आरंभिक प्रदत्त पूंजी तथा ₹5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। तत्पश्चात, मुद्रा की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर ₹1000 (रुपये एक हज़ार करोड़) करोड़ कर दिया गया था जिसमें ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 100 करोड़ शेयर शामिल थे। वर्तमान में, मुद्रा की प्रदत्त इक्विटी पूंजी ₹750 करोड़ है, जिसमें ₹10/- प्रति शेयर मूली के 75 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं जिन्हें 4 चरणों में निवेश के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा पूर्णत: सबस्क्राइब किया गया है।

पूंजी पर्याप्तता

मुद्रा का पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2016 को 83.46% था जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जमा स्वीकार न करने वाली बड़े आकार की प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनडीएसआई-एनबीएफसी) के लिए निर्धारित 15% की सीमा से काफी अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिये गए मुद्रा के पुनर्वित्त एक्सपोजर को पूंजी प्रभार से छूट प्रदान की है।

जमाराशियाँ

एक जमा स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था होने के कारण मुद्रा ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनसामान्य से कोई जमाराशियाँ स्वीकार नहीं की हैं, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्वानुमति के बिना आगे भी जनसामान्य से कोई जमा स्वीकार नहीं करेगा। तथापि, 7 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा पुनर्वित्त निधि में ₹5000 करोड़ की राशि रखी गई है।

पुरस्कार व सम्मान

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) के आरंभ तथा एक पुनर्वित्त संस्था के रूप में मुद्रा की स्थापना के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की भारत सरकार की पहल को विस्तृत एवं वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। मुद्रा की धारक कंपनी सिडबी को मुद्रा के माध्यम से वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु असोसियेशन ऑफ डेवेलपमेंट फाइनान्शियल इन्स्टीट्यूशन्स इन एशिया एंड पैसिफिक (एडफियाप) द्वारा उत्कृष्ट विकास परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 23 अप्रैल, 2016 को एशिया सामोआ में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया।

स्कॉच ग्रुप ने देश में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रभावी योगदान हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए पुरस्कार प्रदान किया। मुद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 09 जून, 2016 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया।

पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

आपकी कंपनी की स्थापना आरओसी नई दिल्ली व हरियाणा के क्षेत्राधिकार के अधीन नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय के साथ की गई थी किन्तु इसका कारपोरेट कार्यालय मुंबई में स्थापित किया गया था। प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा बेहतर प्रभावशीलता की दृष्टि से क्षेत्रीय निदेशक, आरओसी नई दिल्ली के दिनांक 7 मार्च, 2016 के आदेशानुसार मुद्रा के पंजीकृत कार्यालय को भी दिनांक 22 मार्च, 2016 से, आरओसी, मुंबई के क्षेत्राधिकार स्थित इसके मुंबई स्थित कारपोरेट कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। तदनुसार मुद्रा का सीआईएन बदलकर U65100MH2015PLC274695 हो गया है।

कार्यालय में परिवर्तन को प्रभावी करने से पूर्व कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन किया गया तथा एक स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में एतद्विषयक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षे.का., मुंबई द्वारा एनबीएफआई हेतु नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुरोध आरबीआई, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली को भी भेजा गया है, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुद्रा का पंजीकृत कार्यालय आरंभ में स्थित था।

निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

मुद्रा लि. की स्थापना तीन निदेशकों के साथ की गई थी जिन्हें स्थापक सदस्यों द्वारा चुना गया था। बाद मे, निदेशक मण्डल के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 10 किया गया, जिसमें यथा 31 मार्च, 2016 को, 3 स्वतंत्र निदेशक, सिडबी के 3 नामिती निदेशक (जिसमें सिडबी के अध्यक्ष जोकि मुद्रा के भी पदेन अध्यक्ष हैं, शामिल हैं), 1 कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियुक्त 1 निदेशक तथा 2 अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं।

मुद्रा का सम्मान

अध्यक्ष

मुद्रा के आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन के अनुच्छेद 68ए के अनुसार सिडबी के अध्यक्ष मुद्रा के अध्यक्ष हैं। डा. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी ने, जिन्हें मुद्रा के निदेशक मण्डल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, 25 मार्च, 2015 से मुद्रा के निदेशक मण्डल की अध्यक्षता की है।

प्रथम निदेशक

श्री अजय कुमार कपूर, उप प्रबंध निदेशक (उ.प्र.नि.), सिडबी मुद्रा के संस्थापक निदेशकों में से एक हैं, तथा यथा 31 मार्च, 2016 को निदेशक मण्डल पर निदेशक में रूप में बने हुये हैं। वे मुद्रा की आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा उन्होंने पुनर्नियुक्ति हेतु पेशकश की है।

नियुक्तियाँ

निदेशक मण्डल ने निम्नांकित व्यक्तियों को अतिरिक्त निदेशकों के रूप में मुद्रा के निदेशक मण्डल पर नियुक्त किया है:

1. श्री जीजी माम्मेन, 13 अप्रैल, 2015 से प्रभावी।
2. श्री प्रदीप अच्युत मालगांवकर, 18 मई, 2015 से प्रभावी
3. सुश्री ज्योत्स्ना सित्लिंग, आईएफएस, 20 जून, 2015 से प्रभावी।
4. श्री नवीन कुमार मैनी, 1 अगस्त, 2015 से प्रभावी।

स्वतंत्र निदेशक

निम्नांकित व्यक्तियों को, सदस्यों के अनुमोदन से, निदेशक मण्डल पर स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है:-

1. डा. नचिकेत मधुसूदन मोर 1 अगस्त, 2015 से प्रभावी
2. श्री पिल्लारीसेत्ती सतीश, 10 नवंबर, 2015 से प्रभावी
3. सुश्री रत्ना विश्वनाथन, 10 नवंबर, 2015 से प्रभावी।

सरकार के नामिती

मुद्रा के आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन के अनुच्छेद 68 ए (III) में हुये संशोधन के अनुसार श्री पंकज जैन, आईएएस, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) को मुद्रा के निदेशक मण्डल पर सरकार का नामिती निदेशक नियुक्त किया गया है।

महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी कंपनी में निदेशक मण्डल में न्यूनतम एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है। आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल में दो महिला निदेशक हैं: सुश्री ज्योत्स्ना सित्लिंग, आईएफ़एस (अतिरिक्त निदेशक) तथा सुश्री रत्ना विश्वनाथन (स्वतंत्र निदेशक)।

सदस्यता समाप्ति

विगत वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निम्नांकित निदेशकों ने त्यागपत्र दिया ।

निदेशक जो बारी बारी से सेवानिवृत्त होने वाले हों

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार श्री अजय कुमार कपूर (DIN00108420), जोकि सबसे लंबी अवधि से गैर-कार्यकारी निदेशक हैं, अपनी बारी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण अगली वार्षिक आम बैठक में पुन: नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। निदेशक मण्डल उनकी नियुक्ति की संस्तुति करता है।

महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

श्री जीजी माम्मेन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को उनकी पदस्थापना की तारीख से तीन वर्षों के लिए मुद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किए गए हैं।

श्रीमती शालिनी बघेल को 26 अक्तूबर, 2015 को बतौर मुद्रा लि. की कंपनी सचिव/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था।

साथ ही, श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, सिडबी को मुद्रा में प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 12 मई, 2016 से मुख्य वित्तीय अधिकारी/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशक मण्डल की बैठकें

31 मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार मुद्रा के निदेशक मण्डल की ग्यारह (11) बैठकें विभिन्न तारीखों को आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित की गई बैठकों का विवरण निम्नवत है:

दो बैठकों के बीच अंतराल का निर्णय करने तथा बैठकों के आयोजन के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया।

निदेशक मण्डल की समितियां

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुसार निदेशक मण्डल की निम्नांकित उप-समितियों का गठन किया है:

- लेखापरीक्षा समिति
- नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति
- नैगम सामाजिक दायित्व समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

आपके निदेशक मण्डल ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1) तथा एनबीएफसी हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक पर लागू दिशानिदेशों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जिसमें दो स्वतंत्र निदेशकों सहित चार गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुद्रा की एनआरसी की 9 बैठकें हुयी हैं।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिशों के अनुसार मुद्रा की लेखापरीक्षा समिति का गठन पाँच निदेशकों के साथ निम्नानुसार किया गया है जिसमें अधिकांश स्वतंत्र निदेशक हैं:

अपने परिचलनों के प्रथम वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 तथा मुद्रा के निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित एवं अंगीकृत लेखापरीक्षा चार्टर के अनुसार मुद्रा की लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की गई हैं।

निदेशक मण्डल की मूल्यांकन नीति

कंपनी (लेखा) नियम 2014 की धारा 134 उप धारा 3(पी) सपठित नियम 8 उपनियम (4) संबंधी अपेक्षाएँ आपकी कंपनी पर 31 मार्च 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु लागू नहीं होती हैं क्योंकि इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी सीमा संबंधी मानदंड पर विचार विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाना होता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि निदेशक मण्डल मूल्यांकन नीति का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जाना है।

पारिश्रमिक नीति

कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक:

मुद्रा में एक कार्यकारी निदेशक हैं जोकि नाबार्ड से प्रतिनियुक्ति पर हैं। कार्यकारी निदेशक का पारिश्रमिक उनके मूल संगठन द्वारा किया जाता है जिसकी प्रतिपूर्ति मुद्रा द्वारा नाबार्ड को की जाती है।

गैर कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक:

गैर-कार्यकारी निदेशकों को तथा स्वतंत्र निदेशकों (नामिती निदेशकों तथा भारत सरकार के निदेशकों को छोड़कर) को पारिश्रमिक का भुगतान निदेशक मण्डल तथा निदेशकों की समिति की उस प्रत्येक बैठक हेतु

सिटिंग फीस के रूप में किया जाता है जिनमें वह उपस्थित रहे थे।

स्वतंत्र निदेशक एवं घोषणा

कंपनी अधिनियन 2013 की धारा 149(7) के अनुसार मुद्रा के निदेशक मण्डल को सभी स्वतंत्र निदेशकों के घोषणापत्र प्राप्त हो गए हैं तथा निदेशक मण्डल संतुष्ट है कि कंपनी द्वारा विधिवत नियुक्त सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में किए गए प्रावधान के अनुसार स्वातंत्र्य के मानदंडों को पूरा करते हैं।

कर्मचारियों के विवरण

मुद्रा ने ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया है जिसका पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 सपठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के प्रावधानों के अधीन निर्धारित सीमा के दायरे में आता है।

संबन्धित पार्टी लेनदेन

अंकेक्षित वित्तीय विवरणियों के नोट 24 में दर्शाये गए समस्त संबन्धित पक्ष लेनदेन जोकि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए हैं, वे समुचित दूरी बनाए रखते हुये (ऑन आर्म्स लेंग्थ बेसिस) तथा सामान्य कामकाज के अंतर्गत किए गए। जहां भी आवश्यक था, वहाँ निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

साथ ही, मुद्रा द्वारा संबन्धित पक्षों के साथ कोई वास्तव में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किए गए। तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2014 के अंतर्गत कंपनी के लेखों से संबंधित खंड IX के अंतर्गत निर्धारित नियमों के फार्म एओसी -2 में यथानिर्धारित लेनदेन लागू नहीं होंगे अत: इनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

ऊर्जा बचत एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(एम) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण के संबंध में वांछित विवरण समीक्षाधीन वर्ष में मुद्रा द्वारा किए गए क्रियाकलाप की प्रकृति को देखते हुये मुद्रा पर लागू नहीं हैं, अत: इन्हें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। मुद्रा अपनी परिचालन संबंधी तथा प्रशासनिक गतिविधियों के दौरान केवल विद्युत का उपभोग करता है।

वर्ष के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा आय अथवा व्यय नहीं था।

प्रौद्योगिकी समावेश

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति तैयार करने हेतु मुद्रा एक सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर रहा है। प्रशासन तथा मानव संसाधन मामलों के लिए मुद्रा ने सिडबी की सोफ्टवेयर अप्लीकेशन्स जैसे एचआरएमएस, सिट्रिक्स, आदि को अपना लिया है।

बैंकों / अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) के अंतर्गत दिये गए ऋणों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हेतु मुद्रा ने एक पोर्टल आरंभ किया है। राज्यवार आंकड़े एकत्र करने हेतु माड्यूल विगत वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ किया गया था।

इस पोर्टल का उपयोग भारत सरकार द्वारा पीएमएमवाय योजना के अंतर्गत रणनीति बनाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा कार्यनिष्पादन की मोनिटरिंग हेतु किया जाता है। इस पोर्टल का जिलावार एकत्रीकरण के साथ सम्पूर्ण आंकड़े अपलोड करने के माड्यूल के साथ उन्नयन किया जा रहा है।

साथ ही, मुद्रा ने एंडरायड तथा आईओएस प्लेटफार्म पीआर अपना मोबाइल अप्लीकेशन भी आरंभ किया है तथा यूट्यूब पर मुद्रा चैनल भी शुरू किया है।

साथ ही, सिडबी उद्यमीमित्र पोर्टल के एक भाग के रूप में जनसाधारण को बैंकों से मुद्रा ऋण के लिए

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उक्त पोर्टल ऋण लेने के इच्छुक लोगों तथा बैंकों के लिए एक विशाल बाज़ार स्थल उपलब्ध कराता है। ऋण आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आवेदक को सहायता उपलब्ध कराने तथा सहयोग करने हेतु सहयोग उपलब्ध कराया जाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षक तथा वित्तीय नियंत्रण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसार मुद्रा द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु मे. बाटलीबॉय एंड पुरोहित, चार्टर्ड अकाउंटेंट को मुद्रा का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। मुद्रा के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा मासिक अंतराल पर आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं जिनको नोट किया जाता है तथा जहां आवश्यक हो, विधिवत नियमितीकरण करके लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जाता है।

अपने आरंभ के प्रथम वर्ष में होने के कारण अधिकतर मुद्रा द्वारा सिडबी की मानक परिचालन प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। ये आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा सुचारु रूप से काम कर रहे हैं। तथापि, मुद्रा द्वारा भविष्य में अपने व्यवसाय के सुनियोजित तथा कुशल संचालन हेतु अपनी नीतियों तथा प्रक्रियाओं वाला एक पृथक आईएफसी मैनुअल बनाने का प्रस्ताव है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार आपकी कंपनी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है। अत:, भारत के निरीक्षक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी) द्वारा मे. पी सी घड़ियाली एंड कं. (आईसीएआई पंजीकरण संख्या 103132डब्ल्यू / डब्ल्यू-100037) को वित्तीय वर्ष 2015-16 की सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए मुद्रा के प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता, संदेह अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। तथापि प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत सेवाकर के भूलवश विलंबित भुगतान का एक उल्लेख है जिसका भुगतान आपकी कंपनी द्वारा विधिवत नियुक्त कर परामर्शदाता की सलाह पर कर दिया गया है।

साथ ही, कंपनी के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है जिसे लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट किया जाना वांछित हो।

सचिवीय लेखापरीक्षक तथा उनकी रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी ने मे. दीपेंद्र शुक्ला एंड असोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी की गई सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अनुबंध I में संलग्न) में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक हो।

सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

मुद्रा की अनुपूरक लेखापरीक्षा का कार्य प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई के इंडियन आडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेन्ट (आईएएडी) कार्यालय को साँपा गया है। आईएएडी द्वारा वांछित सूचना 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की मुद्रा की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के साथ उनके कार्यालय को भेज दी गई है।

तथापि, उक्त कार्यालय ने भी तक मुद्रा की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है मुद्रा की वित्तीय विवरणियों के संबंध में उनकी कोई भी टिप्पणी मुद्रा को प्राप्त नहीं हुयी है।

सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) एवं (10) सपठित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें तथा उनकी शक्तियाँ) नियम 2014 के नियम 7 के अनुपालन में मुद्रा में सतर्कता कक्षा की स्थापना की गई है तथा सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था होने के कारण मुद्रा सिडबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

सतर्कता पर मुख्य सतर्कता अधिकारी सिडबी को मासिक रिपोर्टिंग मार्च 2016 से आरंभ की गई है।

नैगम सामाजिक दायित्व

मुद्रा की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की नेटवर्थ, टर्न ओवर तथा प्रदत्त शेयर पूंजी, 31 मार्च 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) में निर्धारित सीमा को पार कर चुकी है।

तथापि, सीएआरओ पर आईसीएआई के वक्तव्य के पैरा 61(जी) के अनुसार आपकी कंपनी प्रथम तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सीएसआर मानदंडों के दायरे में नहीं आती है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में, परिचालनों के प्रथम वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है। तथापि, मुद्रा के निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में एक तीन सदस्यीय सीएसआर समिति का गठन किया गया है जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक शामिल है।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपके निदेशक मण्डल ने ₹20 करोड़ तथा उससे अधिक जमा राशि वाली जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी तथा जमा स्वीकार नहीं करने करने वाली समस्त एनबीएएफसी जिनका आस्ति आकार ₹100 करोड़ (अब ₹500 करोड़) से अधिक है पर लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी परिपत्र के अनुपालन हेतु एक चार सदस्यीय प्रबंधन स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जिसमें दो मुद्रा के तथा दो सिडबी के सदस्य हैं, ताकि सर्वोत्तम कारपोरेट प्रथाओं को अपनाया जा सके तथा परिचालनों में अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

इस समिति को मुद्रा हेतु जोखिम प्रबंधन ढांचा/नीति तैयार करने तथा निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की गई अथवा निर्धारित की जाने वाली उच्च स्तरीय ऋण सीमाओं को मॉनिटर करने का दायित्व सौंपा गया है।

ऋण, गारंटियों तथा निवेशों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(11)(ए) (अधिनियम) सपठित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठके तथा इसकी शक्तियाँ) नियम 2014 के निटम 11(2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएएफसी) द्वारा सामान्य व्यवसाय के दौरान प्रदान किया गया ऋण, गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति को अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। अतः, मुद्रा द्वारा प्रदत्त पुनर्वित का इस रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया है।

मुद्रा के मौजूदा निवेशों तथा गैर मौजूदा निवेशों का विवरण नोट 10 में दिया गया है जोकि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों का एक भाग है।

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों, न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा कंपनी के भावी परिचालनों तथा इसकी गोइंग कंसर्न

हैसियत को प्रभावित करने वाले कोई भी आदेश पारित नहीं किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश

एक प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में आपकी कंपनी का लक्ष्य हे की वह सदैव भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में कार्य करे तथा इसे प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयासरत रहती है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं

वित्तीय विवरणियों पर हस्ताक्षर होने से इस रिपोर्ट की तारीख के बीच ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धतायें नहीं हुये हैं जोकि कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों।

महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं

वित्तीय विवरणियों पर हस्ताक्षर होने से इस रिपोर्ट की तारीख के बीच ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धतायें नहीं हुये हैं जोकि कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों।

वार्षिक रिपोर्ट का सार

धारा 92 सपठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसरण में वार्षिक रिपोर्ट का सार इस रिपोर्ट के अनुबंध I में दिया गया है।

निदेशक उत्तरदायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसरण में निदेशक पुष्टि करते हैं कि, उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

(अ) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण विचलन के विषय में समुचित स्पष्टीकरण दिये गए हैं;

(आ) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें समानता से लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय तथा अनुमान लगाए गए हैं जो युक्तिसंगत तथा विवेक पर आधारित हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा उक्त अवधि में कंपनी के लाभ हानि का सही और निष्पक्ष चित्रण कर सकें;

(इ) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उनसे बचाव के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव हेतु समुचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती है;

(ई) निदेशकों ने वार्षिक लेखे गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए हैं; तथा

(उ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये हैं तथा उक्त वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ऊ) निदेशकों ने सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ निर्धारित की हैं तथा ये प्रणालियाँ पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

आभार

निदेशक मण्डल सभी हितग्राहियों के उत्कृष्ट संरक्षण हेतु, विशेषकर वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सिडबी तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के निरंतर सहयोग हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल कंपनी के हर स्तर के कार्यपालकों तथा कर्मचारियों के उत्साह, पूर्ण निष्ठा एवं समर्पित प्रयास हेतु भी आभार व्यक्त करता है। हम अपने शेयरधारकों द्वारा हमारे ऊपर दर्शाये गए निरंतर विश्वास और आस्था हेतु भी हार्दिक रूप से आभारी हैं ।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि.
के निदशक मण्डल हेतु तथा की ओर से

अध्यक्ष

दिनांक: 24 अगस्त, 2016
स्थान: मुंबई

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के अनुबंध

अनुबंध I

यथा 31 मार्च, 2016 को निदेशक मण्डल के सदस्य

क्रमांक	नाम (श्री/ श्रीमती/ सुश्री)		नियुक्ति की तारीख
1.	डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस	अध्यक्ष एवं अतिरिक्त निदेशक	25 मार्च 2015
प्रथम निदेशक			
2	श्री अजय कुमार कपूर	निदेशक	आरंभ से ही अर्थात 18 मार्च, 2015 से
सरकारी निदेशक			
3	श्री पंकज जैन, आईएएस	संयुक्त सचिव, डीएफ़एस	28 जनवरी, 2016
अन्य अतिरिक्त निदेशक			
4.	श्री जीजी माम्मेन	सीईओ, मुद्रा	13 अप्रैल, 2015
5.	श्री प्रदीप अच्युत मालगांवकर	सीईओ, एनसीजीटीसी	18 मई, 2015
6.	सुश्री ज्योत्स्ना सित्लिंग, आईएफ़एस	संयुक्त सचिव एमएसएमई	20 जून, 2015
7.	श्री नवीन कुमार मैनी	पूर्व उपप्रबंध निदेशक - सिडबी	1 अगस्त, 2015
स्वतंत्र निदेशक			
8.	डॉ. नचिकेत मोर		1 अगस्त, 2015
9.	सुश्री रत्ना विश्वनाथन	सीईओ, एमएफ़आईएन	10 नवंबर, 2015
10.	श्री पिल्लारीसेट्टी सतीश	कार्यपालक निदेशक -साधन	10 नवंबर, 2015

वर्ष 2015-16 के दौरान सदस्यता समाप्ति

क्रमांक	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	सदस्यता समाप्ति की तारीख
1.	श्री राजीव कुमार	प्रथम निदेशक	आरंभ से ही	5 मई, 2015
2.	श्री प्रकाश कुमार	प्रथम निदेशक	प्रथम निदेशक	प्रथम निदेशक
3.	श्री आलोक टंडन, आईएएस, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग	अतिरिक्त निदेशक	18 मई 2015	28 जनवरी, 2016

निदेशक मण्डल उक्त बहिर्गामी निदेशकों द्वारा निदेशक मण्डल को दिये गए बहुमूल्य मार्गदर्शन तथा योगदान की सराहना अभिलिखित करता है।

वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकें

क्रमांक	बैठक की तारीख	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	मार्च 20, 2015	3	3
2	मार्च 25, 2015	4	4
3	अप्रैल 4, 2015	4	4
4	अप्रैल 6, 2015	4	4
5	अप्रैल 7, 2015	4	4
6	मई 5, 2015	4	4

क्रमांक.	बैठक की तारीख	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
07	मई 18, 2015	5	4
08	जून 30, 2015	6	5
09	अगस्त 01, 2015	8	7
10	अक्तूबर 16, 2015	8	7
11	जनवरी 28, 2016	10	9

मुद्रा के निदेशक मण्डल की समितियां

लेखा परीक्षा समिति		
निदेशक का नाम	समिति में पद	निदेशक की श्रेणी
श्री पिलारिसेट्टी सतीश	अध्यक्ष	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री अजय कुमार कपूर	सदस्य	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
डॉ. नचिकेत मोर	सदस्य	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री प्रदीप अच्युत मालगांवकर	सदस्य	गैर कार्यकारी निदेशक
सुश्री रत्ना विश्वनाथन	सदस्य	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

नैगम सामाजिक दायित्व समिति		
नाम	पद	नियुक्ति की तारीख
श्री एन के मैनी	सदस्य	28 जनवरी, 2016
श्री पिल्लारीसेट्टी सतीश	सदस्य	28 जनवरी, 2016
श्री जीजी माम्मेन	सदस्य	28 जनवरी, 2016

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति		
निदेशक का नाम	समिति में पद	निदेशक की श्रेणी
श्री अजय कुमार कपूर	अध्यक्ष	गैर कार्यकारी निदेशक
श्री प्रदीप अच्युत मालगांवकर	सदस्य	गैर कार्यकारी निदेशक
श्री पिलारिसेट्टी सतीश	सदस्य	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
सुश्री रत्ना विश्वनाथन	सदस्य	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

अनुबंध II

दीपेंद्र ओमप्रकाश शुक्ला
कंपनी सचिव
कार्यालय सं. बी-4, द पार्ले को-ओप हाउसिंग सोसाइटी लि. सहकार रोड,
ऑफ सहार रोड, विले पार्ले पूर्व, मुंबई: 400 057.
टेलीफोन: 022-2683 4250 / 2266
मोबाइल नं. 93222 69170
ईमेल आई डी: deepsoffice@gmail.com

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार]

सदस्य

माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि. (मुद्रा लि.)

एमएसएमई विकास केंद्र, सी-11, जी ब्लॉक,

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व

मुंबई : 400051 (07/03/2016 से प्रभावी)

मैंने प्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम नैगम व्यवहार के पालन की दृष्टि से मुद्रा लि. (इसके पश्चात कंपनी कहा गया है) की सचिवीय लेखापरीक्षा पूरी की है। उक्त सचिवीय लेखापरीक्षा इस पद्धति से की गई है जिससे मुझे नैगम आचरण / वैधानिक अनुपालनों के मूल्यांकन तथा उनके संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु युक्तिसंगत आधार मिला।

कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवाही पंजिकाओं तथा दाखिल की गई विवरणियों तथा फॉर्म्स एवं कंपनी द्वारा रखे जा रहे अभिलेखों एवं कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेन्टों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध करायी गई सूचना की मेरे द्वारा की गई जांच के आधार पर मैं रिपोर्ट करता हूँ कि मेरे अभिमत के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखापरीक्षा अवधि) के दौरान नीचे उल्लिखित विशिष्ट टिप्पणी के अतिरिक्त निम्नलिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। तथापि, कंपनी में, नीचे की गई रिपोर्टिंग के अनुसार तथा इस तक सीमित, समुचित निदेशक मण्डल प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र मौजूद है।

मैंने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी द्वारा रखी जा रही बहियों, कागजात, कार्यवाही पंजिका, दाखिल किए गए फॉर्म्स एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नांकित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम (कंपनी पर लागू नहीं);

iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा बाइलाज़ (कंपनी पर लागू नहीं);

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम-प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए; (कंपनी के लिए लागू नहीं)।

v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्दिष्ट निम्नांकित विनियम तथा निर्देश:

ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सब्स्टैंशियल एक्विज़िशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) विनियम, 2011; (कंपनी पर लागू नहीं);

बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रोहिबिशन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 1992; (कंपनी पर लागू नहीं);

सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं);

डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एम्प्लायी स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लायी स्टॉक परचेस स्कीम) दिशानिदेश, 1999; (कंपनी पर लागू नहीं);

ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डैब्ट सिक्योरिटीज) विनियम, 2008 (कंपनी पर लागू नहीं);

एफ़) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार टु एन इशू एंड शेयर ट्रांस्फर एजेंट्स) विनियम, 1993 (कंपनी पर लागू नहीं);

जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (डीलिस्टिंग ऑफ ईक्विटी शेयर्स) विनियम, 2009 (कंपनी पर लागू नहीं); तथा

एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज) विनियम, 1998; (कंपनी पर लागू नहीं).

vi) विशेष रूप से कंपनी पर लागू अन्य कानून, यथा:

ए) *प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकार या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015 सपठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफ़सी द्वारा जमा की जाने वाली विवरणियों के संबंध में जारी मास्टर परिपत्र, जैसा लागू हो।

मैंने निम्नांकित के प्रभावी खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

ए) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ।

बी) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजेज़ के साथ किए गए लिस्टिंग करार (कंपनी पर लागू नहीं)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिदेशों, मानकों, इत्यादि का अनुपालन किया है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

- कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन विधिवत किया गया है तथा इसमें कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों का समुचित संतुलन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मण्डल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये किए गए हैं।
- सभी निदेशकों को निदेशक मण्डल की बैठकों के आयोजन की पर्याप्त समय रहते सूचना दी जाती है, कार्यसूची तथा विस्तृत नोट्स सात दिन पहले भेज दिये जाते हैं, तथा बैठकों में सार्थक

* (तत्कालीन गैर बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकार या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 अधिसूचना संख्या डीएनबीआर.009 / सीजीएम (सीडीएस) – 2015 दिनांकित 27 मार्च, 2015 को निष्प्रभावी करते हुये लागू)

सहभागिता की दृष्टि से बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों के संबंध में अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रथा है।

- बहुमत की निर्णय माना जाता है तथापि असहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों के अभिमत कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में अभिलिखित किए जाते हैं।
- मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि:
  - ◇ कंपनी में प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिदेशों की मानीटरिंग तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसके आकार तथा परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ तथा प्रक्रियाएं मौजूद हैं।
  - ◇ मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई विशेष घटनाएँ/ कृत्य सामने नहीं आये जोकि उपर्युक्त संदर्भित क़ानूनों, नियमों, दिशानिदेशों तथा मानकों के अनुपालन की दृष्टि से कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा प्रभाव डालते हों।

कृते : दीप ओमप्रकाश शुक्ला
कंपनी सचिव

(प्रवर्तक)
एफ़सीएस: 5652
सीपी संख्या.5364

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 09, 2016

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सदस्य

माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि. [मुद्रा लि.]

मैं यह भी बयान देता हूँ कि मेरी इसी दिनांक की उक्त रिपोर्ट को इस पत्रके साथ पढ़ा जाना होगा।

1. सचिवीय / वैधानिक अभिलेखों के रखरखाव का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। मेरा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर अपनी अभिमत प्रकट करना है।
2. मैंने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के विषय में युक्तिसंगत रूप से आश्वस्त होने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की सत्यता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है।
4. जहां जहां आवश्यक था, मैंने कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन एवं घटनाओं के घटित होने इत्यादि के विषय में प्रबंधन का निरूपण प्राप्त किया है।
5. नैगम तथा अन्य प्रयोज्य क़ानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की ज़िम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच परीक्षा आधार पर प्रविधियों के सत्यापन तक सीमित है।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी उपादेयता के प्रति आश्वस्त करती है न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त करती है।

कृते : दीप ओमप्रकाश शुक्ला
कंपनी सचिव

(प्रवर्तक)
एफ़सीएस: 5652
सीपी संख्या: 5364

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 09, 2016

फार्म सं. एमजीटी 9

वार्षिक विवरणी का सार
यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि

कंपनी अधिनियम 2013 की शारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

1	सीआईएन	यू65100एमएच2015पीएलसी274695
2	पंजीकरण की तारीख	18 मार्च 2015
3	कंपनी का नाम	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि.
4	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर द्वारा पब्लिक लिमिटेड / भारतीय गैर सरकारी कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	एमएसएमई विकास केंद्र, प्रथम तल, सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400 051
6	क्या यह सूचीबद्ध कंपनी है	जी नहीं
	रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क विवरण, कोई हों तो।	लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियां

(कंपनी के टर्नओवर में 10% अथवा अधिक योगदान वाली समस्त व्यवसाय गतिविधियों का उल्लेख किया जाये)

क्रमांक	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल व्यवसाय का प्रतिशत
1	बैंकों/ एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण तथा पुनर्वित्तीयन प्रदान करना	6499	21.60

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

क्रमांक	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारित शेयरों का %	प्रयोज्य धारा
1	*भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वीडियोकॉन टावर, 12वां तल, ई-1, रानी झांसी मार्ग झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055	लागू नहीं	100%	-

* सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित एक विकास वित्तीय संस्था है।

IV. शेयर धारिता पैटर्न (इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेक अप कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में)

i) श्रेणी वार शेयर धारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (यथा 18-मार्च-2015)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (यथा 31-मार्च-2016)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डी मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) निकाय निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बैंक / वि. संस्था	0	49,994	49,994	99.99	0	74,99,99,994	74,99,99,994	100.00	0.01
छ) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) विदेशी धारिता									
क) व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) निकाय निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (क)	**0**	**49,994**	**49,994**	**99.99**	**0**	**74,99,99,994**	**74,99,99,994**	**100.00**	**0.01**
ब. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थागत									
क) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक / वि. संस्था	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) उद्यम पूंजी निधियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) बीमा कंपनियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ) विदेशी उद्यम पूंजी निधियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (यथा 18-मार्च-2015)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (यथा 31-मार्च-2016)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डी मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ट) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उपयोग (ब)(1):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. गैर संस्थागत									
क) निकाय निगम									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ब) व्यक्तिगत	0	6	6	0.01	0	6	6	0.00	0
i) व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास ₹1 लाख तक की नगण्य शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास ₹1 लाख से अधिक की नगण्य शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स) अन्य (विवरण दें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अनिवासी भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
क्लियरिंग सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
न्यास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी निकाय - डी आर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप योग (बी) (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)=(बी)(1)+ (बी)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स) जीडीआर तथा एडीआर हेतु संरक्षकों द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सकाल योग (अ+ब+स)	**0**	**50,000**	**50,000**	**100**	**0**	**75,00,00,000**	**75,00,00,000**	**100**	**0**

ii) प्रवर्तक की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	49,994	99.99	0	74,99,99,994	100.00%	0	0.01
योग		**49,994**	**99.99**	**0**	**74,99,99,994**	**100**	**0**	**0.01**

iii) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक:				
	वर्ष के आरंभ में	49,994	99.99		
	वृद्धि (04/04/2015 को राइट इश्यू)	49,50,000	99	49,99,994	99.99
	वृद्धि (07/04/2015 को निजी प्लेसमेंट)	24,50,00,000	98	24,99,99,994	100
	वृद्धि (16/10/2015 को निजी प्लेसमेंट)	50,00,00,000	66.67	74,99,99,994	100
	वर्ष के अंत में	74,99,99,994	100		

iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों की शेयरधारिता (निदेशकों, परावर्तकों, तथा जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोडकर)

क्र. सं,		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में ह्रास / वृद्धि	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	श्री प्रकाश कुमार	1	0	मार्च 18, 2015	-1	शेयर अंतरण द्वारा	0	0
2	श्री राजीव कुमार	1	0	मार्च 18, 2015	-1		0	0
3	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	1	0	मार्च 18, 2015	-1		0	0
4	श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव	1	0	मार्च 18, 2015	-1		0	0
5	श्री मनोज मित्तल	1	0	मार्च 18, 2015	-1		0	0
6	श्री कैलाश चन्द्र भानू	0	0	मार्च 18, 2015	1	अंतरण द्वारा खरीद	1	0
7	श्री रबीन्द्र कुमार दास	0	0	अगस्त 01, 2015	1		1	0
8	श्री देवाशीष घोष	0	0	अगस्त 01, 2015	1		1	0
9	श्री रूप कुमार शर्मा	0	0	अगस्त 01, 2015	1		1	0
10	श्री मुकेश कुमार पाण्डेय	0	0	अगस्त 01, 2015	1		1	0

v) निदेशकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री अजय कुमार कपूर	1	0.00	1	0.00

V) कर्जदारी - बकाया ब्याज / उपचित पर देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी

	जमाराशियों को छोडकर जमानती ऋण	बेजमानती ऋण	जमाराशियाँ	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के आरंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	-	-		
ii) देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज जो देय नहीं है	-	-	-	-
योग (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में बदलाव				
* वृद्धि	-	-	₹50,00,00,00,000	₹50,00,00,00,000
* ह्रास	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	₹50,00,00,00,000	₹50,00,00,00,000
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूल राशि	-	-	₹50,00,00,00,000	₹50,00,00,00,000
ii) देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज जो देय नहीं है	-	-	₹15,084,785	₹15,084,785
योग (i+ii+iii)	-	-	**₹50,01,50,84,785**	**₹50,01,50,84,785**

* बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल के अंतर्गत जमा

VI. निदेशकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा / अथवा प्रबन्धक का पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक (मुख्य कार्याधिकारी)/ प्रबन्धक का नाम	कुल राशि
1	सकल वेतन	*श्री जीजी माम्मेन (मुख्य कार्याधिकारी)	
	(अ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	₹21,40,965.00	₹21,40,965.00
	(ब) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	₹5,32,067.00	₹5,32,067.00
	(स) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-
3	उद्यम (स्वेट) इक्विटी	-	-

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक (मुख्य कार्याधिकारी)/ प्रबन्धक का नाम	कुल राशि
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - - अन्य, उल्लेख करें ...	-	-
5	अन्य, उल्लेख करें	-	-
	योग (ए)	**₹26,73,032.00**	**₹26,73,032.00**
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

* मुख्य कार्याधिकारी नाबार्ड से प्रतिनियुक्ति पर मुद्रा में पदस्थ हैं।

ब. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम			कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	श्री नचिकेत मोर	सुश्री रत्ना विश्वनाथन	श्री पिल्लारीसेट्टी सतीश	
	निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु शुल्क	₹40,000	₹60,000	₹40,000	₹1,40,000
	कमीशन	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
	योग **(1)**	₹40,000	₹60,000	₹40,000	₹1,40,000
2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक	श्री नवीन कुमार मैनी			
	निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु शुल्क	₹ 60,000			₹60,000
	कमीशन	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
	योग **(2)**				₹60,000
	योग (बी) **= (1+2)**				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	₹1,00,000	₹60,000	₹40,000	₹2,00,000
	अधिनियम के अनुसार सीमा	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार परिगणित कंपनी के निवल लाभ की 3% राशि ₹ _____लाख			

स. प्रबंध निदेशक/प्रबन्धक/पूर्णकालिक निदेशको के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्रमांक	पारिश्रमिक का विवरण	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	
		कंपनी सचिव	कुल
1	सकल वेतन		
	(अ) आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों अनुसार वेतन	₹3,46,238	₹3,46,238
	(आ) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के प्रावधानों अनुसार परिलब्धियों का मूल्य		
	(इ) आयकर अधिनियम की धारा 17(3) के प्रावधानों अनुसार वेतन के बदले लाभ	–	–

क्रमांक	पारिश्रमिक का विवरण	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	
		कंपनी सचिव	कुल
2	(ई) स्टॉक ऑप्शन	–	–
3	(उ) स्वेट इक्विटी	–	–
4	(ऊ) कमीशन	–	–
	(लाभ के % के रूप में)	–	–
	(अन्य, विवरण दें)	–	–
5	(ए) अन्य - विवरण दें	–	–
	कुल	₹3,46,238	₹3,46,238

नोट : सीईओ के पारिश्रमिक का विवरण उपर्युक्त मद संख्या VI ए में दिया गया है।

VII. दंड / सज़ा / अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकृति	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दंड / सज़ा / अपराधों की कंपाउंडिंग का विवरण	प्राधिकारी / [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	अपील यदि कोई की गई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
दंड					
सज़ा					
कंपाउंडिंग					
बी. निदेशक	NIL				
दंड					
सज़ा					
कंपाउंडिंग					
स. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड					
सज़ा					
कंपाउंडिंग					

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि.
के निदशक मण्डल हेतु तथा की ओर से

अध्यक्ष :

दिनांक:

स्थान :

वार्षिक लेखा
2015–16

तुलन पत्र तथा लेखा विवरणियाँ

दिनांक 18 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि हेतु प्रथम वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरणी के साथ परिशिष्ठ I में दिये गए हैं। चूंकि वित्तीय वर्ष 2016 परिचालनों का प्रथम सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष था अत:, वित्तीय वर्ष 2015 के उक्त आंकड़े तुलना हेतु उपलब्ध नहीं है।

वर्ष के दौरान मुद्रा की कुल आय ₹363.95 करोड़ रही तथा उक्त अवधि के दौरान कुल आय ₹257.98 करोड़ रही। वर्ष हेतु कराधान पूर्व लाभ ₹105.97 करोड़ रहा। कर तथा आस्थगित कर समायोजन के उपरांत निवल लाभ ₹65.93 करोड़ रहा। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 I सी के अनुसार लाभ की 20% राशि अर्थात ₹13.18 करोड़ की राशि सांविधिक आरक्षितियों में अंतरित की गई।

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु ₹52.74 करोड़ के संवितरण योग्य कुल लाभ में से मुद्रा ने 18 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक के अवधि के दौरान समय समय पर प्रदत्त ₹750 करोड़ की इक्विटी पूंजी पर ₹0.05 प्रति शेयर का लाभांश आनुपातिक आधार पर घोषित किया है जोकि उस पर देय लाभांश वितरण कर, अधिभार तथा उपकर सहित ₹2.76 करोड़ बनता है। ₹45 करोड़ की अधिशेष राशि को सामान्य निधि में अंतरित किया गया है तथा ₹4.99 करोड़ की राशि को लाभ हानि खाते में रखा गया है।

तदनुसार, मुद्रा की नेट वर्थ – सिडबी द्वारा प्रदत्त ₹750 करोड़ की पूंजी सहित यथा 31 मार्च, 2016 को ₹813.18 करोड़ थी। पूंजी तथा जोखिम भार ग्रस्त आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) यथा 31 मार्च, 2016 को 83.43% था जोकि मुख्यत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रदत्त पुनर्वित्त को भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार शून्य जोखिम भार लगाने के कारण हुआ है।

तुलनपत्र I - वित्तीय वर्ष 2016

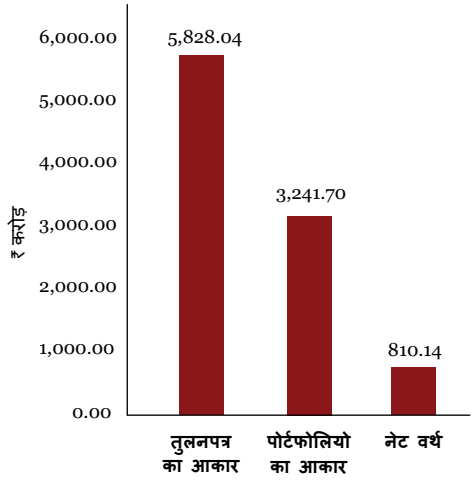

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा कथित लेखापरीक्षित विवरणिया पृष्ठ संख्या ..... पर दी गई हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी (मुद्रा) लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि., पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: एमएसएमई विकास केंद्र, सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र 400051 (उक्त कंपनी) की सलग्न वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च, 2016 का तुलनपत्र, लाभ हानि विवरणी, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार व अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएँ शामिल हैं।

वित्तीय विवरणीयों हेतु प्रबंधकीय उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणियों को भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, जिनमे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक

शामिल है, के अनुसार तैयार किया गया है तथा ये कंपनी की वित्तीय स्थिति / वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है। इस संबंध में कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013 (उक्त अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों हेतु उत्तरदायी है।

इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उससे बचाव हेतु पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं क्रियान्वयन; ऐसे निर्णय लेना तथा अनुमान लगाना जोकि युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण डिजाइन करना तथा उनका क्रियान्वयन एवं रखरखाव, जोकि वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने हेतु प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से काम करता हो, तथा सत्य एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता हो, व जिसमें धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी न हो, भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित अभिमत प्रस्तुत करें। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा के मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल होना अपेक्षित है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित तथा निष्पादित करें ताकि इस बात से युक्तिसंगत रूप से आश्वस्त हुआ जा सके कि प्रस्तुत लेखा विवरणियाँ महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं।

किसी भी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियों तथा अन्य खुलासों के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियायें शामिल होती हैं। इस प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणियों में महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिम का आकलन शामिल होता है। इस जोखिम आकलन में, लेखापरीक्षक विद्यमान परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने हेतु कंपनी द्वारा सत्य एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने वाली वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार करता है, किन्तु वह इस बात पर अपना अभिमत नहीं देता कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली काम करती है अथवा नहीं, तथा इन नियंत्रणों का परिचालन प्रभावी रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों के साथ साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन किया जाता है।

हमारी मान्यता है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणियों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध कराते हैं।

अभिमत

हमारे अभिमत के अनुसार तथा हमारी सूचना व हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियाँ यथा 31 मार्च, 2016 को कंपनी के परिचालनों तथा उसके लाभ एवं नकदी प्रवाह के विषय में, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए, अधिनियम के अंतर्गत वांछित सूचनाएं अपेक्षित रूप में तथा इस प्रकार उपलब्ध कराती हैं कि उनसे भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत होता है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (उक्त आदेश) की अपेक्षाओं के अनुसार हम उक्त आदेश के पैरा 3 व 4 में उल्लिखित विषयों पर विवरणी अनुबंध में प्रस्तुत करते हैं।
2. उक्त अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   ए) हमने अपनी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
   बी) हमारे मत के अनुसार तथा जैसा कि हमारे द्वारा की गई लेखों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा कानूनन ज़रूरी समस्त लेखा बहियाँ रखी गई हैं।
   सी) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलनपत्र, लाभ हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी लेखा बहियों से मेल खाती हैं।
   डी) हमारे मत के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियाँ अधिनियम की धारा 133 सपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करती हैं।
   ई) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (आईएफसी) के मामले में, हमें सूचित किया गया है कि कंपनी उन अधिकांश मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अधिकांश चरणों का पालन करती है जिनका पालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जाता है। कंपनी का प्रथम वर्ष होने

के कारण, प्रभावकारिता की दृष्टि से इसका हमारे द्वारा परीक्षण किया जा सकता है।

एफ) निदेशकों से यथा दिनांक 31 मार्च, 2016 को प्राप्त तथा निदेशक मण्डल द्वारा अभिलेखों में स्वीकृत लिखित प्रत्यावेदनों के आधार पर, यथा 31 मार्च, 2016 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

जी) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के मामले में हमारे अभिमत तथा हमारी जानकारी व हमें दिये ज़े स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) कंपनी का ऐसा कोई भी मुक़दमा लंबित नेहीन है जोकि इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो;

ii) कंपनी की डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदाएं नहीं हैं जिनके कारण कोई संभावित महत्वपूर्ण हानियाँ संभावित हों; तथा,

iii) ऐसी कोई भी राशि नहीं है जोकि कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में अंतरित की जानी हो।

एच) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत संशोधित दिशानिदेशों के अनुसार वांछित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) कंपनी के स्वामित्व में कोई भी फ्रीहोल्ड/लीज़होल्ड भूमि नहीं है अत: निर्बंध स्वत्व विलेख/लीज़ डीड की उपलब्धता संबंधी संशोधित दिशानिदेश लागू नहीं हैं;

ii) ऋण/उधार/ब्याज को बाते खाते में डालने/माफ करने के कोई भी मामले नहीं हैं;

iii) उक्त कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है तथा इसने वर्ष के दौरान किसी भी माल / वस्तु का लेनदेन नहीं किया है। अतएव, तृतीय पक्ष के पास कोई भी इनवेंटरी नहीं हैं। यहीं नहीं, सरकर अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से कोई भी परिसंपत्ति उपहर/ चंदे के रूप में प्राप्त नहीं हुयी है।

iv) किसी भी ऐसे शुल्क/लेखांकित शुल्क की वापसी का कोई मामला नहीं है जहां शुल देय था किन्तु प्राप्त नहीं हुआ/बट्टे खाते में डाला गया हो।

आर. टी. दोषी
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता संख्या : 013458
वास्ते और तरफ से

पी. सी. घड़ियाली एंड कं. एल एल पी
सनदी लेखाकार
फार्म सं. 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12 मई, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध

[माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि. के सदस्यों को प्रस्तुत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के 'विधिक एवं 'विनियामक आवश्यकताएँ' खंड के पैरा 1 में संदर्भित अनुबंध]

उन जाँचों के आधार पर जिन्हें हमने उपयुक्त समझा तथा हम लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध करायी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) अचल आस्तियों के संबंध में

   ए) कंपनी अचल आस्तियों का मात्रात्मक इवरणों तथा अवस्थिति सहित समस्त विवरण दर्शाने वाला समुचित अभिलेख रखती है।

   बी) प्रबंधन द्वारा अचल आस्तियों का युक्तिसंगत अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी सूचना तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त सत्यापन में कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पायी गई।

   स) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियाँ नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 के खंड 3(ii) (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

ii) उक्त कंपनी एक एनबीएफ़सी है तथा इसने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान इसी माल का लेनदेन नहीं किया है न ही इसके पास कोई इनवेंटरी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 के खंड 3(ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर के अंतर्गत शामिल किसी भी पक्ष को ज़मानती अथवा बेजमानती कोई भी ऋण प्रदान नहीं किए हैं।

iv) ऋणों, निवेशों, गारंटियों तथा प्रतिभूतियों के मामले में धाराओं 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

v) कंपनी ने जनता से कोई भी ऐसी जमाराशियाँ स्वीकार नहीं की हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों तथा अधिनियम की धारा 73 एवं 76 व इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत आते हों। अतएव, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

vi) केंद्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 148 के उप खंड (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव हेतु विनिर्दिष्ट नहीं किया है।

vii) ए) विपरीत प्रभार तंत्र के अंतर्गत सेवाकर के भुगतान को छोड़कर, जोकि 2 अप्रैल, 2016 को किया गया, कंपनी उसपर लागू व्यवसाय कर, सेवाकर, स्रोत पर काटा गया कर, आय कर तथा अन्य अविवादित वैधानिक देयतायें उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से समय पर जमा करती है।

   व्यवसाय कर, सेवा कर, स्रोत पर काटा गया आयकर, आयकर तथा अन्य उल्लेखनीय सांविधिक देयताओं के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2016 को ऐसी कोई भी अविवादित सांविधिक देयता की राशि नहीं है जोकि देय तिथि से छह महीने से अधिक समय से बकाया हो।

   बी) हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के आधार पर आयकर, सेवा कर, विक्रय कर, कस्टम ड्यूटी तथा उत्पाद कर ड्यूटी से संबंधित कोई भी ऐसी बकाया देय राशियाँ नहीं हैं जोकि किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं की गई हों।

viii) हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों तथा हमारी सूचना एवं हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी बैंक अथवा सरकार को ऋण अथवा उधार की वापसी में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है न ही इसने कोई डिबेंचर जारी किए हैं।

ix) कोई भी धनराशि सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से उगाही नहीं गई है तथा इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 का बिन्दु (ix) लागू नहीं है।

x) हमारे द्वारा भारत में सामान्यत: मान्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा बहियों के परीक्षा के दौरान कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया। न ही कंपनी के अधिकारियों थ्वा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई मामला सामने आया या सूचित किया गया न ही प्रबंधन द्वारा ऐसी किसी घटना की सूचना दी गई।

xi किसी भी सूचित करने योग्य प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है अत:, अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता।

xii) यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है अत: कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 का बिन्दु (xii) लागू नहीं होगा।

xiii) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में अधिनियम की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया गया है तथा इनके विवरण का समुचित रूप से खुलासा किया गया है।

xiv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी तरजीही आवंटन या पूर्णत: या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। हमें दी गए सूचना तथा अभिलेखों के अनुसार शेयरों के निजी प्लेसमेंट हेतु अधिनियम की धारा 42 की अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है तथा इस से प्राप्त धनराशि को उसी प्रयोजन हेतु प्रयोग किया गया है जिसके लिए ये निधियाँ संग्रहीत की गई हैं।

xv) कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गैर-नकदी लेन देन नहीं किया गया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

xvi) कंपनी पंजीकृत है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-I-ए के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) धारक है। कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक में सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफ़आई के रूप में 6 अप्रैल, 2015 के सीओआर संख्या एन-14.03313 के माध्यम से आरबीआई में पंजीकृत है।

आर. टी. दोषी
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता संख्या : 013458
वास्ते और तरफ से

पी. सी. घड़ियाली एंड कं. एल एल पी
सनदी लेखाकार
फार्म सं. 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12 मई, 2016

यथा 31 मार्च, 2016 का तुलनपत्र

राशि ₹ में

विवरण		नोट सं.	यथा 31 मार्च, 2016	विगत वर्ष हेतु
ए	इक्विटी तथा देयताएं			
1	शेयर धारकों की निधियाँ			
	(क) शेयर पूंजी	3	7,50,00,00,000	-
	(ख) आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	4	63,17,87,844	-
			8,13,17,87,844	-
2	गैर मौजूदा देयतायें			
	(क) आस्थगित कर देयताएं	5	68,645	-
	(ख) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	50,00,00,00,000	-
			50,00,00,68,645	-
3	मौजूदा देयताएं			
	(क) अल्पावधि प्रावधान	7	12,48,09,753	-
	(ख) अन्य मौजूदा देयताएं	8	2,37,01,552	-
			14,85,11,305	-
	योग		**58,28,03,67,794**	-
बी	परिसंपत्तियाँ			
1	गैर मौजूदा परिसंपत्तियाँ			
	(क) अचल परिसंपत्तियाँ	9		
	i) मूर्त परिसंपत्तियाँ		720,634	-
	ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ		1,97,167	-
	(ख) गैर मौजूदा निवेश	10	16,13,13,911	-
	(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	11	27,97,89,43,300	-
			28,14,11,75,012	-
2	मौजूदा परिसंपत्तियाँ			
	(क) चालू निवेश	10	3,87,21,40,769	-
	(ख) नकदी एवं बैंक शेष	12	20,82,21,17,256	-
	(ग) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	11	4,43,80,22,100	-
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	13	1,00,69,12,657	-
			30,13,91,92,782	-
	योग		**58,28,03,67,794**	-
	कृपया वित्तीय विवरणियों के भाग के रूप में साथ प्रस्तुत नोट्स देखें।	1 to 24		

नोट: चूंकि यह परिचालनों का प्रथम वर्ष है अत: विगत वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते पी. सी. घड़ियाली एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फार्म सं.: 103132W/ W-100037

आर. टी. दोषी
वरिष्ठ भागीदार
एम. सं.: 013458

वास्ते तथा निदेशक मण्डल की ओर से

जी. जी. माम्मेन
सीईओ एवं अतिरिक्त निदेशक
डीआईएन: 06808988

प्रदीप मालगांवकर
अतिरिक्त निदेशक
डीआईएन: 07184562

सुरेन्द्र श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

शालिनी बघेल
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12 मई, 2016

18 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि हेतु लाभ हानि खाता विवरणी

राशि ₹ में

विवरण		नोट सं.	31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि हेतु	विगत वर्ष हेतु
1	परिचालनों से आय	14	50,10,15,889	
2	अन्य आय	15	3,13,84,51,505	-
3	कुल आय		**3,63,94,67,394**	-
4	व्यय			
	क) कर्मचारी लाभ व्यय	16	2,39,17,020	-
	ख) वित्तीय लागत	17	2,43,31,26,523	-
	ग) मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	9	96,552	-
	घ) अन्य व्यय	18	2,53,61,058	-
	च) प्रावधान तथा बट्टे खाते में डाली गई राशि	19	9,72,50,897	-
	कुल व्यय		**2,57,97,52,050**	-
5	कर पूर्व लाभ		1,05,97,15,344	-
6	कर संबंधी व्यय			
	1) चालू कर व्यय		(40,03,00,000)	-
	2) आस्थगित कर		(68,645)	-
	निवल चालू कर व्यय		(40,03,68,645)	-
7	वर्ष हेतु कर उपरांत लाभ		65,93,46,699	-
8	प्रति शेयर आय (₹10/- प्रत्येक की):	20		
	a) आधारभूत		1.39	-
	b) विगलित/डाइल्यूटेड		1.39	-
कृपया वित्तीय विवरणियों के भाग के रूप में साथ प्रस्तुत नोट्स देखें।		1 to 24		

नोट: चूंकि यह परचिालनों का प्रथम वर्ष है अत: वगित वर्ष के आकडे उपलब्ध नहीं हैं।

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते पी. सी. घड़ियाली एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फार्म सं.: 103132W/ W-100037

आर. टी. दोषी
वरिष्ठ भागीदार
एम. सं.: 013458

वास्ते तथा निदेशक मण्डल की ओर से

जी. जी. माम्मेन
सीईओ एवं अतिरिक्त निदेशक
डीआईएन: 06808988

प्रदीप मालगांवकर
अतिरिक्त निदेशक
डीआईएन: 07184562

सुरेन्द्र श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

शालिनी बघेल
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12 मई, 2016

नोट्स जोकि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणियों का भाग हैं

राशि ₹ में

नोट 4: आरक्षितियाँ तथा अधिशेष

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
ए) सांविधिक आरक्षितियाँ (*)		
प्रारम्भिक शेष	-	-
जोड़ें: लाभ हानि खाते के अधिशेष से अंतरित राशि	13,18,69,340	-
अंतिम शेष	13,18,69,340	-
(*) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iसी के अनुसार सृजित सांविधिक आरक्षितियाँ		
बी) सामान्य आरक्षितियाँ		
प्रारम्भिक शेष	-	-
जोड़ें: लाभ हानि खाते के अधिशेष से अंतरित राशि	45,00,00,000	-
अंतिम शेष	45,00,00,000	-
सी) लाभ हानि विवरणी में अधिशेष		
प्रारम्भिक शेष	-	-
जोड़ें: वर्ष हेतु लाभ	65,93,46,700	-
घटाएँ: समायोजन:		
i. सांविधिक आरक्षितियों को अंतरित	13,18,69,340	-
ii. प्रस्तावित लाभांश	2,28,96,824	-
iii. अंतरित सामान्य आरक्षितियाँ	45,00,00,000	-
iv. नैगम लाभांश कर	46,62,032	-
अंतिम शेष	4,99,18,504	-
योग	**63,17,87,844**	-

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
विलंबित कर देयता		
कर मूल्यह्रास तथा बहियों में लगाए गए मूल्यह्रास के बीच का समय अंतराल	68,645	-
योग	**68,645.00**	-

नोट 6: अन्य दीर्घावधि देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
ए) बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल के अंतर्गत जमाराशि	50,00,00,00,000	-
योग	**50,00,00,00,000.00**	-

नोट 7: अल्पावधि प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
मानक परिसंपत्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान	9,72,50,897	-
प्रस्तावित लाभांश	2,28,96,824	-
नैगम लाभांश कर हेतु प्रावधान	46,62,032	-
योग	**12,48,09,753**	**-**

नोट 8: अन्य मौजूदा देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
ए) जमाराशियों पर उपचित ब्याज	1,50,84,785	-
बी) बाया जमाराशि	18,000	-
सी) सांविधिक देयताएं (देय टीडीएस एवं सेवा कर)	1,16,551	-
डी) विनियोग/समायोजन हेतु लंबित प्राप्तियाँ	5,32,165	-
ई) व्यय संबंधी लेनदार	79,50,051	-
योग	**2,37,01,552**	-

नोट 10: निवेश

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
मौजूदा		
ए) पासथ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी)-व्यापार में निवेश * (अग्रिम के रूप में निवेश)	33,82,40,767	-
बी) म्यूचुअल फंडस (तरल योजनाएँ)	3,53,39,00,002	-
उप-योग (ए)	3,87,21,40,769	-
गैर मौजूदा		
ए) पासथ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी)-व्यापार में निवेश * (अग्रिम के रूप में निवेश)	16,13,13,911	-
बी) म्यूचुअल फंडस (तरल योजनाएँ)		-
उप-योग (बी)	16,13,13,911	-
योग (ए + बी)	**4,03,34,54,680**	-

* म्जोल्निर आईएफएमआर कैपिटल 2016 के पीटीसी में निवेश (₹2 प्रत्येक के मूल्य की 24,97,77,339 इकाइयाँ कुल राशि ₹4,99,554,678)

भारतीय रिज़र्व बैंक क दिशानिदेशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण

i) व्यापार हेतु रखे गए	शून्य	-
ii) परिपक्वता हेतु रखे गए	शून्य	-
iii) विक्रय हेतु उपलब्ध	4,03,34,54,680	-
योग	**4,03,34,54,680**	-

नोट 11: दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
पुनर्वित्त		
मौजूदा		
ए) बैंक, वित्तपोषक बैंकों द्वारा विश्वास पर धारित बही ऋणों द्वारा प्रतिभूत	1,75,93,99,200	-
बी) अल्प वित्त संस्थाए (एमएफआई)- एमएफआई एक बही ऋणों के दृष्टिबंधन द्वारा प्रतिभूत	2,67,86,22,900	-
उप-योग (ए)	4,43,80,22,100	-
गर मौजूदा		
ए) बैंक, वित्तपोषक बैंकों द्वारा विश्वास पर धारित बही ऋणों द्वारा प्रतिभूत	24,89,46,51,200	-
बी) अल्प वित्त संस्थाए (एमएफआई)- एमएफआई के बही ऋणों के दृष्टिबंधन द्वारा प्रतिभूत	3,08,42,92,100	-
उप-योग (बी)	27,97,89,43,300	-
योग (ए + बी)	**32,41,69,65,400**	-
पुनर्वित्त लेने वाले बैंकों ने मुद्रा के साथ सामान्य पुनर्वित्त करार निष्पादित किया है जिसके अंतर्गत वे लिए गए पुनर्वित्त हेतु प्रतिभूतियों को विश्वास पर धारित करने हेतु बाध्य हैं।		

नोट 12: नकदी एवं बैंक शेष

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
नकदी तथा नकदी सममूल्य		
ए) कैश इन हैंड	3,165	-
बी) बैंकों में शेष राशियाँ		
i) चालू खातों में	3,13,807	-
ii) 3 माह अथवा उससे कम परिपक्वता अवधि वाली | सावधि जमा	20,76,97,74,940	-
अन्य बैंक शेष		
i) 3 माह से अधिक किन्तु अधिकतम 12 महीने की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	52,025,344	-
योग	**20,82,21,17,256**	-

नोट 13: अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
ए) शासकीय प्राधिकारियों के पास शेषराशियाँ		
i) अग्रिम कर (कर हेतु प्रावधान के पश्चात निवल)	27,46,138	-
बी) ब्याज उपचित किन्तु देय नहीं		
i) सावधि जमाएँ	88,73,58,795	-
ii) बैंकों/ एमएफआई को पुनर्वित्त	2,64,94,076	-
iii) पीटीसी	2,73,729	-
सी) शासन से वसूली योग्य राशि	5,98,82,933	-
डी) प्रारम्भिक व्यय जो अभी बट्टे खाते में नहीं डाले गए हैं	3,01,56,986	-
योग	**1,00,69,12,657**	-

नोट 14: परिचालनों से राजस्व

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
ब्याज आय		
बैंकों को पुनर्वित्त पर ब्याज	28,87,20,760	-
एमएफआई को पुनर्वित्त पर ब्याज	21,22,95,129	
योग	**50,10,15,889**	-

नोट 15: अन्य आय

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
i) पीटीसी पर आय	2,73,729	-
ii) सावधि जमाओं पर ब्याज	2,85,33,02,630	-
iii) म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ	23,60,06,062	-
iv) अपफ्रंट शुल्क	4,88,50,000	-
v) विविध आय	19,084	-
योग	**3,13,84,51,505**	-

नोट 16: कर्मचारी प्रतिलाभ व्यय

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
वेतन तथा मजदूरी	2,39,17,020	-
योग	**2,39,17,020**	-

नोट 17: वित्तीय लागत

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
प्राथमिकता क्षेत्र के शॉर्टफॉल (पीएसएस) निधियों अंतर्गत जमाओं पर ब्याज	2,43,31,26,523	-
योग	**2,43,31,26,523**	**-**

नोट 18: अन्य व्यय

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
प्रशासनिक व्यय	27,68,886	-
विज्ञापन व्यय	15,03,098	-
पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ	17,184	-
कंप्यूटर उपभोज्य	95,882	-
वाहन	10,000	-
निदेशकों का बैठक शुल्क	2,00,000	-
मानदेय	50,000	-
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	3,83,666	-
विविध व्यय	28,330	-
कार्यालय का किराया	76,32,255	-
डाकतार व्यय	4,882	-
बट्टे खाते में डाले गए प्रारम्भिक व्यय	75,39,246	-
मुद्रण व स्टेशनरी	3,14,245	-
लेखापरीक्षकों को भुगतान (निम्न नोट (i) देखें)	2,40,000	-
दरें तथा कर	16,25,549	-
पंजीकरण शुल्क	27,500	-
आरओसी शुल्क	87,656	-
दूरभाष व्यय	21,984	-
यात्रा एवं परिवहन	25,06,550	-
वेबसाइट एवं वेब पोर्टल व्यय	3,04,145	-
योग	2,53,61,058	-

नोट:

लेखापरीक्षकों को भुगतान		
सांविधिक लेखापरीक्षक	1,50,000	-
आंतरिक लेखापरीक्षक	90,000	-
योग	2,40,000	-

नोट 19: प्रावधान तथा बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
मानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान	9,72,50,897	-
योग	**9,72,50,897**	-

नोट 20: प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को	विगत वर्ष
वर्ष हेतु कराधान के पश्चात लाभ / हानि	65,93,46,699	-
अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	47,34,01,639	-
प्रति शेयर अंकित मूल्य	10	-
ईपीएस (आधारभूत)	1.39	-
ईपीएस (विगलित / डाइल्यूटेड)	1.39	-

नोट 21: खंड सूचना

कंपनी वित्तपोषण गतिविधियों में लगी है। यह एकल व्यवसाय तथा भौगोलिक खंड में परिचालन करती है।

नोट 22: ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवायोजन पश्चात लाभ योजनाएँ

ए) मुद्रा में कार्यरत कर्मचारीगण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) / राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

बी) मुद्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए सिडबी तथा नाबार्ड के पात्र कर्मचारियों को टर्मिनल अनुज्ञेय लाभ हेतु प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वे मुद्रा के कर्मचारी नहीं हैं तथा उनके सेवायोजकों द्वारा दिये गए हरजाने की प्रतिपूर्ति वर्तमान में मुद्रा द्वारा की जाती है। अत:, 'कंपनी लेखा मानक नियम 2006 के अंतर्गत जारी संशोधित एएस 15-कर्मचारी प्रतिलाभ' के अंतर्गत कोई खुलासा वांछित नहीं है।

नोट 23: पूंजी खाता पर आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

शून्य

नोट 24: संबन्धित पक्षों से संबन्धित खुलासा

ए. होल्डिंग कंपनी (राशि ₹ में)

संबंधित पक्ष का नाम तथा संबंधों की प्रकृति	लेनदेन की प्रकृति	राशि
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	इक्विटी शेयरों में योगदान (₹10 प्रत्येक के 75 करोड़ शेयर)	7,50,00,00,000
	किराया व्यय	76,32,255
	अन्य व्यय	27,96,386
	वेतन की प्रतिपूर्ति	1,88,41,410

बी. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

केएमपी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	राशि
जीजी माम्मेन, मुख्य कार्याधिकारी तथा निदेशक	प्रतिपूर्त पारिश्रमिक	26,73,032
शालिनी बघेल, कंपनी सचिव	पारिश्रमिक	3,46,238

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वांछित अतिरिक्त खुलासा

भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 10 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संदर्भ संख्या आरबीआई/2014-15/299 डीएनबीआर (पीडी)सीसी सं. 002/03.10.001/2014-15 के अनुसरण में खुलासा

नोट 25: पूंजी तथा जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

विवरण	31 मार्च, 2016	विगत वर्ष
सीआरएआर (%)	83.46	-
सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)	82.47	-
सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)	0.99	-
टियर II पूंजी के रूप में संग्रहीत सबार्डिनेट ऋण (₹)	-	-
पर्पेचुअल ऋण लिखत के निर्गम से प्राप्त राशि (₹)	-	-

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 3 जुलाई, 2015 के पत्र संख्या डीएनबीआर(पीड़ी)सं. 0026/2015-16 के माध्यम से बैंकों को (सहकारी बैंकों को छोडकर) को दिये गए समस्त पुनर्वित्त को शून्य जोखिम भार मानने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

नोट 26: एक्सपोजर

वर्तमान वर्ष में मुद्रा का कोई भी एक्सपोजर रियल एस्टेट क्षेत्र अथवा कैपिटल मार्केट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है।

नोट 27: परिसंपत्ति देयता प्रबन्धन

(राशि ₹ में)

विवरण	1 माह तक का	1 माह से अधिक तथा 2 माह तक का	2 माह से अधिक तथा 3 माह तक का	1 वर्ष से 3 वर्ष तक का	3 वर्ष से पाँच वर्ष का	5 वर्ष से अधिक
अग्रिम	13.34	13.41	16.12	2,797.90	-	-
निवेश	356.32	2.96	2.82	16.13	-	-
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
उधार						
जमाराशियाँ#	-	-	-	5,000.00	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	-	-	-	-
अग्रिम (तुलनपत्र से इतर)	-	-	-	-	-	-

प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल निधि के अंतर्गत बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ शामिल हैं।

नोट 28: वित्तीय विनियामकों के साथ पंजीकरण के विवरण

विनियामक	पंजीकरण सं.
कंपनी मामले मंत्रालय	सीआईएन यू65100एमएच2015पीएलसी274695
भारतीय रिज़र्व बैंक	एन-14.03313

कंपनी ने 50000 इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु कुल ₹5,00,000/- की सकल राशि पर 1/-प्रति हजार की दर पर भारतीय स्टांप अधिनियम 1989 की अनुसूची ।ए के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रभार योग्य का ₹500/- के दंड का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वर्ष के दौरान विनियामकों द्वारा कोई अन्य दंड नहीं लगाया गया है।

नोट 29: निवेश

(₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि हेतु	विगत वर्ष
1	**निवेश का मूल्य**		
	निवेश का सकल मूल्य		
	भारत में	403.35	-
	भारत से बाहर	-	-
	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
	भारत में	-	-
	भारत से बाहर	-	-
	निवेश का निवल मूल्य		
	भारत में	403.35	-
	भारत से बाहर	-	-

क्रमांक	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि हेतु	विगत वर्ष
2	**निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का मूवमेंट**		
	प्रारम्भिक शेष	-	-
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
	घटाएँ: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / वापस लेना	-	-
	अंतिम शेष	-	-

नोट 30: प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

(₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि हेतु	विगत वर्ष
	लाभ हानि खाते में 'व्यय' शीर्षके अंतर्गत दर्शाये गए 'प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय' का ब्रेक अप		
1	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-	-
2	अनर्जक आस्तियों (एनपीए) हेतु प्रावधान	-	-
3	सिक्योरिटाइज्ड/समनुदेशित ऋण पोर्टफोलियो हेतु प्रावधान	-	-
4	आयकर हेतु प्रावधान	40.03	-
5	मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	9.73	-
6	अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकतायें (विवरण सहित)	-	-
7	विलंबित कर प्रभार / (क्रेडिट) हेतु प्रावधान	0.0069	-

नोट 31: व्युत्पन्निया/डेरिवेटिव्स

31 मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रा का डेरिवेटिव्स में कोई लेनदेन / एक्सपोजर तथा अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर नहीं है।

नोट 32: आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

मुद्रा ने 31मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष में कोई भी वित्तीय आस्तियां आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण कंपनियों को नहीं बेची हैं।

नोट 33: खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

मुद्रा ने 31मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष में कोई भी अनर्जक वित्तीय आस्तियां खरीदी / बेची नहीं हैं।

नोट 34: मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण

मुद्रा ने 31मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी मूल कंपनी के किसी भी उत्पाद का वित्तपोषण नहीं किया है।

नोट 35: बेजमानती अग्रिम

31मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रा के कोई भी बेजमानती अग्रिम नहीं हैं।

नोट 36: एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/ समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 3 अगस्त, 2015 के पत्रांक डीएनबीआर(पीडी).सीओ.संख्या 244/03.10.001/2105-16 के माध्यम से मुद्रा को उसके अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रदत्त एक्सपोजर हेतु ऋण संकेन्द्रण मानदंडों (एकल उधारकर्ता) से छूट प्रदान की है। तथापि, अन्य एक्सपोजर हेतु मुद्रा आरबीआई के द्वारा निर्धारित एकल / समूह उधारकर्ता एक्सपोजर मानदंडों का अनुपालन करता है।

नोट 37: आरक्षितियों से आहरण द्वारा कमी

चूंकि यह मुद्रा के परिचालनों का प्रथम वर्ष है अत: कोई भी प्रारंभिक आरक्षितियाँ नहीं हैं।

नोट 38: ग्राहक शिकायतें

मुद्रा को वर्ष के दौरान अपने ग्राहकों यथा बैंकों/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं से अपनी सहायता योजनाओं के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नोट 39: क्षेत्र वार अनर्जक आस्तियां तथा अनर्जक आस्तियों का चलन

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रा का कोई अनर्जक आस्ति खाता नहीं है। अत:, अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार वर्गीकरण तथा उनका चलन वर्तमान वर्ष के दौरान प्रयोज्य नहीं है।

नोट 40: क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग

प्रथम वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रा ने किसी भी रेटिंग एजेंसी से रेटिंग नहीं करवाई है।

नोट 41: अग्रिम, एक्सपोजर तथा नरजक आस्तियों का संकेद्रीकर्ण

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि हेतु	विगत वर्ष
बीस विशालतम उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम एवं एक्सपोजर	2,918.40	-
सबसे बड़े चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल एक्सपोजर	शून्य	-
सभी बैंकों एवं अल्प वित्त संस्थाओं को प्रदत्त अग्रिम में से बीस विशालतम उधारकर्ताओं ओ प्रदत्त अग्रिम एवं एक्सपोजर का प्रतिशत	90.03%	-

हमारी इसी दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते पी. सी. घड़ियाली एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फार्म सं.: 103132W/ W-100037

वास्ते तथा निदेशक मण्डल की ओर से

आर. टी. दोषी
वरिष्ठ भागीदार
एम. सं.: 013458

जी. जी. माम्मेन
सीईओ एवं अतिरिक्त निदेशक
डीआईएन: 06808988

प्रदीप मालगांवकर
अतिरिक्त निदेशक
डीआईएन: 07184562

सुरेन्द्र श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

शालिनी बघेल
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12 मई, 2016

नोट 42: गैरबैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करने वाली तथा होल्डिंग) कंपनियों के विवेकपूर्णमानदंड (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश 2007 संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2014 के मास्टर परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं. 381/03.02.001/2014-15 के अनुसरण में खुलासे

(₹ करोड़)

	विवरण	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	देयताएं		
1	एनबीएफसी द्वारा लिया गया ऋण तथा उसपर उपचित ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया है:		
ए)	डिबेंचर: जमानती	शून्य	-
	: बेज़मानती (सार्वजनिक जमाराशियों के निहितार्थ के अंतर्गत आने वालों को छोडकर)		-
बी)	आस्थगित क्रेडिट	शून्य	-
सी)	सावधि ऋण	शून्य	-
डी)	अंतर नैगम ऋण एवं उधार	शून्य	-
ई)	वाणिज्यिक पत्र	शून्य	-
एफ)	अन्य ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल निधि के अंतर्गत जमा)	5,000.00	-
	परिसंपत्तियाँ		
2	ऋण एवं अग्रिम का ब्रेक अप, जिसमें प्राप्य बिल शामिल हैं [निम्नांकित (4) में शामिल को छोड़कर]		
ए)	ज़मानती	3,241.70	-
बी)	बेज़मानती	शून्य	-
3	लीज़ की गई परिसंपत्तियों तथा स्टॉक ऑन हायर तथा आस्ति वित्तपोषण कंपनी (एएफसी) गतिविधियों के अंतर्गत आने वाली अन्य परिसंपत्तियों का ब्रेक अप		
i)	लीज़ की गई परिसंपत्तियाँ, जिसमें विविध देनदारों के अंतर्गत लीज़ किराया शामिल है		
ए)	वित्तीय लीज़	शून्य	-
बी)	परिचालन लीज़	शून्य	-
ii)	स्टॉक ऑन हायर, जिसमें विविध देनदारों के अंतर्गत हायर प्रभार शामिल हैं		
ए)	भाड़े पर परिसम्पत्तियाँ	शून्य	-
बी)	पुन: कब्जे में ली गई परिसंपत्तियाँ	शून्य	-

	विवरण	बकाया राशि	अतिदेय राशि
iii)	एएफसी गतिविधियों के अंतर्गत आने वाले अन्य ऋण		
ए)	ऋण जहां आस्तियां पुन: कब्जे में ली गई हैं	शून्य	-
बी)	उपर्युक्त (ए) को छोडकर अन्य ऋण	शून्य	-
4	निवेशों का ब्रेक अप		
I.	मौजूदा निवेश		
ए)	उद्धृत		
i)	शेयर: (ए) ईक्विटी	शून्य	-
	(बी) अधिमान	शून्य	-
ii)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	शून्य	-
iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां (तरल योजनाएँ)	शून्य	-
iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	-
v)	अन्य (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सावधि जमाएँ)	शून्य	-
बी)	गैर उद्धृत		
i)	शेयर: (ए) ईक्विटी	शून्य	-
	(बी) अधिमान	शून्य	-
ii)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	शून्य	-
iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	353.39	-
iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	-
v)	अन्य: पीटीसी में निवेश	33.82	-
II.	दीर्घावधि निवेश		
ए)	उद्धृत		
i)	शेयर: (ए) ईक्विटी	शून्य	-
	(बी) अधिमान	शून्य	-
ii)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	शून्य	-
iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	शून्य	-
iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	-
v)	अन्य: पीटीसी में निवेश	शून्य	-
बी)	गैर उद्धृत		
i)	शेयर: (ए) ईक्विटी	शून्य	-
	(बी) अधिमान	शून्य	-
ii)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	शून्य	-
iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	शून्य	-
iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	-
v)	अन्य: पीटीसी में निवेश	16.16	-

5	उपर्युक्त यथा (2) या (3) के अनुसार आस्तियों का उधारकर्ता समूह वार वर्गीकरण			
	श्रेणी	जमानती	बेज़मानती	कुल
	(प्रावधान के उपरांत निवल राशि)			
1	संबंधित पक्ष	-	-	-
ए)	सहायक संस्थाएं	-	-	-
बी)	समान समूह की कंपनियाँ	-	-	-
सी)	अन्य संबन्धित पक्ष	3,241.70	-	3,241.70
	योग	**3,241.70**	**0.00**	**3,241.70**

6	शेयरों तथा प्रतिभूतियों (उद्धृत एव गैर उद्धृत दोनों) में समस्त निवेशों (अल्पावधि तथा दीर्घावधि) का निवेशक समूह वार वर्गीकरण		
	श्रेणी	बाज़ार मूल्य/ब्रेक अप अथवा उचित मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)	बही मूल्य (प्रावधानों के पश्चात)
1	संबंधित पक्ष	-	-
	सहायक संस्थाएं	-	-
	समान समूह की कंपनियाँ	-	-
	अन्य संबन्धित पक्ष	-	-
2	संबन्धित पक्षों के अतिरिक्त अन्य	403.68	403.37
	योग	**403.68**	**403.37**

7	अन्य सूचना	
	विवरण	राशि
i)	सकल अनर्जक आस्तियां	-
	(ए) संबंधित पक्ष	-
	(बी) संबंधित पक्षों से इतर	-
ii)	निवल अनर्जक आस्तियां	
	(ए) संबंधित पक्ष	-
	(बी) संबंधित पक्षों से इतर	-
iii)	ऋण की वसूली हेतु अभिग्रहीत आस्तियां	-

हमारी इसी दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आर. टी. दोषी
वरिष्ठ भागीदार
एम. सं.: 013458

जी. जी. माम्मेन
सीईओ एवं अतिरिक्त निदेशक
डीआईएन: 06808988

प्रदीप मालगांवकर
अतिरिक्त निदेशक
डीआईएन: 07184562

सुरेन्द्र श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

शालिनी बघेल
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 12 मई, 2016

नैगम सूचना

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-I-ए के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत किया गया है।

मुद्रा बैंकों तथा अल्प वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराती है जिसमें प्रतिभूतिकरण योजनाओं के अंतर्गत पास थ्रू प्रमाणपत्रों (पीटीसी) में निवेश भी शामिल है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

लेखा तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणियाँ ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचन आधार पर तैयार की गई हैं, ताकि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से भारत मे प्रयोज्य समस्त लेखा सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित प्रयोज्य लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन हो सके। मुद्रा ने किसी एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैक द्वारा निर्धारित वर्तमान परिभाषा के अनुसार प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण वर्गीकृत करने हेतु एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर लागू समस्त विनियामक तथा खुलासा मानकों का अनुपालन किया है।

अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणियाँ तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमानों और मान्यताओं की आवश्यकता होती है जो आस्तियों और देयताओं की कथित राशियों, वित्तीय विवरणियों की तारीख को आकस्मिक देयताओं के खुलासे तथा रिपोर्ट की अवधि के दौरान कथित राजस्व एवं व्यय को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों में अंतर हो सकता है। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन संबंधित लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

राजस्व मान्यता

आय

अनर्जक आस्तियों (एनपीए)* से संबंधित मूलधन वसूली तथा/अथवा ब्याज की देय किस्तों को छोडकर, ब्याज से आय का लेखांकन उपचन आधार पर किया जाता है। ऐसे ऋण खातों तथा प्राप्य राशियों के मामले में ब्याज वास्तविक वसूली आधार पर जमा किया जाता है। अनर्जक निवेशों को छोडकार सभी निवेशों पर ब्याज का लेखांकन उपचन आधार पर किया जाता है।

मौजूदा वित्तीय वर्ष हेतु किसी खाते को अनर्जक आस्ति तब माना जाता है यदि इसकी अतिदेय अवधि 'पाँच माह अथवा इससे अधिक' हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार लाभ हानि खाते में सकल आय अर्थात प्रावधानों से पूर्व, दर्शाई गई है।

किसी भी श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर लाभ अथवा हानि को लाभ हानि खाते में 'अन्य आय' के रूप में दर्शाया गया है।

व्यय

व्यय का लेखांकन उपचन आधार पर किया गया है।

अचल आस्तियां, मूल्यह्रास तथा ऋण परिशोधन

अचल आस्तियां

इन्हें अभिग्रहण लागत पर अभिलिखित किया जाता है जिसमें प्रासंगिक व्यय भी शामिल होते हैं। वित्तीय लागत सहित आस्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु काम करने लायक स्थिति में लाने हेतु लगाई गई सभी लागतें भी पूंजीकृत की गई हैं।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम की अनुसूची II के अंतर्गत प्रयोग अवधि जोकि निम्नवत है, के आधार

* किसी आस्ति को एनपीए तभी वर्गीकृत किया जाता है जब की वह आरबीआई के दिनांक 1 जुलाई, 2015 के परिपत्र सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी सं. 043/03.10.119/2015-16 के अनुच्छेद सं. 2(XIX) के अंतर्गत दी गई परिभाषा में आता हो।

पर सीधी कटौती प्रणाली का प्रयोग करते हुए किया गया है:

ए. कार्यालय उपकरण: पाँच वर्ष

बी. कंप्यूटर एवं हार्डवेयर: तीन वर्ष

सी. विद्युतीय संस्थापन: दस वर्ष

ऋण परिशोधन

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर हेतु लागत का परिशोधन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के आधार पर निम्नानुसार किया गया है:

डी. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर: तीन वर्ष

₹5000/- अथवा इससे कम लागत की आस्तियां एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित की गई हैं।

निवेश

आरबीआई के वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार, सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को 'परिपक्वता हेतु रखा गया', 'व्यवसाय हेतु रखा गया' तथा 'विक्रय हेतु उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निवेशों का मूल्यन आरबीआई दिशानिदेशों के अनुसार किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को आगे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
iii) म्यूचुअल फंड
iv) डिबेंचर और बॉन्ड
v) सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम – तथा
vi) अन्य (वाणिज्य पेपर, जमा प्रमाणपत्र, पीटीसी, इत्यादि)

परिपक्वता हेतु रखा गया

वे निवेश जिन्हें परिपक्वता तक रखने के आशय से अभिग्रहीत किया गया है 'परिपक्वता हेतु रखा गया' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं। ऐसे निवेश अभिग्रहण लागत पर रखे जाते हैं किन्तु यदि अभिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्रीमियम को परिपक्वता हेतु शेष बची अवधि के तक परिशोधित किया जाता है। निवेश के मूल्य में यदि कोई ह्रास हुआ हो तो प्रत्येक निवेश के लिए अलग अलग प्रावधान किया जाता है।

व्यापार हेतु रखा गया

वे निवेश जिन्हें अल्पावधि मूल्य / ब्याज दर के घटने बढ़ने का लाभ उठाने हेतु व्यापार करने के आशय से अभिग्रहीत किया जाता है उन्हें 'व्यापार हेतु रखा गया' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस श्रेणी के निवेशों को समग्र रूप से पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तथा मूल्यह्रास को (यदि कोई हुआ हो तो उसे) प्रत्येक स्क्रिप के बही मूल्य में हुये परिवर्तन सहित लाभ हानि खाते में इंगित किया जाता है।

विक्रय हेतु उपलब्ध

जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते उन्हें 'विक्रय हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस श्रेणी की प्रत्येक स्क्रिप को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तथा उक्त किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यह्रास को लाभ हानि खाते में इंगित किया जाता है। किसी भी वर्गीकरण में निवल मूल्यह्रास को अनदेखा किया जाता है।

नकदी और बैंक शेष

नकदी और बैंक शेष में हाथ में नकदी, बैंक शेष, तथा बारह माह से कम परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियाँ शामिल हैं।

नकदी प्रवाह विवरणी में दर्शाई हाई नकदी तथा नकदी सममूल्य में बैंक एवं हाथ में नकदी, अल्पावधि निवेश (म्यूचुअल फंडस की तरल योजनाएँ) तथा यथा 31 मार्च, 2016 को तीन माह अथवा उससे कम अवधि की परिपक्वता वाली सावधि जमाराशियाँ शामिल हैं।

आय पर कर

कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर तथा आस्थगित कर दोनों शामिल हैं; कर प्राधिकारियों को संभावित वर्तमान भुगतान की राशि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार है।

आस्थगित आयकर, कर योग्य आय और वर्ष के लिए लेखा आय के बीच समय के अंतर के चालू वर्ष पर प्रभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। आस्थगित कर की गणना मौजूदा कर दरों के आधार की जाती है।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली वर्तमान देयता के लिए प्रावधान की गणना के आकलन में उल्लेखनीय अनुमान लगाए जाते हैं, यह संभव है कि इस स्थिति में संसाधनों का बहिर्वाह हो तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाये। आकस्मिक आस्तियों को न तो इंगित किया जाता है न ही इनका वित्तीय विवरणियों में खुलासा किया जाता है। कंपनी आकस्मिक देयता को चिह्नित नहीं करती है परंतु वित्तीय विवरणियों में इनके अस्तित्व का खुलासा करती है।

विवेकपूर्ण मानदंड

कंपनी एक ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत एनबीएफ़आई के रूप में पंजीकृत है तथा अत: इसके लिए प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी के रूप में अपनी एनबीएफ़सी गतिविधियों हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार अथवा धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश, 2007 का पालन करना आवश्यक है।

अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान प्रबंधन के अनुमानो के अनुसार किन्तु गैर बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार अथवा धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश, 2007 न्यूनतम प्रावधानों की शर्त को पूरा करते हुये किए गए हैं।

ऋण एवं अग्रिम

ऋण एवं अग्रिम संबंधी आस्तियों का वर्गीकरण उनकी वसूली के रेकॉर्ड के आधार पर मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्तियों हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफ़आई हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

तुलनपत्र में दर्शाये गए अग्रिम बही मूल्य पर सकाल आस्तियां हैं क्योंकि प्रावधान पृथक रूप से दर्शाये गए हैं।

मानक आस्तियों पर यथापेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार किए जाते हैं।

प्रतिभूतिकरण

मुद्रा बैंकों / एनबीएफ़सी से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पीटीसी के माध्यम से क्रेडिट रेटिंग वाले आस्ति पूल खरीदता है। ऐसे प्रतिभूतिकरण संबंधी लेन देन 'विक्रय हेतु उपलब्ध' श्रेणी के निवेशों में वर्गीकृत किए जाते हैं।

सत्यमेव जयते

16/8/16

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - I, मुम्बई

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-I, MUMBAI

गोपनीय/शीघ्र डाक

संख्या: जी ए/आर 1/मुद्रा/लेखा/2015-16/ 131

12/08/2016

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अपर निदेशक,
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऐंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड,
एम एस एम ई डेवलपमेंट सेंटर, सी-11,
जी बलॉक, बांद्रा कुर्ला कॉमप्लेक्स, बांद्रा (ई),
मुम्बई 400 051

विषय: 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतू माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऐंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणो पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिपणियॉ।

महोदय,

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतू माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऐंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिपणियॉ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। टिप्पणीयों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषयसूची मे उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाये।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलंब अग्रेषित की जाए । मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियॉ भी इस कार्यालय को भेजी जायें ।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना दें ।

भवदीया,

(रूप राशि)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड –I, मुंबई

संलग्न: यथोपरि ।

सातवी मंजिल, आर.टी.आई. बिल्डींग, प्लॉट नं. सी-2, जी.एन. ब्लॉक, एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट के पीछे, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई-400 051
Seventh Floor, R T I Building, Plot No. C-2, G N Block, Behind Asian Heart Institute, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051
प्रशासन : 26520873 • प्रतिवेदन : 26502843 • फॅक्स : 26527165 • ई-मेल mabMumbai1@cag.gov.in
Admin 26520873 • Report 26502843 • Fax 26527165 • E-mail mabMumbai1@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MICRO UNITS DEVELOPMENT & REFINANCE AGENCY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

The preparation of Financial Statements of Micro Units Development & Refinance Agency Limited for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(7) of the Act is responsible for expressing opinion on the Financial Statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 12 May 2016.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a Supplementary Audit under section 143(6)(a) of the Act of the Financial Statements of Micro Units Development & Refinance Agency Limited for the year ended 31 March 2016. This Supplementary Audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's Report.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Roop Rashi)
Principal Director of Commercial Audit and
ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai
Date : 12 August 2016

सदस्यों को सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि. (मुद्रा) की प्रथम वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 सितंबर, 2016 को अपराह्न 12.00 बजे से 8वीं मंजिल, एमएसएमई विकास केंद्र, सी 11, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400051 में की जाएगी जिसमें निम्नांकित कारोबार किया जाएगा:

सामान्य व्यवसाय:

निम्नांकित सामान्य संकल्पों पर विचार करना तथा यदि उचित समझे जाएँ तो उन्हें संशोधनों सहित अथवा बिना संशोधन के पारित करना:

1) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु मुद्रा की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों, तथा निदेशक मण्डल की रिपोर्टों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना और इन्हें अंगीकृत करना।**

   "संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ तथा निदेशक मण्डल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एवं नोट्स जोकि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाविवरणियों के अभिन्न अंग हैं तथा कंपनी के सदस्यों के बीच परिचालित जा चुके हैं, एतदद्वारा स्वीकार किए, माने, अनुमोदित किए तथा अपनाए जाते हैं।"

2) यथा 31 मार्च, 2016 को इक्विटी शेयरों पर ₹0.05 प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल ₹2.29 करोड़ का अंतिम लाभांश घोषित करने हेतु।

"संकल्प किया जाता है कि 18 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि हेतु कंपनी की ₹750 करोड़ की शेयर पूंजी पर यथा 31 मार्च, 2016 को ₹0.05 प्रति शेयर का लाभांश उन ईक्विटी शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर भुगतान हेतु एतदद्वारा घोषित किया जाता है जिनका नाम यथा 31 मार्च, 2016 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर दर्शाये गए हैं, जिसके लिए ₹2.29 करोड़ की राशि, लाभांश कर को छोडकर, उपयोग की जाएगी।"

3) श्री अजय कुमार कपूर (डीआईएन 00108420), जोकि आवर्तन के अनुसार इस बैठक में अपनी अवधि पूरी कर रहे हैं, तथा पात्र होने के कारण स्वयं को सिडबी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित कर सकते हैं, को नियुक्त करने हेतु।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक श्री अजय कुमार कपूर (डीआईएन 00108420), जोकि इस बैठक में आवर्तन के अनुसार अपनी अवधि पूरी कर रहे हैं, तथा पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति प्रस्तावित कर रहे हैं को मुद्रा के आर्टिकल्स ऑफ असोशिएशन की धारा 68ए (ii) के अनुसार एतदद्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है। वे सिडबी के विवेकाधिकार पर पद पर रहेंगे तथा आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।"

4) श्री पंकज जैन, आईएएस (डीआईएन 00675922), जोकि आवर्तन के अनुसार इस बैठक में अपनी अवधि पूरी कर रहे हैं, तथा पात्र होने के कारण स्वयं को वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफ़एस), भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित कर सकते हैं, को नियुक्त करने हेतु।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी में भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री पंकज जैन, आईएएस (डीआईएन 00675922), जोकि इस बैठक में आवर्तन के अनुसार अपनी अवधि पूरी कर रहे हैं तथा पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति प्रस्तावित कर रहे हैं, को मुद्रा के आर्टिकल्स ऑफ असोशिएशन की धारा 68ए(ii) के अनुसार वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफ़एस), भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में एतदद्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है। वे वित्तीय सेवाएँ विभाग(डीएफ़एस), भारत सरकार के विवेकाधिकार के अनुसार पद पर रहेंगे तथा आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे जबतक कि अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ असोशिएशन) में संशोधन न हो।"

5) मुद्रा के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को नोट करना तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5), 142(1) तथा कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम 2014 की अन्य प्रयोज्य धाराओं (इसमें किए गए किन्हीं भी सांविधिक संशोधनों सहित जो समय समय पर लागू हों) के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु मुद्रा की सांविधिक लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त मुद्रा के सांविधिक लेखापरीक्षकों मे. पी. सी. घड़ियाली एंड कंपनी (आईसीएआई फर्म पंजीकृत संख्या 103132डबल्यू/ डबल्यू 100037) को ₹1.5 लाख के सकल पारिश्रमिक तथा प्रयोज्य कर एवं फुटकर व्यय अतिरिक्त का एतदद्वारा अनुमोदन किया गया है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि लेखापरीक्षा शुल्क के अतिरिक्त वास्तविक लागत आधार पर

₹50,000 के फुटकर व्यय का भुगतान करने हेतु भी एतदद्वारा अनुमोदन किया गया।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मण्डल को वर्ष 2017-18 हेतु भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा निदेशक मण्डल उचित समझे, निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत किया गया बशर्ते इसका शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन किया जाये।"

विशेष व्यवसाय:

निम्नांकित सामान्य संकल्पों पर विचार करना तथा यदि उचित समझे जाएँ तो उन्हें संशोधनों सहित अथवा बिना संशोधन के पारित करना:

6) डॉ क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस (डीआईएन 01185381) को मुद्रा के निदेशक मण्डल पर पदेन अध्यक्ष तथा सिडबी का नामिती निदेशक नियुक्त करना।

"संकल्प किया जाता है कि डॉ क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस (डीआईएन 01185381), जिन्हें मुद्रा के आर्टिकल्स ऑफ असोशिएशन की धारा 68 ए (i) तथा (ii) के साथ सपठित कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 161(1) (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन सहित जो लागू हो) मुद्रा के निदेशक मण्डल पर अध्यक्ष एवं अतिरिक्त निदेशक के रूप में 25 मार्च, 2015 से नियुक्त किया गया था, तथा जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख को इस पद पर बने हुये हैं, तथा जिनके विषय में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, को मुद्रा के निदेशक मण्डल पर पदेन अध्यक्ष तथा सिडबी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे इस पद पर सिडबी के विवेकाधिकार के अनुसार बने रहेंगे तथा आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे बशर्ते मुद्रा के आर्टिक्ल्स ऑफ असोशिएशन मेसंशोधन न हो।"

7) श्री जीजी माम्मेन (डीआईएन 06808988) को कंपनी का निदेशक नियुक्त करना

"संकल्प किया जाता है कि श्री जीजी माम्मेन (डीआईएन 06808988), जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 तथा 161 (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा उसके पुन: अधिनियमन सहित जो समय समय पर लागू हो) सपठित मुद्रा के आर्टिक्ल्स ऑफ असोशिएशन के अनुसार 13 अप्रैल, 2015 से मुद्रा लि. के निदेशक मण्डल पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था, तथा जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पदासीन हैं, तथा जिनके विषय में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अंतर्गत लिखित नोटिस प्रस्तुत किया गया है, को एतदद्वारा मुद्रा का निदेशक नियुक्त किया जाता है जोकि आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

8) श्री जीजी माम्मेन (डीआईएन 06808988) को कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करना जोकि आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 196, 197, 203 तथा किसी अन्य प्रयोज्य प्रावधानों एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों (सांविधिक संशोधनों अथवा इसके पुन: अधिनियमन सहित जोकि समय समय पर लागू हो), सपठित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V के अनुसार श्री जीजी माम्मेन (डीआईएन 06808988) को उनकी नाबार्ड से प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि हेतु 9 अप्रैल, 2015 के नाबार्ड के पत्र संख्या एनबी.एचआरएमडी. पीए/137/एसटी-34/2015-16 में प्रेषित निबंधनों एवं शर्तों पर, जिसमें पारिश्रमिक भी शामिल है, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में

नियुक्ति हेतु अनुमोदन दिया गया। वे आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मण्डल को नियुक्ति के उन निबंधनों तथा पारिश्रमिक को परिवर्तित करने तथा भिन्न शर्ते निर्धारित करने, जिनपर निदेशक मण्डल तथा जीजी माम्मेन सहमत हो, हेतु प्राधिकृत किया गया ताकि ये कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V में निर्धारित सीमा का अतिक्रमण नहीं करे।"

यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मण्डल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य तथा वस्तुएं करने तथा ऐसे सभी दस्तावेज़, लिखतों तथा लेखों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया तथा इसमें उल्लिखित किन्हीं भी शक्तियों के निदेशकों की किसी भी समिति अथवा निदेशक(कों) को उक्त शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया गया ताकि पूर्वोक्त संकल्प प्रभावी हो सके।"

9) श्री प्रदीप अच्युत मालगांवकर (डीआईएन 07184562) को मुद्रा के निदेशक मण्डल पर सिडबी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना, जोकि आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के आर्टिक्लस ऑफ असोशिएशन के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा इसके पुन: अधिनियमन जोकि समय समय पर प्रभावी हो सहित) के अनुसार श्री प्रदीप अच्युत मालगांवकर (डीआईएन 07184562) को, जिन्हें सिडबी द्वारा नामित किया गया था, 18 मई, 2015 से मुद्रा के निदेशक मण्डल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तथा जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख को पदासीन हैं, तथा जिनके विषय में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, को एतदद्वारा सिडबी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे सिडबी के विवेकाधिकार के अनुसार पद पर रहेंगे तथा आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।"

10) सुश्री ज्योत्स्ना सित्लिंग, आईएफ़एस (डीआईएन 00025919) को कंपनी का निदेशक नियुक्त करना।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के आर्टिक्लस ऑफ असोशिएशन के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा इसके पुन: अधिनियमन जोकि समय समय पर प्रभावी हो सहित) के अनुसार सुश्री ज्योत्स्ना सित्लिंग, आईएफ़एस (डीआईएन 00025919) को निदेशक मण्डल द्वारा 20 जून, 2015 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तथा जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख को पदासीन हैं, तथा जिनके लिए मुद्रा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, को एतदद्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है तथा वे आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।"

11) श्री नवीन कुमार मैनी (डीआईएन 00419921) को कंपनी का निदेशक नियुक्त करना।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के आर्टिक्लस ऑफ असोशिएशन के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा इसके पुन: अधिनियमन जोकि समय समय पर प्रभावी हो सहित) के अनुसार श्री नवीन कुमार मैनी (डीआईएन 00419921)) को निदेशक मण्डल द्वारा 1 अगस्त, 2015 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तथा जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख को पदासीन हैं, तथा जिनके लिए मुद्रा

को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, को एतदद्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है तथा वे आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।"

दिनांक: 08/09/2016
स्थान: मुंबई

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि.**

शालिनी बघेल
कंपनी सचिव
पता: एमएसएमई विकास केंद्र, सी - 11, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई : 400051

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा इसमें मतदान करने का अधिकारी कोई भी सदस्य किसी प्रतिनिधि/प्रॉक्सी को अपने स्थान पर उपस्थित होने तथा मतदान करने हेतु नियुक्त कर सकता है तथा उक्त प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रतिनिधि नियुक्त करने संबंधी लिखत को प्रभावी होने के लिए, विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित रूप में बैठक से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में मिल जाना चाहिए।

   लिमिटेड कंपनियों/ सोसायटियों इत्यादि की ओर से प्रस्तुत प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) को यथाप्रयोज्य संकल्प/ प्राधिकार पत्र के साथ प्रेषित किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अधिकतम पचास (50) सदस्यों तथा कंपनी की पूंजी में 10% शेयरधारिता से अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यदि कोई प्रॉक्सी किसी ऐसे सदस्य द्वारा नियुक्त किया गया है जिसकी शेयरधारिता कंपनी की पूंजी के 10% से अधिक है, तो वह प्रतिनिधि अन्य व्यक्तियों अथवा शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा।

2. सदस्यों की सुविधा के लिए एक उपस्थिती पर्ची, प्रॉक्सी फार्म, बैठक के स्थल के मार्ग का नक्शा इसके साथ नत्थी किए जा रहे हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सही स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उपस्थिती पर्ची बैठक के स्थल पर सौंप दें। सदस्य के प्रतिनिधि को उपस्थिती पर्ची पर 'प्रॉक्सी'' इंगित करना चाहिए।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसरण में, कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जानी है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के उपखंड (1) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाना है अथवा उस प्रक्रियानुसार जोकि कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित की जाए। आपकी कंपनी के सदस्यों द्वारा इस वार्षिक आम बैठक में निदेशक मण्डल को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

4. कंपनी अधिनियम 013 की धारा 170 के अनुसार रखे जा रहे निदेशकों, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों एवं उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर सदस्यों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।
5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे जा रहे संविदा या व्यवस्था के रजिस्टर जिनमें निदेशकों की रुचि है, वार्षिक आम बैठक के दौरान सदस्यों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।
6. साथ प्रस्तुत नोटिस से संबन्धित समस्त दस्तावेज़ वार्षिक आम बैठक के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे तथा भौतिक या इलेक्ट्रोनिक रूप में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सामान्य कार्यावधि के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।
7. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अंतर्गत वांछित व्याख्यात्मक विवरण एतदद्वारा संलग्न है तथा इस नोटिस का एक भाग है।

व्याख्यात्मक विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में)

मद संख्या 6

निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) तथा मुद्रा के अंतर्नियम के खंड 68(i) के अनुसार डॉ क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस, (डीआईएन 01185381), आयु 55 वर्ष, को 25 मार्च, 2015 से अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया तथा मुद्रा के अंतर्नियम के आर्टिकल 68(i) ए के अनुसार निदेशक मण्डल तथा मुद्रा का अध्यक्ष नामित किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक अगली वार्षिक आम बैठक तक पदासीन रहते हैं। कंपनी को सिडबी से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत न्टिस प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से मुद्रा के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की गई है तथा एतदर्थ आवश्यक जमाराशि निर्धारित समय के भीतर जमा कर दी जाएगी।

साथ ही, मुद्रा के अंतर्नियम के आर्टिकल 68(ii)ए के अनुसरण में मुद्रा का 100% अंशधारक होने के कारण सिडबी को तीन निदेशकों को अपने प्रतिनिधि के रूप में मुद्रा के निदेशक मण्डल पर नामित करने का अधिकार है। तदनुसार सिडबी ने डॉ क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस को मुद्रा के निदेशक मण्डल पर अपने नामिती के रूप में नामित करने की सूचना दी है।

डॉ क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस वर्तमान में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। उनकी संक्षिप्त प्रोफाइल मुद्रा की वेबसाइट पर डाली गई है। उनके पास मुद्रा के शून्य शेयर हैं।

साथ ही, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने मुद्रा के निदेशक मण्डल पर अध्यक्ष तथा नामिती निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफ़ारिश की है। यदि नियुक्त होते हिन तो, डॉ क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस कंपनी अधिनियम की धारा 152 के अनुसार आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे, बशर्ते कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन न हो जाये।

डॉ क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस के अतिरिक्त कंपनी के कोई भी अन्य निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधी इस संकल्प से किसी भी रूप में, वित्तीय अथवा अन्यथा, संबन्धित अथवा हिट जुड़ा नहीं हैं।

मुद्रा के निदेशक मण्डल पर सिडबी के नामिती निदेशक के पद पर नियुक्ति के संबंध में अंशधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी आवश्यक संकल्प सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तुत है।

मद संख्या 7

श्री जीजी माम्मेन (डीआईएन 06808988) आयु 54 वर्ष को निदेशक मण्डल द्वारा 4 अप्रैल, 2015 को मुद्रा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। साथ ही, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 ई धारा 161 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों तथा मुद्रा के अंतर्नियमों के आर्टिकल 68(1) के अनुसार 7 अप्रैल, 2015 को अतिरिक्त निदेशक के पद पर नामित किया गया था। उन्होंने मुद्रा में 13 अप्रैल, 2015 को कार्यग्रहण किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक तक पदासीन रहते हैं। कंपनी को सिडबी से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से मुद्रा के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की गई है, तथा इस संबंध में आवश्यक धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दी जाएगी।

साथ ही, आपका निदेशक मण्डल सामान्य संकल्प के माध्यम से निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु उनका अनुमोदन प्राप्त कर रहा है। श्री जीजी मम्मेन के प्रोफाइल मुद्रा की वेबसाइट पर डाली गई है।

उनके पास मुद्रा के **शून्य** शेयर हैं।

उक्त संकल्प में जीजी मामेन के अतिरिक्त कंपनी के अन्य किसी भी निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों का वित्तीय अथवा अन्यथा, किसी भी रूप में कोई संबंध अथवा हित जुड़ा नहीं है।

मद संख्या 8

श्री जीजी माम्मेन (डीआईएन 06808988) ने नाबार्ड के 9 अप्रैल, 2015 के प्रतिनियुक्ति पत्र के अनुसार नाबार्ड से मुद्रा में तीन वर्षों की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर मुद्रा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया था तथा उक्त अवधि के पश्चात उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाना नाबार्ड के विवेकाधिकार के अधीन होगा।

मुद्रा के निदेशक मण्डल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संस्तुति पर श्री जीजी माम्मेन को दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के नाबार्ड के पत्र संख्या एनबी.एचआरएमडी.पीए /137/एसटी-34/2015-16 के माध्यम से निर्धारित उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर, जिनमें पारिश्रमिक भी शामिल है, मुद्रा के पूर्णकालिक निदेशक के पद पर 24 अगस्त, 2015 को नियुक्त किया है बशर्ते ये कंपनी अधिनियम की धारा 197, सपठित अनुसूची V के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक न हो। चूंकि वह मुद्रा की पूर्णकालिक सेवा में हैं, अत: वे आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।

साथ ही, उक्त नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 तथा उसके नियमों के अनुसार अंशधारकों के अनुमोदन पर आधारित होगी।

उक्त संकल्प में जीजी मामेन के अतिरिक्त कंपनी के अन्य किसी भी निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों का वित्तीय अथवा अन्यथा, किसी भी रूप में कोई संबंध अथवा हित जुड़ा नहीं है।

आपके निदेशक अंशधारकों द्वारा उक्त संकल्प के सामान्य संकल्प के रूप में अनुमोदन की संस्तुति करते हैं।

मद संख्या 9

श्री प्रदीप अच्युत मालगांवकर, (डीआईएन07184562), आयु 59 वर्ष, को निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 161(1) तथा मुद्रा के अंतर्नियमों के आर्टिकल 68(i) के अनुसार दिनांक 18 मई, 2015 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक तक पदासीन रहते हैं। कंपनी को सिडबी से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से मुद्रा के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की

गई है, तथा इस संबंध में आवश्यक धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दी जाएगी।

साथ ही, मुद्रा के अंतर्नियम के आर्टिकल 68(ii) ए के अनुसरण में मुद्रा का 100% अंशधारक होने के कारण सिडबी को तीन निदेशकों को अपने प्रतिनिधि के रूप में मुद्रा के निदेशक मण्डल पर नामित करने का अधिकार है। तदनुसार सिडबी ने श्री प्रदीप अच्युत मालगांवकर को मुद्रा के निदेशक मण्डल पर अपने नामिती के रूप में नामित करने की सूचना दी है।

एनआरसी की संस्तुति पर आपका निदेशक मण्डल सामान्य संकल्प के माध्यम से नामिती निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु सदस्यों के अनुमोदन का अनुरोध कर रहा है।

उनके पास मुद्रा के **शून्य** शेयर हैं।

उक्त संकल्प में श्री प्रदीप अच्युत मालगांवकर के अतिरिक्त कंपनी के अन्य किसी भी निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों का वित्तीय अथवा अन्यथा, किसी भी रूप में कोई संबंध अथवा हित जुड़ा नहीं है।

मद संख्या 10

सुश्री ज्योत्स्ना सित्लिंग (डीआईएन 00025919), आयु 53 वर्ष, जिन्हें मुद्रा के निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (161(1) तथा मुद्रा के अंतर्नियमों के आर्टिकल 68(i) के अनुसार दिनांक 20 जून, 2015 से मुद्रा के अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार आगामी वार्षिक आम बैठक तक पदासीन हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा 24 अगस्त, 2016 को आहूत 10वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मण्डल पर उनकी नियुक्ति की संस्तुति की गई है, बशर्ते यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के अनुपालन में हो। कंपनी को सिडबी से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से मुद्रा के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की गई है, तथा इस संबंध में आवश्यक धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दी जाएगी। उनकी संक्षिप्त प्रोफाइल मुद्रा की वेबसाइट पर होस्ट की गई है। उनके पास मुद्रा के **शून्य** शेयर हैं।

मुद्रा के निदेशक मण्डल पर निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति के संबंध में अंशधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी आवश्यक संकल्प सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तुत है।

उक्त संकल्प में सुश्री ज्योत्स्ना सित्लिंग के अतिरिक्त कंपनी के अन्य किसी भी निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों का वित्तीय अथवा अन्यथा, किसी भी रूप में कोई संबंध अथवा हित जुड़ा नहीं है।

मद संख्या 11

श्री नवीन कुमार मैनी, (डीआईएन 00419921), आयु 61 वर्ष, को निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 161(1) तथा मुद्रा के अंतर्नियमों के आर्टिकल 68(i) के अनुसार दिनांक 18 मई, 2015 से अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक तक पदासीन रहते हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा भी 24 अगस्त, 2016 को आहूत 10वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मण्डल पर उनकी नियुक्ति की संस्तुति की गई है, बशर्ते यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के अनुपालन में हो। कंपनी को सिडबी से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से मुद्रा के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की गई है, तथा इस संबंध में आवश्यक धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दी जाएगी। उनकी संक्षिप्त प्रोफाइल मुद्रा की वेबसाइट पर होस्ट की गई है। उनके पास मुद्रा के शून्य शेयर हैं।

मुद्रा के निदेशक मण्डल पर निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति के संबंध में अंशधारकों से अनुमोदन

प्राप्त करने संबंधी आवश्यक संकल्प सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तुत है।

उक्त संकल्प में श्री नवीन कुमार मैनी के अतिरिक्त कंपनी के अन्य किसी भी निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों का वित्तीय अथवा अन्यथा, किसी भी रूप में कोई संबंध अथवा हित जुड़ा नहीं है।

दिनांक: 08/09/2016
स्थान: मुंबई

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि.**

शालिनी बघेल
कंपनी सचिव
पता: एमएसएमई विकास केंद्र, सी - 11, जी ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई : 400051

उपस्थिति पर्ची / प्रॉक्सी फार्म

टीम मुद्रा

सहायक महाप्रबंधक

1. श्री पी. एस. एन. मूर्ति
2. श्रीमती अनीता कुलकर्णी
3. श्री आदित्य मिश्र

प्रबन्धक

1. श्री एस. कण्णन
2. श्री मायाधर बेहेरा
3. श्री निखिल गुप्ता
4. सुश्री श्वेता नागवेकर

निजी सचिव ग्रेड बी

1. श्रीमती लता राधाकृष्णन

सहायक प्रबन्धक

1. सुश्री संहिता राऊत

mudra

कॉर्पोरेट & पंजीकृत कार्यालय
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लि.; एमएसएमई विकास केंद्र, प्रथम तल, सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई 400 051
वेबसाइट: www.mudra.org.in; ईमेल: ceo@mudra.org.in